Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ३५वां दिवस [संख्या २६

मंगलवार, दिनांक ३० मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, देवस्थान, यातायात, समाज कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, नागरिक रसद, उद्योग तथा विद्युत्—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री रामानन्द अग्रवाल ।

प्रश्न संख्या ६१४

पालीटैक्नीकल शिक्षण संस्थाओं के टैक्नीशियन्स की योग्यतायें

६१४. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पोलीटैक्नीकल शिक्षण संस्थाओं में तकनीकी स्टाफ में टैक्नीशियन्स को भर्ती करने के लिए १९६१ से पहले साधारण हिन्दी की जानकारी एवं ५ वर्ष के तकनीकी अनुभव की योग्यता की आवश्यकता होती थी और इस योग्यता के आधार पर अलवर की पोलीटैक्नीकल संस्था में १९५८ और १९६१ के बीच कुछ टैक्नीशियन्स भर्ती किये गए थे ?

(२) क्या यह सही है कि इसी पद की भर्त्ती के लिए १९६१ में यही योग्यता बढ़ा कर मिडल कक्षा तक शिक्षित होना एवं ५ वर्ष का तकनीकी अनुभव पहले की तरह आवश्यक करार दिया गया और यह योग्यता स्तर केवल नई भर्त्ती के लिए लागू किया गया तथा पहले भर्त्ती किये गए टैक्नीशियन्स पूर्ववत् कार्य करते रहे ?

(३) क्या यह सही है कि अब इसी पद के लिए शिक्षण योग्यता बढ़ा कर

Page No.2

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मेट्रिक्यूलेशन कर दी गई है और अलवर पोलीटैक्नीकल संस्था में पुरानी योग्यता के आधार पर भर्ती किये गए टैक्नीशियनों को नौकरी से हटाने के नोटिस जारी कर दिये गए हैं तथा दो टैक्नीशियन्स,श्री ताराचन्द और श्री कन्हैयालाल को नौकरी से पृथक् कर दिया है ?

(४) क्या यह सही है कि सरकारी नियमों के अनुसार १९६१ के बाद की निश्चित की हुई योग्यता स्तर पुराने भर्ती हुए स्टाफ पर लागू नहीं होती ?

(५) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की ओर से इन नोटिसों को केन्सिल करने के आदेश जारी कर दिए गए थे ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों की ओर से कई प्रतिवेदन सरकार को इन नोटिसों को केन्सिल करने और नौकरी से अलग किये गए कर्मचारियों को वापिस कार्य पर लगाने के लिए दिये गये हैं ?

(७) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों ने प्रिन्सीपल पोलीटैक्नीकल इन्स्टीट्यूट अलवर को १०-३-६५ से भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया ?

(८) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों की माँगों पर विचार किया है ? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत पूछा जा चुका है । अतः मैं आपका ध्यान रूल ३७ की ओर दिलाना चाहता हूं ।

"It shall not repeat in substance questions already answered or to which an answer has been refused :"

वही का वही प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : वे ही आश्वासन दोहरा देते ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मन ही मन आप और माननीय सदस्य भी समझ चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : मन ही मन समझ गये हैं तो फिर कोई बात नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक जानकारी आप दे दीजिये; जो लोग आपकी सर्विस में हैं, जिनके बारे में डिस्प्यूट है कि रिवाइज्ड पे स्केल्स लागू होते हैं या नहीं, इसके बारे में जब तक विधि विभाग से राय न आ जाय तब तक आप उनको रिटेन करें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : लीगली तो एग्ज़ामिन करा लूंगा, लेकिन सेवा में रहेंगे, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं रहें तो लीगल एग्ज़ामिनेशन कराने की वेल्यू ही क्या

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है ? आप उनको जस्टिस दें, इसलिये यह आवश्यक है कि जब तक विधि विभाग की राय न आ जाय तब तक उनको रखें, उसके बाद जैसी राय हो उसके अनुसार कार्यवाही होगी। आपने इतने अर्से तक रखा है कुछ और दिनों के लिये रख लेते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं हो जायगी। अगर इन पर लागू होते हैं तो इनको रिटेन करना पड़ेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो सद्भावना पर निर्भर है।

श्री अध्यक्ष : आजकल विधि विभाग बड़ी तत्परता से काम करता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सद्भावना जरूरी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : सद्भावना आप मन में भी रखते हैं।

प्रश्न संख्या ६१५

श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१६

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१७

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१८

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१९

श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२०

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

साक्षरता की प्रतिशतता

६२१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) साक्षरता का अखिल भारतीय प्रतिशत कितना है, तथा राजस्थान का क्या प्रतिशत है ?

(२) क्या स्नातकोत्तर शिक्षा के आंकड़े भी रखे जाते हैं ? अगर हां, तो भारत एवं राजस्थान का क्या प्रतिशत है ?

(३) राजस्थान के प्रत्येक जिले की शहरी तथा देहाती क्षेत्रों की साक्षरता का क्या प्रतिशत है ?

Page No.4

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) साक्षरता का अखिल भारतीय प्रतिशत १९६१ की जनगणना के अनुसार २४०० रहा ।

(२) ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(३) राज्य के प्रत्येक जिले की शहरी तथा देहाती क्षेत्रों की साक्षरता का प्रतिशत की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : अखिल भारतीय स्तर तक आने के लिये राजस्थान सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नाना प्रकार के कदम उठा रही है, जिसमें साक्षरता का ज्यादा से ज्यादा एक्सटेन्शन किया जाय ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : नाना प्रकार में से एक प्रकार तो बतलाइये ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये तो शिक्षा विभाग की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट पढ़नी होगी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ाने के लिये प्राइमरी स्कूल में शिक्षा को बढ़ा रहे हैं । इसी आधार पर प्राइमरी स्कूल्स का भी एक्सटेन्शन किया जा रहा है । महिलाओं के प्रश्न पर भारत सरकार के सहयोग द्वारा अधिक से अधिक प्रशिक्षण शिक्षिकाओं की व्यवस्था आदि । ये सब आधार ऐसे हैं जिनसे साक्षरता का पर्सेन्टेज बढ़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : छात्रों में प्रतिशत ऑल इण्डिया से कम है या ज्यादा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पुरुषों के लिये ३४.४४ प्रतिशत है व स्त्रियों के लिये १२.६ है इस तरह; से २३.७१ पुरुषों के लिये ५.८४ स्त्रियों के लिये; यह अन्तर रहा ।

श्री अध्यक्ष : इस वजह से एवरेज कम हो गया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : लिट्रेसी के पीछे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चार साल के बच्चों को निकाल दिया जावे तो पर्सेन्टेज बढ़ जाता है ।

लड़कियों की पाठशालाएं कम हैं, इसलिए वहां भी डिफरेन्स हो जाता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : नाना प्रकार में प्रकारहीन प्रकार भी हैं कि नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रकार में प्रकार का वर्णन कर दिया था । वह तो पहले की बात थी ।

प्रश्न संख्या ६२२

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

विदेशों में छात्रवृत्ति पर शिक्षा पाने वाले छात्रों पर व्यय

६२३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य से बाहर जो विद्यार्थी सरकार की छात्रवृत्ति पर शिक्षा पाने जाते हैं, उनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के किस प्रतिशतता से भेजे जाते हैं ?

(२) गत दो साल में हिन्दुस्तान से बाहर दूसरे देशों में राजस्थान सरकार की छात्रवृत्ति पर कितने छात्र गए ? उन पर कितना खर्चा हुआ और उनमें उपरोक्त जातियों के कितने छात्र थे ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) ऐसे सब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को, जो राजस्थान से बाहर पढ़ रहे हैं और जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना-पत्र दिए और जिनको १९६२-६३ एवं ६३-६४ में छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ; ऐसे छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

	६२-६३	६३-६४
अनुसूचित जाति	१४	१६
अनुसूचित जन जाति	२	६

ऐसी छात्रवृत्तियां शिक्षा मन्त्रालय नई दिल्ली के नियमों के आधार पर मैट्रिक से ऊपर की पढ़ाई के लिये प्रदान की जाती हैं ।

(२) सन् १९६२-६३ एवं ६३-६४ में हिन्दुस्तान से बाहर पढ़ने वाले किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई, अतः शेष प्रश्न नहीं उठते ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आवेदन-पत्र ही नहीं आये या आपने दीं नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : न आये और न दी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : राजस्थान से बाहर जाने के लिये कितनों को दी?

श्री निरंजननाथ आचार्य : २२ को और जोड़ लें १६ में; कुल ३८ को ।

श्री अध्यक्ष : उनका अनुपात, सारे छात्रों को दी गई, उसके अनुसार कैसा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १२।। पर्सेन्ट के हिसाब से है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है, जो भारत सरकार से मिला है ।

राजस्थान से बाहर विदेशों में जाने वाले छात्रों को भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार से कितनी छात्रवृत्ति मिली और उनमें इनका क्या अनुपात है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो बतला दिया । इसके अलावा कितने जाते हैं, यह जानकारी नहीं है । पर जाते हैं, वे भीतर कायदा लेते होंगे, यह मेरा अनुमान है ।

Page No.6

श्री फूलचन्द जैन : वैसे अनुसूचित जातियों के अलावा भी जाते हैं या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। ऑफिस में है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जानकारी होनी चाहिए थी। पूछा है प्रश्न के दूसरे भाग में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न छात्रवृत्ति का है। लोन अवश्य मिलता है। छात्रवृत्ति नहीं मिलती।

प्रश्न संख्या ६२४

श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ६२५

कुमारी उमा माथुर।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२६

श्री उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२७

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२८

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री नुमानसिंह।

हायर सैकण्डरी विद्यालय भैंसलाना (फलेरा) का भवन

६२९. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या हायर सैकण्डरी विद्यालय, भैंसलाना, फुलेरा के भवन निर्माण हेतु कोई कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) इस कमेटी ने आज तक चन्दे के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित की व सरकार से कितना अनुदान प्राप्त हुआ ? कुल धनराशि का उपयोग किस तरह से किया गया एवं जिलाधीश, जयपुर को कितना हिसाब पेश किया जा चुका है ?

(३) क्या यह भी सही है कि प्रधानाध्यापक द्वारा हिसाब में गड़बड़ी करने पर सदस्यों में मतभेद हुआ एवं शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच भी की गई ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ?

(४) क्या यह भी सही है कि इन्हीं प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रवृत्ति धनराशि में से हर छात्र को पांच प्रतिशत कम दिए गए थे ? इनके क्या कारण हैं एवं सरकार ने क्या कार्यवाही की व आगे करने का क्या इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) हायर सैकण्डरी स्कूल भैंसलाना के अतिरिक्त चार कमरों के निर्माण

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हेतु सरपंच ग्राम भैंसलाना ने अपनी इच्छा के अनुसार ग्रामवासियों को एक भवन निर्माण समिति का गठन राजकीय अनुदान का उपयोग करने हेतु किया। सदस्यों की सूची मेज पर रख दी गई है।

(२) उक्त कमेटी ने कुछ भी चन्दा एकत्रित नहीं किया। हां, इस कमेटी के पूर्व सम्भवतः सरपंच, ग्राम भैंसलाना ने अलग से एक कमेटी का गठन कर रखा है एवं जनता की ओर से एकत्रित धनराशि एवं श्रमदान के लगभग १०,०००) रुपये इस कार्य में लग चुका था, इन अधूरे कमरों को पूरा करने के लिये १० हजार रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था। इस धनराशि को प्रधानाध्यापक ने सरपंच भैंसलाना को सम्हला दिया, किन्तु सरपंच महोदय ने यह धनराशि प्रधानाध्यापक को वापिस लौटा दी, अतः कमेटी के सचिव द्वारा समय समय पर मांग किये जाने पर इस धनराशि में से हिसाब लेकर रुपया दे दिया जाता था। इस धनराशि का उपयोग इस प्रकार भवन निर्माण के लिये आवश्यक सामान तथा मजदूरी में पूरा किया जा चुका है। भवन निर्माण कमेटी द्वारा हिसाब दिनांक २३-८-६३ को पेश किया गया था। इस हिसाब की पूरी जांच की जाकर यह हिसाब जिलाधीश महोदय, जयपुर के कार्यालय में पेश कर दिया गया है।

(३) प्रधानाध्यापक द्वारा हिसाब में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इसलिये इस प्रश्न पर यदि भवन निर्माण सदस्यों में मनमुटाव हुआ हो तो इसका कोई ज्ञान नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इसकी जांच की गई थी और उसके आधार पर उप-निरीक्षक द्वारा भी जांच की गई थी, जिसमें प्रधानाध्यापक का कोई खास दोष सिद्ध नहीं हुआ।

यह गलत है कि प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को स्वीकृत छात्रवृत्ति की रकम कम दी गई हो। प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी गई वह पूरी दी गई, जिसकी रसीद स्कूल कार्यालय में है। जिस पर छात्रों के संरक्षकों की तस्दीक भी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

बाली में छात्राओं के लिये हाई स्कूल

६३०. श्री मोहनराज (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बाली में छात्राओं के हाई स्कूल के लिये गत ३-४ वर्षों से जनता द्वारा मांग की जा रही है और छात्राओं की मौजूदा संख्या को देखते हुए हाई स्कूल की कक्षाएं खोलना अत्यन्त आवश्यक है ?

(२) क्या सरकार आगामी सत्र से मौजूदा कन्या माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, मांग की जा रही है।

(२) जी नहीं।

श्री मोहनराज : क्या उप-मन्त्री महोदय को उनके द्वारा दिया गया आश्वासन याद है, जो उन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु दिया है ? यदि हां, तो फिर वे क्रियान्वित क्यों नहीं हो रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह आश्वासन की भाषा क्या है, किस रूप का है, यह बताने की कृपा करें। वह मुझे याद भी है, नहीं भी याद है।

श्री मोहनराज : आपको याद नहीं है। मेरे ही प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया था कि जहां तक महिला शिक्षा का सवाल है नई कन्याशालाएं खोलने और उसके आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का प्रयोग करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, कोई कमी-बेशी नहीं करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की नीतिराजस्थानसरकार की पूरी है। इसी के आधार पर प्राथमिक शालाओं में यह निश्चित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कन्या शालाएं खुलें। प्रशिक्षण हो महिलाओं का, अध्यापिकाओं का। पर जहां मिडल स्कूल और हायर सैकंडरी स्कूलों का सवाल है, आर्थिक संकट ही विशेष कारण है जिससे अपग्रेडेशन के पोइन्ट पर उचित कदम उठा नहीं रहे हैं। इस मांमले में ६५-६६ के लिये प्रावधान नहीं रखा गया है इसकी विवशता है।

प्रश्न संख्या ६३१

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)
श्री श्रवणलाल।

रामपुर की पुलिया की मरम्मत

६३२. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डोन-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जयपुर-भरतपुर रूट पर रामपुरा की पुलिया सन् १९५७ से १९६५ में अब तक कितनी बार टूटी है ?

(२) इसकी कितनी बार मरम्मत की गई और कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) दो बार टूटी है।

(२) पहली बार १९६१-६२ में जो इस पुलिया पर खर्च किया उसके अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, बाकी दूसरी बार मरम्मत पर ३४१०.२५ खर्च हुआ है।

श्री श्रवणलाल : पहली बार जो आपने टूटी बताई उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके बारे में पूछा गया था लेकिन शायद इसके आंकड़े इसलिए उपलब्ध नहीं हैं कि काम में शामिल हुआ उसी समय टूट गई बताते हैं। यानी जब बन रही थी उसी समय टूटी तो इसमें शामिल की गई इसलिये आंकड़े नहीं हैं।

श्री श्रवणलाल : यह दुबारा कब टूटी है, तारीख बता दें ?

श्री हरिश्चन्द्र : १२-७-६४ को।

Page No.9

श्री श्रवणलाल : मंत्रीजी ने जो ६२ के आंकड़े के लिए कहा और दुबारा टूटा है उसके लिए कहा कि ३,४१० रुपये खर्च हुए; है-अध्यक्ष महोदय, यह पुलिया हमेशा से टूटती आ रही है, तीन साल से तो मैं देखता आ रहा हूं और इस पर हर साल रुपये खर्च किये जाते हैं वह खर्चा इस तरह से किया जाता है और मैं ऐसा विश्वास के तौर पर कह सकता हूं कि वह आगे आने वाली बरसात में भी टूटेगी और मैंने सन् ५७ से पूछा है जिसके लिए दो बार ही टूटी बताते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यह गलत है और इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये। मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए कि पहले टूटी है उसमें कितना खर्च किया है और इसको वैसे ही टाला जा रहा है और इस प्रश्न को दुबारा रख दिया जाये।

श्री हरिश्चन्द्र : जैसा मैंने आपसे कहा कि पानी ज्यादा आने से एप्रोचेज़ टूट गए, पुलिया एज़ सच नहीं टूटी। एप्रोचेज़ ठीक कर दी गई हैं। अगर पानी ज्यादा तादाद मे आता है तो यह किया जा सकता है कि हम जांच करवा लेंगे कि एक–दो मोखे और बढ़ावा दिये जायें।

श्री श्रवणलाल : क्या यह मानते हैं कि ३ साल से यह पुलिया हर साल टूटीती आ रही है और आप ५७ से ६५ तक बता रहे है कि दो ही बार टूटी है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास जो सूचना है उसमें दो ही बार का है। ज्यादा होगी तो और जांच करा लूंगा।

प्रश्न संख्या ६३३

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री गोविन्दसिंह

चद्दरों का कोटा

६३४. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या नागरिक रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला कोटा, बूंदी व झालावाड़ को सन् ६१-६२, ६२-६३, ६३-६४ व ६४-६५ में कितने कितने नालीदार चद्दर सिविल व कृषि कोटा के लिए दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त चद्दरों का कोटा जिला झालावाड़ की जनता के लिए बहुत कम है? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिए क्या सोचती है?

उप-मन्त्री, नागरिक रसद (श्री चन्दनमल वैद) : (१) नॉन-एकीकल्चर कोटा में १९६१-६२ में कोटा को २२२ टन, बूंदी को ८६ टन तथा झालावाड़ को १३० टन जी० सी० शीट्स का कोटा अलॉट किया गया तथा सन् १९६१-६२ में जिला कोटा को २६४ टन, बूंदी को १८८ टन व झालावाड़ को २६४ टन कृषि कोटे की नालीदार चद्दरें अलॉट की गईं। सन् १९६२-६३, ६३–६४ व ६४–६५ में नालीदार चद्दरों का कोई कोटा अलॉट नहीं किया गया।

(श्री चन्दनमल वैद)

(२) भारत सरकार द्वारा जो भी लोहे का कृषि तथा नॉन-एग्रीकल्चर का कोटा राज्य के लिए मिलता है उसको जिलों में जनसंख्या तथा उद्योगों की आवश्यकताओं के आधार पर वितरित किया जाता है।

प्रश्न संख्या ६३५

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६३६

वैद्य श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

नदी में बस बह जाने से नुकसान

६३७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान स्टेट रोडवेज़ की बस नं० ४७३ दिनांक २४-८-६४ को अलवर व थानागाजी के बीच में किसी नदी में बह गई ? यदि हां, तो कौनसी नदी में ?

(२) क्या गाड़ी के बहने में किसी की गलती थी या अन्य कोई कारण था ?

(३) उस गाड़ी में ड्राइवर व कन्डक्टर कौन थे ? क्या उनके शव मिल गये हैं? यदि हां, तो कब व कहां और अब सरकार उनके परिवारों की क्या मदद करने का विचार रखती है ?

(४) गाड़ी की अन्य सवारियों का क्या हुआ व उनमें कितनी जीवित बचीं व कितनी मरी पाई गई ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, अलवर से १५ मील जयपुर की तरफ रूपारेल नदी में।

(२) ड्राइवर की गलती थी। गाड़ी जब नन्देश्वर की पुलिया पर पहुंची तो पुलिया पर पानी था, ड्राइवर ने यात्री के कहने पर गाड़ी को निकालना चाहा तो पानी के कारण गाड़ी बह गई।

(३) गाड़ी में श्री बद्रीप्रसाद चालक व श्री नाथूलाल परिचालक थे। श्री बद्रीप्रसाद की लाश घटनास्थल से पांच मील दूर डा० किशनलाल के तिबारे पर मिली, परिचालक की लाश काफी तलाश के बाद भी नहीं मिली है। इन दोनों प्राणियों के परिवार को निगम, वर्कसमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अनुसार, उपयुक्त मदद देगा। इन दोनों व्यक्तियों के सदस्यों की जानकारी निगम को नहीं है। श्री बद्रीप्रसाद गांव देवन, तहसील बैराठ, पोस्ट शाहपुरा, जिला जयपुर तथा श्री नाथूलाल, ग्राम ठीकरिया, तहसील सिकराय, जिला जयपुर के रहने वाले थे।

(४) गाड़ी में कुल दो सवारियां थीं दोनों जीवित सुरक्षित पाई गई।

(१) श्री श्रवणकुमार पुत्र श्री शिवनाथ,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ग्राम नीमूचाना, तहसील बानसूर जिला अलवर।

(२) श्री गणेश, पुत्र जवाना, निवासी कुशहालगढ़ सावर।

(५) दुर्घटना के समय दो सवारियां थीं उनमें से एक शाहपुरा से अलवर के लिए दूसरी कुशहालगढ़ तिराये से अलवर के लिए बैठे थे।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपको यह कैसे मालूम हुआ कि उस समय दो ही सवारियां थीं गाड़ी में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो सवारियां सुरक्षित बची थी सरकार को यह जानकारी हो सकती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मन्त्री महोदय यह भी बतायेंगे कि जो गाड़ी बही थी उसमें ड्राइवर की गलती क्या थी ? ड्राइवर तो मर गया, तो आपने यह कैसे महसूस किया कि सवारी को बचाने के लिए उसने गाड़ी अन्दर दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारी जानकारी से ऐसा पता लगा कि इस नदी के दूसरे किनारे पर भी कई गाड़ियां खड़ी थीं। पानी अधिक होने से वे पार नहीं कर रहे थे। ऐसा उनकी शहादतों से पाया गया कि उन्होंने इसको इशारा किया कि मत आओ; लेकिन वह आगे बढ़ा और पानी का फोर्स ज्यादा था इसलिए गाड़ी बह गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : दूसरी गाड़ियों में से किन किन के आपने बयान लिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बयान लेना मेरा काम नहीं है। यह तो जो जानकारी प्राप्त की गई है, जो ऑफिसर इनचार्ज हैं, उन्होंने जो गाड़ियां उधर खड़ी थीं और दो तीन घन्टों में ही वे मौके पर पहुंच गये थे, इसलिए वहां की छानबीन के आधार पर जो विभाग को पता लगा उसके आधार पर कहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह जुबानी जानकारी की थी या लिखित में पूछा गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जो डिपो के ऑफिसर इन्चार्ज थे वे मौके पर गये और उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह लिखित में जानकारी ली या कैसे की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह लिखित में था या जुबानी, वह रेकॉर्ड इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने यह भी जानकारी चाही है कि उनके परिवार को सरकार क्या मदद करने का विचार रखती है और यह कब तक देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी तक उनकी तरफ से कोई क्लेम दाखिल नहीं

Page No.12

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हुआ, लेकिन हमने उनको लिखा कि आप क्लेम दाखिल करो; तो दो में से एक ने तो क्लेम दाखिल कर दिया जिसका जल्दी ही फसला होगा और दूसरे को भी क्लेम दाखिल करने के लिए चिट्ठी लिखी जा चुकी है। वह क्लेम दाखिल कर दे तो उसका नियमानुसार जल्दी फैसला करने का प्रयत्न हम कर सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि उनके परिवार में ऐसा कोई मोअज्जिज आदमी नहीं है जो कि आपसे मिले और क्लेम दाखिल करे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम तो हर व्यक्ति को मोअज्जिज ही समझते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : उसकी औरत या छोटा बच्चा है, तो वह कैसे करे ? क्या गवर्नमेंट अपना कर्तव्य नहीं समझती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कर्त्तव्य समझती है तभी तो लिखा है कि क्लेम दाखिल करें। कानून के तहत क्लेम फाइल करने पड़ते हैं, दस्तखत करने पड़ते हैं, वैरीफिकेशन भी होता है—ये सारी चीजें होती हैं। यह तो क्लेमेंट सब कुछ करता है। हमने तो अपनी तरफ से चिट्ठी लिख दी कि आपको क्लेम फाइल करनी चाहिए। दोनों को चिट्ठी लिखने के बावजूद भी एक ने तो क्लेम फाइल कर दिया लेकिन दूसरे का नहीं हुआ है। ज्यों ही क्लेम फाइल हो जायेगा उस पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न संख्या ६३८

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल।

एस० टी० सी० ट्रेनिंग प्राप्त विद्यार्थी

६३६. **श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला सवाई माधोपुर में सन् १९६३ में कितने विद्यार्थियों ने एस० टी० सी० ट्रेनिंग पाई तथा कितने पास हुए ?

(२) उपरोक्त विद्यार्थियों में से किसने कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के थे ?

(३) उपरोक्त एस० टी० सी० ट्रेनिंग पास विद्यार्थियों में से कितने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नौकरी में लिया गया है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल सवाई माधोपुर में सन् १९६३ में २३७ विद्यार्थियों ने ट्रेनिंग पाई जिनमें से २२३ पास हुए।

(२) उपरोक्त विद्यार्थियों में से ७ अनुसूचित जाति के तथा ६ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी थे।

(३) १ अनुसूचित जाति के व अनुसूचित जनजाति के १३ विद्यार्थियों की नियुक्ति की गई।

Page No.13

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने प्रश्न (३) का उत्तर दिया है इसमें १ अनुसूचित जाति की व अनुसूचित जनजाति के १३ विद्यार्थियों की नियुक्ति बताई है; तो ट्रेनिंग तो कुल १३ ने हो पाई, यह १४वां कहां से आ गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये पहले के जो केन्डीडेट्स थे उनके शामिल में इनकी नियुक्तियां हुई।

श्री श्रवणलाल : क्या ये पहले ट्रेनिंग पाये हुए थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, पहले ट्रेन्ड थे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या पहले एक ही आदमी ने ट्रेनिंग ली थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि ७ अनुसूचित जाति के तथा ६ अनुसूचित जनजाति के थे। इन ७ अनुसूचित जाति में १ हो गया। अनुसूचित जनजाति के १३ की नियुक्ति हुई। अब यहां जब ६ अनुसूचित जनजाति के थे तो १३ कैसे हुए; तो पहले जो विद्यार्थी थे फेल इसलिए वह नियुक्ति की गई और १३ हो गए।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि ६ में से केवल एक को ही नियुक्ति मिली है और पांच को नहीं मिल पाई है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह मतलब नहीं कह सकता।

श्री श्रवणलाल : इस साल जो ट्रेनिंग में पास हुए हैं उसमें आपने बताया है कि ७ व १२ हैं और उनको नियुक्ति में ले लिया गया है, तो क्या ऐसे और भी विद्यार्थी हैं ट्रेनिंगशुदा जो अभी भी सर्विस में नहीं हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ७ अनुसूचित जातियों में से एक को लिया गया है और बाकी ६ निकले हैं उसमें से।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाती है और राज्य सरकार की सर्विस करने के लिये इनसे बोण्ड्स लिखवाये जाते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बोण्ड्स तो लिखवाये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक तरफ तो बोण्ड्स लिखवाये जाते हैं और दूसरी तरफ नौकरी नहीं देते हैं, तो इस इन्टेरिम पीरियड में क्या करें, इसके बारे में सरकार को विचार करना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये थोड़े से पास हुए हैं। इन्टरव्यूज़ के वक्त पर्सेन्टेज का पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन फिर भी स्टैण्डर्ड बनाया होता है तो व्यवस्था उस में रहती है। राज्य सरकार का खर्चा भी होता है, लेकिन फिर भी नियुक्ति उस आधार पर नहीं दी जाने की व्यवस्था रखते हैं, यह प्रश्न विचारणीय है।

श्री श्रवणलाल : जो साढ़े बारह पर्सेन्ट का रिज़र्वेशन है उसके तहत में एक ही लड़का नियुक्त किया गया है।

Page No.14

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह मैंने स्पष्ट कह दिया है कि व्यवस्था के साथ में एक ही किया है।

श्री श्रवणलाल : साढ़े बारह पर्सेन्ट का रिज़र्वेशन है उसके तहत में और कितने लड़के नियुक्त किए हैं दूसरी कास्ट के ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बाकी दूसरी कास्ट के ३२३ पास हुए और उसके बाद नियुक्तियां जो बाकी रही होंगी वह दूसरी जाति के हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की मान्यता है कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने अपांइन्टमेंट्स हुए हैं उन अपाइन्टमेंट्स में साढ़े बारह पर्सेन्ट का रिज़र्वेशन है और इन छात्रों को उस रिज़र्वेशन के अनुसार नियुक्त किया गया है और उसके बाद में ये लोग बचे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी यह मान्यता है कि अभी साढ़े १२ पर्सेन्ट नियुक्तियां नहीं हुई हैं जैसा कि इससे प्रतीत होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं की गई और उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्या लिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह प्रश्न पैदा नहीं होता है। नियुक्ति के समय जो पास हुए हैं वे इन्टरव्यू के स्टैण्डर्ड में नहीं निकले, ऐसा प्रतीत होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्यों इस इन्टरव्यू में भी एस० टी० सी० की ट्रेनिंग लेने के बाद भी उस स्टैण्डर्ड के मापदण्ड की आवश्यकता रहती है जिस स्टैण्डर्ड से नियुक्त किया जाता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह रहती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाये कि जिन छात्रों की नियुक्तियां नहीं की गई उनकी इन्टरव्यू हुई थी और उसमें रिजेक्ट हुए थे जिसके कारण से नियुक्त नहीं हो सके ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस आधार पर यह कह सकता हूं कि इन्टरव्यूज़ हुए हैं और ये उसके उपयुक्त नहीं निकले।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ये नियुक्तियां की गई हैं उनमें जितना रिज़र्वेशन होना चाहिए उतना रिज़र्वेशन का नोटिफिकेशन नहीं किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि नोटिफिकेशन किया गया या नहीं, लेकिन क्या यह सही है कि ऐडवर्टाइज़मेंट किया होगा और इन्टरव्यूज़ हुए हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : नोटिफिकेशन नहीं हो तो भी यह इम्प्लाइड है कि इतनी पर्सेन्टेज होनी चाहिए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए।

श्री भैरोंसिंह : इम्प्लाइड होते हुए भी नियुक्तियां नहीं हुई तो यही मानकर चला

(श्री भैरोंसिंह)

जाय कि नोटिफिकेशन के कारण से उस अधिकारी ने उसका दुरुपयोग किया। उसको नोटीफाई नहीं करने की स्थिति में एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं दिया। कहीं न कहीं कोई मिस्टेक रही है जिसके कारण से ऐसा हुआ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात को सोचता हूं कि कहीं न कहीं मिस्टेक जरूर है। मैं इसकी सारी की एन्क्वायरी करा कर माननीय सदस्यों को सन्तोष दिलाने का प्रयत्न करूंगा कि रिज़र्वेशन क्यों नहीं फिल अप होते हैं ?

श्री अध्यक्ष : भविष्य के लिए भी सबको सूचित कर दें कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए।

श्री श्रवणलाल : २३७ आपने बतलाये, उसमें से २०० आदमियों को नियुक्त कर दिया गया जब कि साढ़े बारह पर्सेन्ट का रिजर्वेशन रखा जाता है। २०० आदमियों में से एक आदमी लिया जाता है तो बड़े शर्म की बात है और फिर कहते हैं कि साढ़े बारह पर्सेन्ट का रिजर्वेशन रखा जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शर्म की बात नहीं है। मैंने अर्ज किया कि जो नियुक्तियां हुई हैं वे वाजिब हुई हैं। उसके बावजूद मुझको भी इस उत्तर से सन्तोष नहीं हुआ है। इसलिए यह आगे का प्रश्न हो सकता है। शर्म की बात, अभी तक तो नहीं है।

श्री श्रवणलाल : इसको आज स्थगित कर दिया जाय और दुबारा लिया जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : शर्म की बात तो नहीं, लेकिन दुःख की बात जरूर है कि जिस कमेटी ने २०० आदमियों को सिलेक्ट किया उसने १२ आदमी ही शिडूल्ड कास्ट के सिलेक्ट किए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, दुःख और शर्म दोनों ही इस वक्त नहीं हो सकते हैं जैसा कि मैंने विश्वास दिलाया कि जानकारी करके सूचना दूंगा और माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप इसका निर्णय लूंगा। उसके बाद ही दुःख और शर्म की बात होती है।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह बड़े दुःख की बात है कि डिप्टी मिनिस्टर उनको कितना प्रोटेक्शन देते हैं जब कि चीफ मिनिस्टर ने स्पष्ट कह दिया कि वह एम्प्लोइड था। उसके लिए लाजिमी था और डिप्टी-मिनिस्टर उस कमेटी को प्रोटेक्शन देते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रोटेक्शन करने की बात तो दूसरे सवाल पर आती है जब कि मैं जांच करना स्वीकार नहीं करता। मुझे प्रश्न दिया था तो उसके उत्तर को देख कर मुझे स्वयं को पूर्णतया सन्तोष नहीं हुआ। प्रोटेक्शन का सवाल होता तो जांच कराने के लिए क्या कहता ?

श्री मोतीलाल चौधरी : तो क्या यह बात मान कर चलें कि जिन अधिकारियों से गलती हुई है उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा ?

Page No.16

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रिजम्पशन है कि अगर कोई अधिकारी बेजा काम करता है तो खत्म नहीं किया जाये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्रश्न बिल्कुल साफ है कि अनुसूचित जातियों का पर्सेन्ट कितना लिया है उसकी आप आगे क्या एन्क्वायरी करेंगे, इसी चीज का तो आपको जवाब देना था। उस पर आपने सारी जांच करा ली है। अन्य चीज की कौन सी एन्क्वायरी करायेंगे जैसा कि आप फर्मा रहे हैं कि उसकी आगे जांच करायेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न पहले हो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप आगे क्या जवाब देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तथ्यों को पकड़ नहीं पाये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं सारी चीजों को पकड़ पाया हूँ। आप सारे सदन को गुमराह करना चाहते हैं कि आगे देंगे। इसमें स्पष्ट है प्रश्न और प्रश्न के जवाब में आगे देने की कोई चीज नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सब प्रकार का यहां विश्लेषण हो चुका है। अब कोई प्रकार नहीं रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने यह कहा है कि आगे उत्तर दूंगा तो आगे क्या जवाब देना चाहते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब 'प्रकार' कोई नहीं है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : इस प्रकार से सब जगह होता है। इस प्रश्न को सब टालते रहते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं है। पता नहीं चलता है। माननीय भीखाभाई इसका जवाब दें तो अच्छा हो।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यह बात सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : (बैठे-बैठे) है।

श्री जयनारायण सालोदिया : खड़े होकर कहिये।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : यह बात पूरे राजस्थान के लिए है। एक ही डिपार्ट- की बात नहीं है। रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

स्थगित प्रश्न

(२२-३-६५)

४३७. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) महिला मण्डल, उदयपुर को सन् ५७ से अब तक शिक्षा विभाग से किस किस कार्य के लिए कितना-कितना अनुदान प्राप्त हुआ है ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) इस अनुदान की उपयोगिता के प्रमाण-पत्र तथा हिसाब का वार्षिक लेखा जोखा कब २ पेश हुआ है ?

(ग) इस संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य कौन-कौन हैं और उनको इस संस्था से कितना २ रुपया मिलता है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जिन जिन तारीखों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ वह उपरोक्त सूची में अंकित है । वार्षिक लेख–जोखा सन् ६०–६१ का दिनांक १२-७-६१ को, सन् ६१–६२ का दिनांक २६-६-६२ को, सन् ६२–६३ का दिनांक ३०-८-६३ को प्राप्त हुआ । इससे पहले के वार्षिक लेखा-जोखा पेश करने की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है, प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । संस्था के सेन्ट्रल ऑफिस के आर्गेनाइजिंग सचिव, श्री दयाशंकर जो जनरल सचिव का कार्य भी करते हैं, को निम्न राशि वेतन स्वरूप दी गई: --

५७–५८	२३७६)
५८–५९	३६०८)
५९–६०	३७५०)
६०–६१	३२४०)
६१–६२	३२४०)
६२–६३	३५६२)
६३–६४	३८२०)

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री भैरोंसिंह : यह ऑडिट रिपोर्ट अब तक आपको नहीं मिल पाई; लेकिन किस तारीख को आई है, यह तो बता दीजिये कि आ तो गई है न ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपलब्ध नहीं हो सकी; की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी, तारीख उपलब्ध नहीं हो सकी; मेरा प्रश्न है ऑडिट रिपोर्ट आ तो गई है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं आ पाई ।

श्री भैरोंसिंह : अब ऑडिट रीपोर्ट नहीं आई, तो आगे के वर्षों के लिये ग्रान्ट इन एड किस आधार पर दी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मैं निवेदन नहीं कर सकता ।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं कर सकते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में साफ है कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही ग्रान्ट इन एड दी जा सकती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रूल्स देखकर ही ग्रान्ट इन एड दी होगी । यह ग्रान्ट

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इन एड कमेटी का मसला है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो रूल्स में साफ है कि किसी इन्स्टिट्यूशन को ग्रान्ट इन एड दी जाय तो उसके द्वारा अकाउन्ट्स सब्मिट करने के बाद ही ग्रान्ट इन एड दी सकती है। इसमें कोई एक्सक्यूजेज नहीं हो सकते। पिछले वर्षो की ग्रान्ट इन एड दी गई तो बिना ऑडिट रिपोर्ट के किस आधार पर दी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्रान्ट इन एड कमेटी इस बारे में अंतिम निर्णय लेती है। उसने ऑडिट रिपोर्ट को देख कर ही सेंक्शन की होगी।

श्री भैरोंसिंह : आप तो कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप भी उस कमेटी के मेम्बर हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिल्कुल नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने रूल्स बना कर रखे हैं, उनके विपरीत आचरण भी ग्रान्ट इन एड कमेटी कर सकती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नियमानुसार ही कर सकते है।

श्री भैरोंसिंह : यह ऑडिट रिपोर्ट सरकार के पास आनी चाहिये या ग्रान्ट इन एड कमेटी के पास ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों के पास।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि रूल्स के अनुसार बिना ऑडिट रिपोर्ट के ग्रान्ट इन एड नहीं दी जा सकती ?

श्री निरंजननाथ आचार्य मैंने रूल्स नहीं देखे।

श्री भैरोंसिंह : जब आपने रूल्स नहीं देखे तो आप उप-शिक्षा मंत्री क्यों हैं ? क्या यह सच है कि आप इस डिपार्टमेन्ट के लिये इनकॉम्पीटेन्ट हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लाखों रुपयों की ग्रान्ट एन एड देते हैं और लाखों रुपये देते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है फिर आप यहां पर क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष : किस वर्ष की रिपोर्ट नहीं आई ?

श्री भैरोंसिंह : ये जवाब देते हैं कि पिछले चार वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई और लगातार ग्रान्ट इन एड देते जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इन वर्षों की तो आ गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह अर्ज किया कि इससे पहले के वर्षों के लेखे-जोखे पेश करने की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष : ६०—६१ से पहले का प्रश्न है। बाद के चार वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट तो आ चुकी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे आ चुकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : चार वर्ष पहले तो कोई ग्रान्ट इन एड कमेटी नहीं थी, फिर किसने दी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कमेटी नहीं थी तो और कोई संस्था होगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय स्पष्ट कह चुके हैं कि उनको रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, इस पर भी आप प्रश्न करेंगे तो वैसे ही उत्तर आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया जाय, यह इम्पोटेन्ट प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सत्र के अंतिम समय तक पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बाद में तो नहीं सत्र के ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाद में हो तो और भी अच्छा।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मणप्रसाद।

(अनुपस्थित)

डाक बंगलों तथा रेस्ट हाउस में बिजली की सुविधा

६१६. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सही है कि ग्राम छबड़ा, मोरक स्टेशन, रामगंज मण्डी के, जहां गत एक वर्ष से अधिक समय से बिजली की सुविधा उपलब्ध है, डाक बंगलों तथा रेस्ट हाउसों में बिजली का फिटिंग नहीं किया गया है तथा बिजली कनेक्शन नहीं है।

(२) बिजली का कनेक्शन लेने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) छबड़ा तथा मोरक

Page No.20

(श्री हरिश्चन्द्र)

डाक बंगलों में बिजली नहीं है, जिसकी स्वीकृति दे दी गई है तथा रामगंज मण्डी में सरकारी डाक बंगला नहीं है।

(२) अर्थाभाव के कारण।

श्री जुझारसिंह : मोरक और छबड़ा में बिजली आये हुए साल भर करीब हो गया है, लेकिन अब तक रेस्ट हाउसेज में बिजली नहीं दी गई है। रेस्ट हाउसेज में बिजली कितने समय में देनी चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : अर्थाभाव के कारण देरी हो गई होगी। छबड़ा और मोरक में दे दी है और रामगंज मंडी में डाक बंगला है नहीं।

श्री जुझारसिंह : बिजली की राजस्थान में कमी है, लेकिन जहां पर उपलब्ध हो गई है वहां पर उपलब्ध होने के बाद भी होस्पिटल्स और डाक बंगलों में जिनको गवर्नमेंट मेन्टेन करती है, अक्सर देखा जाता है कि ८.१० महीनों तक बिजली नहीं देते हैं, इससे लोगों को तकलीफ होती है; इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि, जहां पर बिजली पहुंच जाय, वहां तो इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये कि होस्पिटल्स, डाक बंगलों आदि में जल्दी मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : इसमें प्राथमिकता देने का प्रश्न है। पहले दफ्तरों में दी जाय, या रिहायशी मकानों में दी जाय; क्योंकि साधन सीमित हैं।

श्री जुझारसिंह : होस्पिटल्स जैसी इम्पोर्टेन्ट जगहों में भी १२ महीनों तक नहीं पहुंची है। चेचट और रामगंज मंडी में बिजली पहुंच गई है, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेन्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिये होस्पिटल और डाक बंगलों में भी बिजली नहीं मिल सकी है; इस कारण से लोगों को तकलीफ होती है।

श्री हरिश्चन्द्र : गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि जहां बिजली पहुंच जाय वहां सरकारी बिल्डिंग्ज़ हैं उनमें बिजली दी जाय, जिससे लोगों को तकलीफ न हो।

श्री अध्यक्ष : बंगलों में बिजली देने में भले ही देरी हो जाय, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा अस्पतालों और डाक-बंगलों को प्राथमिकता दी जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

विमुक्त जाति सेवक संघ

६२२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान विमुक्त जाति सेवक संघ पर सरकार ने प्रशासक कब से नियुक्त किया और क्यों ?

(२) इस संस्था में जयपुर की सेवा सदन नामक संस्था शामिल है या नहीं ?

(श्री भैरोंसिंह)

(३) यदि यह संस्था इसमें शामिल है तो इस संस्था की कितनी २ और किस किस प्रकार की कहां २ क्या क्या अचल सम्पत्ति है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उप-मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : विमुक्त जाति सेवक संघ के संचालक मंडल ने एक प्रस्ताव इस आशय का पारित किया कि संघ का काम सुचारु रूप से नहीं चल रहा है, अतः सरकार द्वारा जांच की जाय। साथ ही संघ ने यह भी निवेदन किया कि जांच के दौरान में संघ का काम सरकार अपने हाथ ले ले। संघ ने अपने संचालक मंडल को भंग भी कर दिया। इस प्रस्तावानुसार राज्य सरकार ने दिनांक ७-१०-६४ को संघ की प्रवृत्तियों के संचालन के लिये प्रशासक की नियुक्ति की।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही कि सन् १९५४ में जिस समय माणिक्यलालजी वर्मा ने विमुक्त जाति सेवक संघ का गठन किया था उस समय जयपुर की सेवा सदन नामक संस्था भी विमुक्त जाति में शामिल हुई थी ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने विमुक्त जाति सेवक संघ की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी है, जिसमें उल्लेख आया है कि जयपुर के सेवा सदन को भी शामिल कर लिया है।

श्री भीखाभाई : मैंने यह रिपोर्ट नहीं पढ़ी।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट पढ़ने के लिये कौन सा महकमा है ?

श्री भीखाभाई : विमुक्त जाति सेवक संघ की रिपोर्ट पढ़ने का महकमा नहीं है, हमारी सरकार की रिपोर्ट पढ़ने का महकमा है।

श्री भैरोंसिंह : विमुक्त जाति सेवक संघ को एड सरकार की तरफ से दी जाती है तो क्या सरकार उचित नहीं समझती कि वह उसकी रिपोर्ट को भी पढ़े ?

श्री भीखाभाई : ग्रान्ट इन एड देने के लिये जो आवश्यक बातें होती हैं उनको पढ़ते हैं। हम यह नहीं पढ़ते कि चुनाव कैसे हुआ, कौन आदमी आया।

श्री भैरोंसिंह : श्रीमती रामेश्वरी नेहरू को श्री वर्माजी ने जो रिपोर्ट सन् ५४ में दी थी उसका जिक्र मैंने किया है और उसमें लिखा है कि सेवा सदन भी इसमें शामिल है उस रिपोर्ट को आपने पढ़ा या नहीं ?

श्री भीखाभाई : इसका उत्तर नकारात्मक दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या मुख्य मन्त्रीजी ऐसी वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ने के लिये अलग एक उप-मन्त्री की नियुक्ति करने की व्यवस्था करेंगे ?

Page No.22

श्री भीखाभाई : ग्रान्ट इन एड रूल्स बने हुए हैं, उनमें इस प्रकार का प्रोविज़न है जिसके अन्तर्गत राजस्थान में शिक्षण इस्टीट्यूशन्स, आयुर्वेद संस्थाएं, स्वास्थ्य संस्थाएं आदि को एड दी जाती है उनकी रिपोर्टों को पढ़ने के लिये एक आदमी ही क्या कई ऑफिसर्स मुकर्रर करने पड़ेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या मन्त्रीजी को जानकारी है कि सेवा सदन का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है ?

श्री भीखाभाई : आप जानकारी देंगे वह ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी दूंगा वह ले लेंगे, तो डिपार्टमेंट मैं चलाता हूं या आप चलाते हैं ?

श्री भीखाभाई : आप जो जानकारी देंगे उसको हम संग्रह करेंगे; हमारे लिये वह लाभदायक हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : जिस सम्प्रदाय के लिये विमुक्त जाति सेवक संघ है उसकी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ली है, उसके एसेट्स और लाएबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ली तो उस समय आपने जांच क्यों नहीं की, उसके और सेवा सदन के एसेट्स एण्ड लाएबिलिटीज़ क्या है ?

श्री भीखाभाई : मेरी जानकारी में यह बात नहीं आई है। जहां तक सारे हिसाब कम्पाइल करने के सवाल हैं माननीय सदस्य ने जो बातें बताई हैं उनका ख्याल रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित)

कुमारी उमा माथुर।

(अनुपस्थित)

बान्सी-बोहेड़ा रेल्वे स्टेशन से बांसवाड़ा तक चलने वाली बसों के परमिट

६२६. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बान्सी बोहेड़ा रेल्वे स्टेशन से बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से बान्सी बोहेड़ा रेल्वे स्टेशन तक चलने वाली बस का परमिट किसी को दियां हुआ है ? यदि हां, तो ये बसें कितने समय से इस रूट पर नहीं चल रही हैं ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) बान्सी-बोहेड़ा रेल्वे स्टेशन तक चलने वाली बस के २ परमिट श्री धीरजमल शर्मा प्रतापगढ़ को दिये हुए हैं। इस रूट पर २ बसें आर. जे. एच. ३३ व आर. जे. एच. ३४ चल रही है। ये बसें वर्षा ऋतु में रास्ता बन्द अथवा खराब हो जाने से बन्द रहती हैं। अब वर्षा बन्द होने के बाद एक गाड़ी आर. जे. एच. ३४ चल रही थी जो ८–१० दिन से खराब हो गई है और इसकी

(श्री भीमसिंह)

जगह आर. जे. एच. ३०६ स्पेग्नर बस चल रही है। यह बस अभी धरियावद तक चल रही है।

वान्सी-बोहेड़ा तक न चलने के लिए मोटर मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है और इसी प्रकार आर. जे. एच. ३३ जो नहीं चलाई जा रही है, के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(२) इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था करने के लिए कानूनी कार्यवाही के पूरा होने पर व अन्य कोई प्रार्थना पत्र इस मार्ग पर प्राप्त होने पर समुचित व्यवस्था की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

शादी के समय मंदिरों में चढ़ाये गये चढ़ावे की रेकॉर्ड

६२७. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों की मीणा जाति में वर्षों से यह परम्परा रही है कि जब इस कौम में लड़के-लड़कियों की शादी होती है तो लड़के वाला लड़की के गांव के मन्दिर पर हजारों रुपया का चढ़ावा चढ़ाता है ?

(२) यदि हां, तो देवस्थान विभाग इस बारे में देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिरों में क्या क्या रेकॉर्ड रखा गया है ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्डा) : (१) देवस्थान विभाग के अधीन किसी भी श्रेणी के मंदिर पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता और न ऐसी परम्परा का होना ज्ञात हुआ है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी जाति में पैदा हुआ हूं। उन मंदिरों पर जब बारात जाती है, तो लड़के वाला चढ़ावा चढ़ाता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ के जिलों में जो मंदिर हैं और उन पर अब तक जो चढ़ावा चढ़ाया जाता रहा है उसकी रकम का कोई रेकॉर्ड नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, मैंने जो कहा है वह देवस्थान विभाग के डाइरेक्ट चार्ज में जो मंदिर हैं और जो आत्मनिर्भर मंदिर हैं उनके बारे में मैंने कहा है। गांवों में मीणा जाति के सैकड़ों मंदिर हो सकते हैं, जिनमें इन मीणा जाति की रिवाज परम्परा के अनुसार चढ़ावा चढ़ते हैं तो उसका देवस्थान विभाग को ज्ञान नहीं है। मैं मान सकता हूं कि जो व्यक्तिगत मंदिर हैं और समाज के जो मंदिर होते हैं उनका देवस्थान विभाग से ताल्लुक नहीं होता है वहां चढ़ावा चढ़ाया जाता होगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप इसकी जांच करा लें।

Page No.24

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चढ़ावा चढ़ाया जाता होगा, लेकिन वे देवस्थान विभाग के अन्डर में नहीं है। वे एक कौम और जाति के मंदिर हैं और उनकी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की जाती है और उनकी जाति और समाज की परम्परा, रिवाज के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जब समाज के मंदिर हैं तो सरकारी ढोलियां उनको दे रखी हैं वे कैसे दे रखी हैं? मैं समझता हूं कि जिसको सरकार की सहायता मिलती है वह सरकार का मंदिर होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकारी सहायता से जो मंदिर चलते हैं मैं केवल कह रहा हूं कि जो डाइरेक्ट चार्ज के मंदिर हैं, जिन पर सारा खर्च होता है और या जो आत्मनिर्भर मंदिर हैं-उन पर चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन जो व्यक्तिगत मंदिर हैं और जो समाज के मंदिर हैं उन पर समाज की परम्पराओं के आधार पर, रिवाज के आधार पर चढ़ावा चढ़ाया जाय-उसका न हमें ज्ञान है और न वह हमारे कंट्रोल में है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित)

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

अध्यापकों का फिक्सेशन

६३५. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सुनेल मध्य भारत से राजस्थान में कब मिला और कब सुनेल के अध्यापकों के ग्रेड को राजस्थान के अध्यापकों के ग्रेड के समानान्तर किया गया?

(२) क्या यह सही है कि सुनेल के अध्यापकों को जिनकी सेवायें राजस्थान सरकार के अधीन आई हैं, अभी तक राजस्थान सरकार के मैट्रिक व मिडल के ग्रेड प्राप्त नहीं हुए हैं? अगर हां, तो कृपया उनकी संख्या बतावें।

(३) क्या यह सही है कि कुछ अध्यापक अपने ग्रेड की मांग करते हुए रिटायर हो गये हैं, परन्तु अभी तक उनके ग्रेड का फिक्सेशन न होने के कारण उनकी पेंशन भी रुकी हुई है? अगर हां, तो ऐसे अध्यापकों की संख्या क्या है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सुनेल मध्य भारत से राजस्थान में १-११-५६ को मिला। मध्य भारत से जिन अध्यापकों को लिया गया उनका ग्रेड ५०-६५ व ४०-५० था, जब कि राजस्थान में उसी योग्यता वाले अध्यापकों का ग्रेड ५०-८० व ४०-५० था; इससे विदित होगा कि ऐसे अध्यापकों का ग्रेड

(श्री श्री निरंजननाथ आचार्य)

राजस्थान के ग्रेड से पहले ही ऊंचा व समान था और उनके लिए राजस्थान की मैट्रिक व मिडल ग्रेड से क्रमशः लाभदायक या बराबर था।

(२) जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इनका मध्य भारत में पहले से ही राजस्थान के मैट्रिक ग्रेड से अधिक ग्रेड था व मिडल का बराबर का ग्रेड था। इसलिए १–९–६१ से पहले तक जब तक कि राजस्थान की तृतीय वेतन श्रृंखला ७५–१६० लागू नहीं हुई, अधिकांश अपने पुराने ग्रेड में ही, जो इनके लिए हितकर था, रहे। और १–९–६१ से ऐसे अध्यापकों को तृतीय वेतन श्रृंखला में फिक्स कर दिया गया, केवल १ अध्यापक का फिक्सेशन उसकी सर्विस बुक उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सका और उसका भी फिक्सेशन शीघ्र ही करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(३) यह सही है कि फिक्सेशन न होने कारण किसी भी अध्यापक का पेंशन केस रुका हुआ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रुका हुआ नहीं है पेंशन का केस ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, नहीं है। एक अध्यापक है, जिसका मैंने जिक्र कर दिया, उसको भी हम शीघ्रातिशीघ्र कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये फिक्सेशन कब किये हैं ? १९६१ की वेतन श्रृंखला में फिक्सेशन कब किए हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १-९-६१ के पहले अन्य वेतन श्रृंखला थीं। १९६१ की वेतन श्रृंखला में १९६१ में फिक्सेशन कर दिये थे।

श्री भैरोंसिंह : बाद की वेतन श्रृंखला हैं उनके अनुसार फिक्सेशन कब किए हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १९६१ में १-९-६१ के बाद में ऐसे व्यक्तियों को तृतीय वेतन श्रृंखला में फिक्स कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : १-९-६१ को कर दिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां। १-९-६१ से।

श्री भैरोंसिंह : 'से' तो आपने कर दिया, लेकिन किया कब, यह मैं पूछ रहा हूं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तारीख मुझे मालूम नहीं है. It is operative from 1.9.61.

श्री भैरोंसिंह : १-९-६१ को ऑपरेटिव है, यह फिक्सेशन की कार्यवाही कब समाप्त की है, कब किया है फिक्सेशन ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन कभी किया है, उनको १९६१ के वेतन–श्रृंखला का फायदा मिल गया है।

श्री भैरोंसिंह : 'कभी किया हो' का प्रश्न नहीं है। क्या यह सही है कि सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

के फिक्सेशन के अनुसार जो एरियर्स बनते है उसके एक नये पैसे का भी भुगतान नहीं किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एरियर्स का तो मैं अर्ज नहीं कर सकता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : हो सकते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हो सकता है, एरियर्स क्यू हो सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दें, अभी किया है फिक्सेशन ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिक्सेशन तो १-९-६१ के बाद कर दिया, अब एरियर्स का प्रश्न रहता है । अध्यक्ष महोदय, एरियर्स के प्रश्न पर कितना एरियर बाकी है, कितना नहीं है-यह जानकारी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि यह प्रश्न में उत्पन्न नहीं होता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदस्य चाहते क्या हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जो सर्विस बुक नहीं मिल रही है वह कहां गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह हो गई है इधर उधर । जब इस तरह ट्रान्सफर होता है, जैसे सुनेल का हुआ तो ट्रान्जिट में इधर उधर हो गई । यह महालेखापाल के पास प्रश्न पड़ा है ।

श्री भैरोंसिंह : वह ठीक है । क्या यह सही है कि सुनेल जिस वक्त मध्य प्रदेश से ट्रान्सफर हुआ उस वक्त यह फाइल नहीं खोई थी । जब फिक्सेशन के सम्बन्ध में फाइल मंगाई विभाग के द्वारा उस वक्त यह फाइल गुम हुई है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस प्रश्न के ऊपर चले गये; कहां खोई, कब खोई । इसकी जानकारी मैं कैसे दे सकता हूं ?

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी रखनी चाहिए । एक सर्विस बुक खो जाय और आपको जानकारी नहीं हो !

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं, जानकारी दे कैसे सकते हैं ? है तो उनके पास जानकारी !

श्री निरन्जननाथ आचार्य : साथ में किताब का प्रश्न जोड़ दिया । मैं कह रहा हूँ कि हम इसमें जल्दी कर रहे हैं, फिर उससे उनको संतोष होना चाहिए । आपका फिक्सेशन का प्रश्न है, एरियर का प्रश्न है । अब सर्विस बुक खोई है या नहीं खोई है, यह प्रश्न कतई नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह : क्या यह सही है कि इसका फिक्सेशन इस साल हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : पिछली साल हुआ, इस साल नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह : इस साल ? और जो ग्रेड उनको दी जानी चाहिए वह नहीं दी जा रही है ।

Page No.27

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : जिनका फिक्सेशन हुआ है उनको एरियर नहीं दिये गये हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एरियर्स तो कितनों के ही बाकी हैं । यह भी हो सकता है ।

श्री फूलचन्द जैन : अन्दरूनी बात बताइये । यह नहीं कि बहुत के हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अन्दरूनी कितनों को दिया गया है, यह नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३८

श्री जोधसिंह चौहान !

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

देवस्थान विभाग की सम्पत्ति

६१५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में और राज्य के बाहर अन्य प्रान्तों में देवस्थान विभाग की जो जो अचल सम्पत्ति है उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि यह सम्पत्ति, मकान, दूकानें आदि बहुत ही कम किराये पर दी हुई हैं और इस कारण विभाग को बहुत बड़ी हानि हो रही है ?

(३) क्या सरकार इस प्रकार की सम्पत्ति के किराये का एसेसमेन्ट कराने का विचार रखती है ?

(४) यदि इस सम्पत्ति का किराया रेन्ट कन्ट्रोल के तहत निर्धारित कराया जाये तो अनुमानतः कितना लाभ राज्य सरकार को हो सकता है ?

(५) क्या यह सही है कि इस सम्पत्ति के कई किरायेदारों से इतना कम किराया भी वसूल नहीं हो पाता है और इसके लिये भी पी० डी० आर० एक्ट के तहत वसूली के कई मुकदमे चल रहे हैं ?

(६) क्या सरकार उपरोक्त सभी बातों के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(१) राज्य में और राज्य के बाहर अन्य प्रान्तों में देवस्थान विभाग की जो अचल सम्पत्ति है उसके विवरण की सुचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(२) यह सही नहीं है कि यह सारी सम्पत्ति मकान व दूकानें आदि कम किराए पर दी हुई हैं । अतः हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी हां । इस बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

Page No.28

(श्री देवस्थान मंत्री)

(४) किराया निर्धारित होने पर ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

(५) यह सही है कि कई किराएदारों से किराया वसूल नहीं हो पाया जिसके लिए अन्य तरीकों के अलावा कहीं २ पी. डी. आर. एक्ट के तहत भी वसूली के मुकदमे चल रहे हैं।

(६) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही बराबर की जाती है। जहां तक वसूली का प्रश्न है पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अतिरिक्त ऐसे किराएदार, जिनके जिम्मे अधिक बकाया हो जाती है उनसे मकान, अथवा दुकान आदि को खाली कराने के लिए भी कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने से संविधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निम्बाहेड़ा-बेंगू बस रूट का परमिट

६१६. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निम्बाहेड़ा-बेगू बस का परमिट कौनसी रूट का है ?

(२) बस नम्बर आर०जे०एच० ४६ का कौनसा मॉडल है ? इसमें एन्जिन की कौनसा है ?

(३) क्या यह सही है कि परमिट में तथा रजिस्ट्रेशन में एन्जिन नम्बर कुछ और है तथा गाड़ी में जी. एम. सी. का एन्जिन लगा है?

(४) यदि हां, तो इस मोटर को कैसे पास किया गया तथा इस गलती के लिये कौन दोषी है ?

उत्तर

(१) निम्बाहेडा–बेंगू बस का परमिट निम्बाहेड़ा-बेंगू वाया जवाद, आथना, कनेरा जाट रूट का है।

(२) बस नं० आर० जे० एच० ४६ (स्टूडीबेकर) १६४७ मोडल की है। और इसमें जी० एम० सी० २७०५३३५८४ का एन्जिन लगा है।

(३) जो एन्जिन गाड़ी में लगा हुआ है वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज है, जो बिल्कुल सही है।

(४) इस मोटर को दिनांक १६–१२–६४ को इन्सपेक्शन बोर्ड द्वारा फिटनेस दिया गया है। गलती का प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय के कॉलेजों में शिक्षक

६१७. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले कॉलेजेज़ में तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक राजस्थान एज्यूकेशनल सर्विस द्वारा लिये गये हैं तथा कितने डाईरेक्टली लिये गये हैं ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(२) क्या इन शिक्षकों को सर्विस कन्डीशन्स में भेदभाव हैं ?

(३) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय तथा राजस्थान सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

उत्तर

वांछित सूचना इस प्रकार है :—

(१) (अ) राजस्थान एज्युकेशनल सर्विसेज द्वारा कालेजों में लिए गए और विश्वविद्यालय में स्थानान्तर हुए १६६

(ब) जो अध्यापक सीधे कॉलेजों में नियुक्त हुए व विश्वविद्यालय में आए-८६

(स) राजस्थान एज्युकेशनल सर्विस के विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त किए १५

(द) विश्वविद्यालय द्वारा सीधे लिए गए ८१

३८४

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

पंचायत समिति सिकराय को विभाग द्वारा दी गई धनराशि तथा उसका उपयोग

८१६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : (सिकराय) : क्या समज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

समाज कल्याण विभाग द्वारा पंचायत समिति सिकराय को अब तक कितनी धनराशि दी गई है ? वह धनराशि किस किस कार्य में व्यय की गई है और उन कार्यों की प्रगति क्या है ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राजकीय बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला, भरतपुर में विज्ञान की कक्षाएं तथा अध्यापकों की व्यवस्था

६२० श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजकीय बहुद्देशीय उच्चत्तर माध्यमिक शाला, भरतपुर में विज्ञान की कक्षाओं को पढ़ाने के लिये इन्टर-मिजियेट अध्यापकों को लगा दिया है और ट्रेन्ड साइन्स ग्रेजुएट टीचर्स को सामान्य विज्ञान के अध्यापन का कार्य दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या यह बोर्ड के नियमों के अनुकूल है ?

उत्तर

जी हां, सत्य है। विज्ञान के ग्रेजुएट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण ही इन्टरमीजियेट अध्यापकों को इन विषयों को पढ़ाने के लिए रखना पड़ा है। राजकीय बहुउद्देशीय उच्चत्तर माध्यमिक विधालय, भरतपुर में ३६ सैक्शन्स होने के कारण इसे दो पारियों में चलाया जा रहा है और वहां पर पर्याप्त मात्रा में बी० एस सी० और एम०एस सी० पास अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं।

Page No.30

भरतपुर जिले की पंचायत समितियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

६२४. श्री **सांवलिया राम** (रूपवास-सु.): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भरतपुर जिले की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के लिये प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है, उसमें से पंचायत समितियों को कितनी और शिक्षा विभाग को कितनी ?

(२) क्या यह राशि छात्रों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है ?

उत्तर

(१) भरतपुर जिले की अनुसूचित एवं अनुसूचित जन–जाति के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के लिये प्रावधान के अनुसार शिक्षा विभाग और पंचायत समितियों को प्रतिवर्ष धनराशि दी जाती है। पिछले दो वर्षों में निम्नांकित धनराशि दी गई :

क्रमांक	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन–जाति को दी गई धनराशि
१	२	३	४
		मैट्रिक से ऊपर की कक्षाओं के लिये	
१ :	१९६३–६४	१५५१५	६६३७
२ :	१९६४–६५	२२३४६	१४१२२
		मैट्रिक पूर्व की कक्षाओं के लिये	
१ :	१९६३–६४	९६७९	४३०३
२ :	१९६४–६५	१००००	२५०००
		पंचायत समितियों के क्षेत्र में कक्षा ५ तक के लिये	
१ :	१९६३–६४	१००००	२१४५
२ :	१९६४–६५	१००००	१२८४

(२) जी नहीं। सीमित प्रावधान के कारण समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति देना सम्भव नहीं है।

माध्यमिक कन्या पाठशाला रामगढ़ का भवन

६२५. **कुमारी उमा माथुर** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि माध्यमिक कन्या पाठशाला रामगढ़ के भवन की हालत जीर्ण-शीर्ण हो रही है व हर समय बच्चों के गिर जाने का भय रहता है ?

यदि हां, तो सरकार इस शाला की कब तक मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। मरम्मत कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शिवपुरी नेशनल हाईवे की मरम्मत

६२८. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

(१) क्या यह सही है कि बारां से शाहबाद-कस्बा थाना जाने वाली शिवपुरी नेशनल हाईवे की बहुत दुर्दशा हो रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के बारे में मन्त्री महोदय का ध्यान कई बार आकर्षित किया जा चुका है ?

(३) इस सड़क की अब तक मरम्मत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) सड़क की हालत ठीक नहीं है।

(२) जी हां।

(३) ५ मील की मरम्मत कर दी गई है तथा ६ मीलों में कार्य चालू है। दस मीलों की मरम्मत अगले वर्ष करने की आशा है।

प्रतापगढ़ खास के छात्रावास में विद्यार्थियों की संख्या

६३१. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या प्रतापगढ़ खास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये कोई छात्रावास है ? यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों का और उसका वार्षिक बजट क्या है?

(२) क्या यह सही है कि इस छात्रावास में विद्यार्थियों के लिये स्थानों की संख्या कम है ? यदि हां, तो भविष्य में कब तक वृद्धि की जायगी ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतापगढ़ शहर में अनुसूचित जन-जाति के लिये एक राजकीय छात्रावास तथा इस विभाग से अनुदानित सहायता से एक छात्रावास (अचनेरा अरनोद) में राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ द्वारा चलाया जाता है। अनुसूचित जाति के लिये विभाग द्वारा कोई छात्रावास नहीं चलाया जाता है।

(२) राजकीय छात्रावास जो प्रतापगढ़ में चलता है उसका समस्त खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा अचनेरा अरनोद में जो छात्रावास चलता है वह राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ द्वारा विभाग की सहायता से चलाया जाता है।

(३) जी हां, प्रतापगढ़ खास में ५० अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिये एक छात्रावास चलाया जाता है। उसका वार्षिक बजट १६,३०० रुपये हैं।

(४) जी नहीं। सरकारी छात्रावास प्रतापगढ़ में स्वीकृत संख्या ५० हैं और वहां इतने छात्र गत वर्षों में नहीं रहे हैं। अतः वृद्धि का प्रश्न अभी नहीं उठता।

युनिवर्सिटी में आर्किलियोजिकल विषय पढ़ाने की व्यवस्था

६३३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में दूसरे सभी राज्यों के मुकाबले में सबसे अधिक संग्रहालय हैं तथा प्राचीन राजकीय स्मारक हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि फिर भी दूसरे राज्यों की भांति हमारे राज्य की किसी भी युनिवर्सिटी में संग्रहालय शास्त्र शिलालेख मुद्राशास्त्र या आर्किलियोजिकल विषय पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है ?

(३) क्या सरकार के पास ऐसे विषय पढ़ाये जाने सम्बन्धी कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक

६३६. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों को उसी तारीख से राज्य सेवा में माना है जिस तारीख को उनकी नियुक्ति हुई थी ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों को ?

उत्तर

जी हां कुल ६१३ अध्यापकों क।

चीरवा का घाटा सड़क का ठेका

६३८. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-—

(१) क्या यह सही है कि चीरवा का घाटा एन. एच. डब्ल्यू. के कार्य का ठेका २ लाख रुपये का श्री शोभालाल ठेकेदार को दिया गया था जिसके एग्रीमेंट के अनुसार ठेकेदार द्वारा सड़क के मोड़ ठीक किये जाने थे और सड़क को चौड़ा किया जाना था ?

(२) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा नहीं किये जाने के बावजूद भी श्री जगदम्बालाल सुपरिण्टेंडिंग इन्जीनियर ने ठेके की पूरी रकम का भुगतान कर दिया और अब वह कार्य विभागीय तौर पर किया जा रहा है ?

(३) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कर दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां, ठेकेदार को भुगतान उतना ही किया गया है जितना कि उसने कार्य किया था। कुटाई का कार्य विभाग द्वारा किया गया था।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर-भरतपुर रूट की बसों की संख्या

४४. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-मु.) : क्या यातायात मन्त्री यह

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेम)

बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर-भरतपुर रूट पर चलने वाली बसों की संख्या कम है ? यदि हां, तो क्या इस रूट पर और अधिक बसें चलाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । प्रत्येक मार्ग पर गाड़ियों की संख्या यात्रियों की संख्या को देखते हुए ही रखीजाती है ।इस मार्ग पर गाड़ियां यात्रियों को देखतेहुए कम नहीं हैं । इसलिए अधिक गाड़ियां लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला सवाई माधोपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई धनराशि का व्यय

४५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला सवाई माधोपुर को सन् १९६१ से १९६४ तक प्रत्येक वर्ष समाज कल्याण विभाग की तरफ से कितनी कितनी धनराशि मिली है और कहां के लिये ?

(२) क्या प्रत्येक वर्ष मिलने वाली राशि सम्बन्धित कार्यों पर व्यय कर दी गई है और क्या वे कार्य पूर्ण हो चुके हैं ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला सवाई माधोपुर में सन् १९६१ से १९६४ तक जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसकी सूची "अ" और विभाग द्वारा इस जिले के लिये उक्त काल में स्थानान्तरण की की गई धनराशि की सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर स्पिनिंग मिल्स द्वारा बोनस

४६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, बाजार) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स द्वारा अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना डिविडेन्ड उसके शेयर होल्डर्स को दिया गया है और राज्य सरकार को कितना कितना मिला है ?

(२) शेयर होल्डर्स का कितना कितना डिविडेन्ड बाकी है और किस किस वर्ष का ?

(३) इस मिल द्वारा अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना बोनस मजदूरों को मिला है और किस किस वर्ष का कितना कितना बाकी है ? और यदि बोनस नहीं दिया गया तो क्यों ?

(४) इस मिल की आरम्भ में कितनी पूंजी थी और अब कितनी है ?

उत्तर

१—जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स

(श्री उद्योग मंत्री)

लिमिटेड ने अधिमान्य (Preferential) हिस्सों पर ३१-८-५३ तक का डिविडेण्ड २ बार में निम्न प्रकार दिया है :—

समय	राज्य सरकार को	अन्य शेयर होल्डर्स को
१९४६-३१-८-५०	८६,८२५.३६	१०६२१७.२७
१९५०-३१-८-५३	१८२७२४.६०	१८३५३१.०१
योग	२७२५५०.३५	२८६७४८.२८

२-किसी का कोई डिविडेण्ड बाकी नहीं है।

३-कम्पनी को लाभ न होने के कारण अभी तक कोई बोनस मजदूरों को नहीं दिया गया है।

४-आरम्भ में २०,००,००० रुपये। अब ४६,६६,७०० रुपये।

खेरखड़ी नदी पर पुलिया निर्माण तथा उस पर व्यय

४७. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां-शाहबाद सड़क पर खेर-खड़ी नदी पर जो पुलिया बनी है उस पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(२) यह काम ठेके द्वारा कितना हुआ तथा विभागीय तौर पर कितना काम कराया गया तथा इस पर अलग २ कितना खर्च हुआ ?

उत्तर

१-८६,५२८ रु० व्यय हुआ है।

२-ठेकेदार द्वारा ७७,०३६ रु० तथा विभाग द्वारा ६,४५६ रु० का कार्य अलग कराया गया है। इस तरह कुल ८६,५२८ का खर्च हुआ।

जालोर से बागरा वाया सीयाना बिजली

४८. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जालोर से बागरा होती हुई सीयाना तक बिजली इस वर्ष पहुंच जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इस बिजली लाइन से कई काश्तकार अपने कुओं पर बिजली ले सकेंगे ?

उत्तर

१-बागरा को बिजली देने की कोई योजना नहीं है क्योंकि यहां की जनसंख्या ५००० से कम है।

२-प्रश्न नहीं उठता।

बुनियादी शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालयों के अध्यापकों के ग्रेड

४९. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) :

(श्री जोधसिंह चौहान)

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों का १ सितम्बर, १६६१ के घोषित नवीनवेतन मान में क्या पुराने वेतनमान १५०-१५-३०० का समकक्ष वेतन मान घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा ?

(२) क्या यह सही है कि १५०-१०-३०० के वेतनमान का समकक्ष नवीन वेतनमान १७०-३२५ ही है ? यदि हां, तो १५०-१५-३०० के वेतनमान को १७०-३३५ का नवीन वेतनमान क्यों माना गया है ?

(३) १ सितम्बर, १६६१ के नवीन घोषित वेतनमान के पूर्व १५०-१५-३०० के वेतनमान का रेशनलाइज़ेशन आफ पे क्यों नहीं हो पाया ? अब कब तक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

१—जी हां।

२—पुराने वेतनमानों को नवीन वेतनमान के समकक्ष घोषित करने से पहले सरकार ने उचित विचार के बाद ही १५०-१५-३०० की वेतन-शृंखला को १७०-३३५ की वेतन-शृंखला में परिणत किया है।

३—१५०-१५-३०० की रेशनलाइज्ड में स्केल्स में अब मान लिया गया है।

(११. ५८ म. प.)

स्थगन-प्रस्तावों पर वक्तव्य विषयक

श्री अध्यक्ष : आज सरकार की ओर से दो वक्तव्य दिये जायेंगे; एक तो चूरू रतनगढ़ की घटना से डी. आई. जी. की रिपोर्ट से सम्बन्धित वक्तव्य देने के लिए आज समय निर्धारित किया गया है। और दूसरा मुख्य मन्त्रीजी, बून्दी में जो जमीन का बंटवारा हुआ है, एलॉटमेंट हुआ है, उसके सम्बन्ध में बयान देंगे।

(१२.०० मध्यान्ह)

बूंदी जिले में भूमि का अवंटन सम्बन्धी मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान के निर्माण के बाद, देश के अन्य राज्यों की तरह, यहां भी अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन को बल देने के लिये तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री सी० एस० वेंकटाचारी के समय में दिनांक १५-३-१६५१ को विशेष प्रकार के नियम राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित किये गये और इन नियमों में दिनांक २५-३-५२ को कुछ और संशोधन किये गये। इन नियमों के अन्तर्गत "अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन" को सफल बनाने की दृष्टि से कई रियायतें, जैसे लगान में छूट, तथा कृषि मशीनों के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिए ऋण की विशेष व्यवस्था आदि सुविधायें दी गईं। ऐसे नियम शायद इसी दृष्टि से बनाये गये थे कि राज्य में कई जगह लाखों एकड़ जमीन पड़त थी और उसमें शीघ्रातिशीघ्र खेती करवाना उपयुक्त समझा गया। इन नियमों के अन्तर्गत सारे राजस्थान में लाखों एकड़ जमीन का आवंटन किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उस समय बूंदी जिले में बूंदी रियासत के काश्तकारों के हकूक का कानून १६४२ में भी प्रचलित था, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो बंजर किस्म की जमीन को नोतोड़ करता वह ही उस जमीन का खातेदार बन जाता था। कोई पूर्व आज्ञा या इजाजत की भी आवश्यकता नहीं थी।

मेरे रिश्तेदारों के नाम बूंदी जिले में जो जमीन अलॉट हुई और जिसका रकबा लगभग १८४ एकड़ है, उस मामले को लेकर सदन में समय समय पर बहस उठा करती है। इस सम्बन्ध में मैं पहिले स्पष्टीकरण कर चुका हूं, अब इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझता।

सदन में १६६५-६६ के बजट पर हुए सामान्य वाद-विवाद के दौरान दिनांक १३-३-६५ को मेरे द्वारा ऐसा कहा जाना बताया जाता है कि मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो इसके अन्दर गैर कानूनी हो तो सदस्य तीन व्यक्तियों की जो निष्पक्ष हों, वे इसमें कह दें तो चाहे उस पर मेरा हक नहीं है और वह रिश्तेदारों की जमीन है, लेकिन यह भी मालूम पड़ जाय कि इसमें गैर कानूनी कार्यवाही की गई है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इमीजियेटली वह कन्सिल कर दी जायगी। मेरे इस कथन के पीछे एक ही भावना थी कि मैं माननीय सदस्यों को यह प्रार्थना करूं कि वे सारे प्रश्न पर निष्पक्ष दृष्टि से विचार कर अपनी राय जाहिर करें। जो कुछ मैंने सदन में कहा उसकी कतई मन्शा यह नहीं थी कि सदन के तीन माननीय सदस्यों की कोई बाजाब्ता समिति नियुक्त की जाय और वह समिति इस सारे मामले की जांच पड़ताल करे। मेरे कहने का जो कुछ आशय था वह यही था कि तीन व्यक्ति जो निष्पक्षता से कह दें कि इसमें गैरकानूनी कार्यवाही हुई है तो मैं इसमें छानबीन करा लूं और यह मालूम पड़ने पर कि इसमें गैर-कानूनी कार्यवाही की गई है तो मैं उसको रद्द करवा दूं।

मेरे इतना कहने के बावजूद भी दिनांक २२-३-६५ को इस सदन में जिस प्रकार का वाद-विवाद हुआ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वातावरण बनाया गया और जिस प्रकार का व्यवहार किया गया उससे किसी को भी निष्पक्षता का एहसास नहीं हो सकता। फिर भी मैंने इस सदन में यह कहा कि इस मामले को राजस्व मंडल के किसी सदस्य या और कोई अधिकारी जिसका नाम माननीय सदस्य बता सकें, को रेफर करने को तैयार हूँ। इस मामले की न्यायिक जांच के लिये मैंने सदन में कभी भी कोई आश्वासन नहीं दिया। जो भी आरोप इस सदन में लगाये जाते हैं हरएक आरोप में न्यायिक जांच होना न तो संभव है और न उचित ही। लेकिन जब मेरे इस प्रस्ताव को, जिन लोगों ने इस प्रश्न पर आक्षेप किये थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तब मैंने मुख्य सचिवजी को यह कहा कि वे तुरन्त राजस्व मंडल के अध्यक्ष को लिखें और उन्हें कहें कि वे इस भूमि आवंटन की वैधानिकता से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी करने के लिये राजस्व मंडल के किसी सदस्य को मनोनीत कर दें। मैं स्वयं इस बात का उत्सुक था कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं, उनके संबंध में तथ्यों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र राजस्व मंडल के किसी सदस्य को यह मामला रेफर कर दिया जाय, ताकि सही स्थिति स्पष्ट हो सके। मुझे यह सूचित किया गया है कि राजस्व मंडल के अध्यक्ष ने श्री आर० एन० मधोक को इस मामले से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी करने के लिये मनोनीत कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से अब उनको यह लिखा जा रहा है कि वे पूरी जानकारी कर यह बतायें कि आया :

(१) जो जमीनें सन् १९५३ में मेरे सम्बन्धियों को अलॉट की गई थीं वे उस समय के प्रचलित कानून या नियमों के अनुकूल थी या नहीं।

(२) आज इन व्यक्तियों को, जिन्हें सन् १९५३ में भूमि आवंटन की गई थी, उन जमीनों को अपने कब्जे में रखने के कानूनी अधिकार है या नहीं।

(३) तत्कालीन कमिश्नर, कोटा डिवीजन के जिन अलॉटमेन्ट्स को रद्द करने का हुक्म दिया, उस जमीन पर अब भी इनका कब्जा है या वह भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है? मैं सदन की जानकारी के हेतु नोटिफिकेशन नं० एफ. ३ (१३२) रेवेन्यू। ५१ दिनांक १५-३-५१, नोटिफिकेशन नं० एफ ३ (१३२) रेवन्यू ।। ५१ दिनांक ६।२५. ३. ५२ एवं बूंदी रियासत के काश्तकारों के हकूक का कानून सन् १९४२ की धारा १९ तथा नोटिफिकेशन नं० एफ ६ (८४) रेवेन्यू ।। ५३ दिनांक १८. ६. ५४ की प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत कर रहा हूं। जिससे शायद माननीय सदस्यों को मामले को समझाने में सुविधा रहेगी।

चूंकि राजस्व से सम्बन्धित सभी मामलों को तय करने वाली राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक (राजस्व मंडल) के एक सदस्य को यह सारा मामला रेफर कर दिया गया है, अतः अब इस प्रश्न पर अधिक कुछ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं कहना चाहता। लेकिन सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उक्त जानकारी के पश्चात् जो भी सुझाव राजस्व मंडल के सदस्य द्वारा दिये जायेंगे उन पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो माननीय मुख्य मन्त्री यह स्पष्टीकरण कर दें कि राजस्व मंडल को जाँच करने की कार्यवाही के लिये उन्होंने कहा है, मैं यह चाहता हूं कि उनकी खुद की क्या मान्यता है कि जो जमीनों का अलॉटमेंट हुआ, क्या वह सही है ? मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने स्टेटमेंट दिया, इसको राजस्थान की पूरी जनता पढ़ेगी। इस दृष्टि से यह गम्भीर प्रश्न है कि ये आरोप क्यों लगे ? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसको हाउस के डिस्कशन के लिये लिया जावे और हाउस में इसके लिये समय दिया जाए।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : पोइन्ट ऑफ ऑडर, सर। मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जब माननीय चीफ़ मिनिस्टर ने इसको राजस्व मंडल के अध्यक्ष के सुपुर्द कर दिया और वे इसको लेने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न पर कोई वाद–विवाद होने का यह मतलब होगा कि राजस्व मंडल के अध्यक्ष को प्रेज्युडिस करना होगा और हमारे यहां की मान्यता इस प्रकार की रही है कि जो पोइन्ट रेफर किया जावे जुडिशियरी को या राजस्व मंडल को तो यह जरूरी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर जिस पर माननीय मुख्य मन्त्री ने वक्तव्य दिया है, हमने एक पत्र माननीय चीफ मिनिस्टर को लिखा था और उसमें हमने यह मांग की थी मुख्य मन्त्री से कि या तो इस प्रकार का इन्टरप्रेशन जो उनके १३-३-६५ के वक्तव्य से सीधा निकलता है, उसके अनुसार वे सदन के तीन सदस्यों की समिति के सुपुर्द यह मामला करें या उसके बाद २२-३-६५ को अपने वक्तव्य में इस बात की घोषणा की कि या तो राजस्व मंडल के एक सदस्य को या और किसी अधिकारी को जिसको माननीय सदस्य कहें, उसके सुपुर्द करने को तैयार हूं। इस पर हाई कोर्ट के एक जज का नाम लिया गया जिसको मुख्य मन्त्रीजी ने स्वीकार नहीं किया। उसमें हमने इस बात को स्पष्ट कहा था या तो तीन सदस्यों की या हाई कोर्ट के जज को नियुक्त किया जावे, तब ही इस प्रश्न पर निष्पक्षता से जांच हो सकती है, ऐसा हम अनुभव करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस रूप से सदन में आया है और जो तथ्य सदन के सामने हैं स्वयं सरकार की तरफ से स्वीकृत किया गया है। हमने जैसा अपने पत्र में इस प्रकार की मांग की है कि या तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा इसकी जांच की जावे या सदन के तीन सदस्यों की कमेटी द्वारा जांच की जावे। इसका आशय यह है कि चाहे जमीन का अलॉटमेंट खुद चीफ मिनिस्टर द्वारा नहीं किया गया हो परन्तु यह तथ्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है कि जिस समय यह जमीन ग्रलॉट की गई उस समय माननीय मुख्य मंत्री राजस्व विभाग के मंत्री थे और जिस समय इस जमीन पर उनको कैन्सल करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ या उस जमीन पर खातेदारी हकूक देने का प्रश्न पैदा हुआ उस समय भी यह मामला कन्ट्रोवर्सी का था और उस समय जब कि इन दोनों प्रश्नों को तय किया गया, मुख्य मन्त्री महोदय राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे। इसलिये चाहे ये ऑर्डर्स मुख्य मन्त्री के खुद के न हों, यह तथ्य है कि ये उस काल में किये गये जिस समय कि वे इस राज्य में मुख्य मन्त्री थे। इसलिये यह स्वाभाविक है, इस तरह का सन्देह उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है कि जो ग्रलांटमेंट किया गया उसमें जिन अधिकारियों ने अलॉटमेंट किया या ग्रॉर्डर किया, उसमें मुख्य मन्त्री की माननीय अलॉटीज़ ने फायदा अनुचित रूप से उठाया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रश्न दूसरी स्टेट्स में भी उठा है, जहां पर कि वहां के मुख्य मन्त्री जी पर डाइरेक्टली इस प्रकार का ग्रारोप नहीं था कि उन्होंने स्वयं ने ऑर्डर दे कर अपने रिश्तेदारों को अनुचित लाभ दिया, बल्कि उनके खिलाफ भी इसी प्रकार का आरोप था कि उनके निकट रिश्तेदारों ने अनुचित प्रभाव मुख्य मन्त्री के पद का डाल कर इस प्रकार के गैर कानूनी लाभ उठाये हैं। इसका उदाहरण हमारे पड़ोस में पंजाब राज्य है, जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई, इन्हीं तथ्यों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मामला सुपुर्द किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फाइन्डिंग्ज दिये हैं उनमें साफ तौर से कहा है कि जो भी कार्यवाही हुई है उसमें चाहे मुख्य मन्त्रीजी ने डाइरेक्टली इन चीजों का लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये ग्रॉर्डर नहीं दिये, इन लोगों को फायदा पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी ये सारी चीजें उनकी जानकारी में हुई, उनको पता था, मुख्य मन्त्री होते हुए रोका नहीं, लोग इस तरह का फायदा उठाते रहे, यह अनुचित है, अवांछनीय है। इसी बुनियाद पर उनको पद-त्याग करने के लिये कहा गया।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, हमारा यह आग्रह है कि इस प्रश्न में भी जिनको कि जमीनों का ग्रलॉटमेंट हुआ है, जो ग्रलॉटीज़ हैं, वे मुख्य मन्त्री जी के निकट सम्बन्धी हैं, एक ही परिवार के सम्बन्धी हैं......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ऑन ए पॉइन्ट ग्रॉफ ऑर्डर, सर......

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके शासन काल में हुआ, चाहे वे पंजाब में ज्यादा वेल्यूज़ की हों पर जो नेचर ग्रारोप का है वह एक जैसा है, इसलिये इसका निराकरण तभी हो सकेगा जब कि ऐसी ऑथोरिटी को इस मामले की जांच के लिये मुकर्रर किया जाय जो कि मुख्य मंत्रीजी के एड्मिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल में न हो, अधिकार में न हो। जब तक ऐसी ग्रॉथोरिटी के द्वारा जांच नहीं की जाती, तब तक निष्पक्ष जांच होने की कोई आशा नहीं की जा सकती और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मुख्य मन्त्रीजी इन आरोपों से मुक्त नहीं हो सकते और जनता में व इस सदन में संतोष पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिये मुख्य मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे हमें संतोष नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी जब तक यह स्वीकार नहीं करें तब तक यह कार्यवाही जो वे कर रहे हैं, वह केवल आंखों में धूल भोंकने जैसी है।

श्री मोतीलाल चौधरी : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, यह मामला जांच के लिये रेफर कर दिया है, मुख्य मन्त्रीजी ने स्पष्ट रूप से स्टेटमेंट दिया है कि रेवेन्यू बोर्ड के सीनियर मेम्बर को रेफर कर दिया है। रेफर करने के बाद उसके मेरिट्स के आधार पर रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स एन्क्वायरी कर रहे हैं तो क्या यह उचित होगा कि इस प्रकार का रिफ्लेक्शन किया जाय, उनकी पोजिशन पर क्या इस तरह की बहस का असर नहीं पड़ता। अपने रूल्स बने हुए हैं, हाउस की तरफ से कोई मामला, सरकार की तरफ से कोई मामला जुडिशियल बोडी को, किसी कमेटी को या, किसी बोर्ड के सदस्य को रेफर कर दिया जावे तो क्या रेफर करने के बाद इस तरह उसके मेरिट्स में जावेंगे, तो क्या उसका रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा उस मेम्बर पर। माननीय सदस्य ने कहा इसका तो रिफ्लेक्शन पड़ेगा। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय...

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, दो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाये जा चुके हैं, आपने व्यवस्था न दी...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आपकी व्यवस्था का एक प्रश्न तो यह उठाना चाहता हूं कि मान लीजिये मेरे काका मिनिस्टर हैं, मेरी कोई प्राइवेट प्रोपर्टी है, काका को क्या अधिकार है कि मेरी प्रोपर्टी की इस प्रकार से इन्क्वायरी करा लें। कानूनी ढंग से यह सरकार स्वयं बहुत अच्छी तरह से सक्षम है, इस बात को देखने के लिये और यह सरकार स्वयं ही देख कर कह दे कि सब बिल्कुल कानूनी तरीके से हुआ है। यह बात क्या है, मेरी समझ में नहीं आया कि मुख्य मन्त्रीजी ने एक दस-बारह साल पुराना मामला है इनके रिश्तेदार होंगे, यह क्या गुनाह हो गया, वे हुक्म देते हैं कि हम इन्क्वायरी करायेंगे, कौन पार्टीज़ बनेंगी, किस कानून के तहत कैसे क्या किया जायगा, आखिर किसी प्राइवेट पार्टी के कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स हैं, उसके राइट्स में चीफ मिनिस्टर महोदय कैसे एन्क्वायरी करा सकते हैं, सरकार की एन्क्वायरी पर वह पार्टी स्टे ला सकती है।

दूसरे, मैं यह पोइन्ट उठाना चाहता हूं कि इस बात पर इतनी अधिक चर्चा हो चुकी है कि जो एन्क्वायरी से सेटिस्फेक्शन होने की बात कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को निश्चित धारणा से वक्तव्य दे देना चाहिए कि हमने जांच कर ली है, यह बिल्कुल जायज़ है। माइनोरिटी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इतनी एग्रेसिव नहीं है कि सरकार काम नहीं कर सके। इस पर वक्तव्य पर वक्तव्य हुए तो इस चीज का अन्त नहीं आने वाला है मैं मूल-भूत रूप से इस सिद्धान्त के विरुद्ध हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं कानूनी मुद्दा उठाना चाहता हूं। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये। मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि एन्क्वायरी मुख्य मन्त्रीजी ने कॉन्स्टीट्यूट की है, इस प्रकार की कई एन्क्वायरीज कॉन्स्टीट्यूट करते हैं। क्रय विक्रय संघ के बारे में सदन में आश्वासन देकर एक एन्क्वायरी कॉन्स्टीट्यूट की और एक एन्क्वायरी आज सदन में स्टेटमेंट देकर कॉन्स्टीट्यूट की, क्रय विक्रय संघ के मामले की एन्क्वायरी में आपने एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार को मुकर्रर किया और इसमें रेवेन्यू मण्डल के, राजस्थान के राजस्व मण्डल के एक सदस्य को नियुक्त किया गया है।

क्रय विक्रय संघ के मामले की जांच के बाद जब विश्नोई रिपोर्ट सदन में मांगी गई तो वह रिपोर्ट इस सदन को नहीं दी गई, वह इस सदन की मेज पर नहीं लाई गई। उस रिपोर्ट के बहुत से अंश सदन में और राज्य सभा में पढ़ दिये गये और अखबारों में चर्चा हो गई तब इस सदन को वह रिपोर्ट दी। जो एन्क्वायरी मुख्य मन्त्री कॉन्स्टीट्यूट करवा रहे हैं, वह होने पर चार महीने बाद, ६ महीने बाद क्लेम किया जायगा, आज यह वातावरण पैदा किया जा रहा है, एक जुडीशियल बॉडी, क्वाजी जुडिशियल बॉडी के मेम्बर को जांच के लिए मसला सुपुर्द कर दिया और अपना दामन साफ कर लिया, वह एन्क्वायरी हो और रिपोर्ट आये वह अलग प्रश्न है, इस पर मैं बाद में कहूंगा, वह रिपोर्ट आये और अगर यह सदन के अधिकार में नहीं है कि वह हमारी टेबल पर आये तो ऐसी एन्क्वायरी रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं, वह रद्दी की टोकरी में डालने लायक है, इसके बारे में हमेशा सरकार की ओर से प्रिविलेज क्लेम किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेम्बर से एन्क्वायरी करवा रहे हैं वह किस कानून के किस प्रावधान के तहत, कौनसी सेक्शन के तहत, किस नियम के तहत एन्क्वायरी होगी, क्या ओपन कोर्ट की तरह एन्क्वायरी होगी ? यह कुछ नहीं। आपने कहा आर० एन० मधोक इस मामले की जांच करेंगे, आर० एन० मधोक साहब से उदयपुर मेडिकल कॉलेज की जमीन के मामले में जांच कराई गई थी, उसमें जिन लोगों ने इस सदन में उस जमीन के संबंध में प्रश्न उठाये, मधोक साहब ने उन लोगों को इत्तिला तक नहीं दी, मधोक साहब को उन लोगों ने इत्तिला दी तो भी उन्होंने उन लोगों को नहीं बुलाया अपनी एवीडेन्स टेन्डर करने को।

मुख्यमन्त्री के रिश्तेदारों के खिलाफ एन्क्वायरी होती है, जिन माननीय सदस्यों ने यहां सवाल उठाये हैं, ओपन कोर्ट के तहत अगर एन्क्वायरी नहीं हो तो उसकी वेल्यू क्या होगी। इसलिए मैं निवेदन करना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहता हूँ कि जहां मुख्य मन्त्री का खुद का प्रश्न इन्वोल्व्ड है, आर० एन० मधोक आइ० ए० एस० ऑफिसर हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार के नीचे सेक्रेटरी मुकर्रर होकर, कलेक्टर मुकर्रर होकर आ सकते हैं, उनकी पोस्ट कलेक्टर की पोस्ट के इक्वीवेलेन्ट है। उनको भय है कि कभी भी वे सरकार के नीचे कलेक्टर की पोस्ट पर, सेक्रेटरी की पोस्ट पर आ सकते हैं, कभी दूसरी बार उनको मजबूर किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा की गई एन्क्वायरी इन्डिपेन्डेन्ट नहीं।

जस्टिस का सिद्धान्त है कि केवल यही महसूस नहीं हो कि जस्टिस हो रहा है बल्कि जिनके साथ जस्टिस किया जा रहा है उनको भी महसूस हो कि उनके साथ जस्टिस किया जा रहा है। Justice should not only be done but it should seem that it is being done.

पर इसमें सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, हमको कोई जस्टिस का अहसास नहीं हो रहा है कि जस्टिस होगा। न ओपन कोर्ट होगा, न रिपोर्ट सदन की मेज पर आयेगी, न सदन को डिस्कस करने का अधिकार होगा, इसलिए इन परिस्थितियों में जो एन्क्वायरी कॉन्स्टीट्यूट की है वह बिल्कुल इन्सफीशियेन्ट है और मुख्यमंत्रीजी अपने दामन को साफ करना चाहते हैं, तो हम विरोधी दल के समस्त सदस्य एक मत होकर कहना चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट जज से इन्डिपेन्डेंट एन्क्वायरी बिल्कुल ओपन एन्क्वायरी कराएं और कमीशन्स ऑफ एन्क्वायरी के तहत, जिस प्रकार श्री दास को एपाइन्ट किया गया, कैरों के केस के अन्दर उसी तरह से कमीशन ऑफ एन्क्वायरी एपाइन्ट करके जांच करवाइए, तब हम कहेंगे कि आपका दामन साफ है, नहीं तो हम इस एन्क्वायरी को नहीं मन्जूर करते हैं और हम इसमे सन्तुष्ट नहीं हैं। इन सारे मुद्दों पर स्पष्टीकरण के बाद मुख्यमन्त्रीजी बताएं कि आया यह रिपोर्ट सदन की प्रोपर्टी होगी या नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में विवाद यह नहीं था जिस तरह से मुख्य मन्त्रीजी ने लिया है कि उनके रिश्तेदारों ने जमीन क्यों ली ? मैं समझता हूँ कि विधान सभा में जितने सदस्य बोले है, उनकी तरफ से इस बात की शिकायत नहीं थी कि उन्होंने क्यों जमीन ले ली है ? एक आदमी का अपना अधिकार होता है और वह अपनी जमीन पर अधिकार पाने के लिए किसी प्रकार कब्जा कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि इस जमीन को प्राप्त करने में मुख्य मन्त्री के पद का लाभ उन लोगों ने उठाया या नहीं, इस बात की जांच कौन करेगा ? इस प्रश्न की जांच राजस्व मण्डल का सदस्य नहीं कर सकता। अभी आपने टर्म्स आफ रेफरेंस पढ़ कर सुनाए, उनमें इस बात का कहीं भी संकेत नहीं है कि वह इस बात की जांच करेगा कि इस जमीन को प्राप्त करवाने के अन्दर मुख्यमंत्री जो उस समय राजस्व मन्त्री थे और बाद में मुख्य मन्त्री हुए, उनके पद का लाभ उठाया या नहीं। आज मान लीजिए मुख्य मन्त्री यहां

(श्री भैरोंसिह)

नहीं होते और वे लोग जमीन अलॉट करा लेते तो विधानसभा का क्या हस्तक्षेप होता ? न मालूम कितने आदमियों ने गैर कानूनी ढंग से जमीन ली होगी । प्रश्न यह है कि वे उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने ग्रो मोर फूड कैम्पेन के तहत जमीन ली । और इस सारी कार्यवाही में मुख्यमन्त्री थे, इस फेक्ट का इम्पेक्ट पड़ा, यह प्रश्न जांच करने योग्य है । अगर इसकी जांच नहीं होती है तो बाकी वह वाजिब है या गैरवाजिब, इसकी जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं । ऐसी जांच नहीं कराए तो भी हम सन्तोष कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : बूंदी में कुछ जमीन के आवंटन के सम्बन्ध में इस सत्र में कई दफा चर्चा आई और बहस हुई और उसी के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया कि उन्होंने सारे मामले की जांच करवाने के लिए राजस्व मंडल के एक सदस्य को नियुक्ति की है । उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे कि जांच का दायरा कितना हो, क्या हो, इस जांच से माननीय सदस्य संतुष्ट हैं या नहीं और भी कई इस सम्बन्ध में बातें उठाई गई । सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि जो जांच मुकर्रर हुई है, उस संबंध में पहले से यह कह देना कि रद्दी की टोकरी में डालने लायक है इत्यादि, मैं समझता हूँ कि एक सामान्य प्रश्न भी है कि हमारे राज्य में जो वरिष्ट अधिकारी हैं, वे समय समय पर जांच करते हैं । एक दूसरे केस में भी डी० आई० जी० के सम्बन्ध में विश्वास व्यक्त किया गया और उन्होंने जांच करने की कोशिश की । इसलिए जांच का नतीजा क्या होगा सदन के समक्ष आयेगा या नहीं, ये बातें उठा सकते हैं लेकिन पहले से धारणा बना लेना, यह जांच की दृष्टि से ही उपयुक्त नहीं, लेकिन सामान्य तौर से भी प्रशासनिक सेवाओं का हौसला बढ़ाने वाली चीज नहीं है । आखिर कानून के अन्तर्गत जनता को जो संरक्षण है, किस तरह से उनके अधिकारों का पालन होता है या नहीं, यह सारी व्यवस्था संविधान के अन्दर है, जिसमें प्रशासनिक सेवाओं का बहुत बड़ा हाथ है । इसलिए रिपोर्ट सामने आई नहीं, विचार किया नहीं और पहले से ही धारणा बनाना, एक उपयुक्त चीज नहीं है । माननीय सदस्य चाहे कह सकते हैं कि हम केवल जुडीशियल जांच चाहते हैं वह दूसरी बात है, लेकिन जांच शुरू होने से पहले इस तरह की धारणा बनाना, यह स्वागत योग्य चीज नहीं है ।

अब सवाल आता है कि किस तरह से जांच कराई जाय, किससे कराई जाय, उस संबंध में तीन बातें उठाई गई । मुख्य मंत्रीजी ने जिन मुद्दों पर जांच होगी, वह सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाया । माननीय भैरोंसिहजी का कहना है कि उसके अन्दर यह भी जोड़ना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग किया या नहीं, लेकिन अगर नियमों का पालन किया गया है इस आवंटन में, तो जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाया है, उसकी स्थिति पैदा नहीं होती । इसलिए एक शुरू की जांच करने के लिए जो बातें उठाई गई हैं, मेरे ख्याल से उनकी परिधि काफी व्याप्त है और जो नियमों के अन्तर्गत

(श्री अध्यक्ष)

कार्य किया गया है उस संबंध में माननीय सदस्यों को संतोष हो जाना चाहिए । ये सारे पहलू जो हमारे कानून में हैं, सदन के समक्ष आ जायेंगे ।

माननीय सुराणा ने एक बात कही कि इस तरह की जो समितियां बनाते हैं, उनकी रिपोर्ट सदन के समक्ष नहीं आती, वे आनी चाहिए । उनका उल्लेख भी किया और पहले भी कई बार कह चुके हैं । इसलिए सामान्य तौर से, मेरे जो इसमें विचार हैं, जो मुख्य मंत्रीजी के विचार के लिए प्रस्तुत करूंगा, वह यह है कि जिन समितियों के द्वारा जांच के बारे में सदन को आश्वासन दिया जाय और सदन को आश्वासन दिए जाने के फलस्वरूप स्थापित की जाय, जहां तक हो सके उनको सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना उचित है, ताकि सदन को मालूम हो कि जो आश्वासन दिया है और आश्वासन के फलस्वरूप जो जांच हुई है उसका क्या नतीजा रहा और जब वे तथ्य सदन के सामने आयेंगे तब उन पर विचार किया जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हों, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह सवाल सदन की प्रिविलेज का है, सदन में वाद-विवाद हुआ है तो सदन किन तथ्यों की जांच करवाना चाहता है...

श्री फूलचन्द जैन : सवाल यह है कि पद का दुरुपयोग किया या नहीं, आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डिक्टेट कराना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! डिक्टेट कराने का प्रश्न नहीं है । हर माननीय सदस्य विचार रखते हैं, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अगर कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है, इस बारे में भी जांच हो जाय, तो उचित होगा । उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके लिए माननीय सदस्यों को कहने का मौका मिलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ है कि प्रचलित कानून के अनुसार उस जमीन पर अधिकार करना वाजिब था या नहीं; यह आ गया, मगर ग्रो मोर फूड उसके तहत लिया, उसके नाम जमीन के खातेदारी राइट्स एक्रू हो गए या नहीं...

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सबका समावेश इसमें है, उसके बाद माननीय सदस्य जैसे चाहें बहस या अन्य तरीके से इस प्रश्न को उठा सकते हैं और जिस व्यक्ति को मुकर्रर किया गया है वह राजस्व मंडल का सदस्य है । ऐसे जो जमीन के मामले हैं उनमें यह सबसे बड़ी ऑथोरिटी है और उनके पास कई तरह के मामले जाते हैं । जहां तक उनके नियमों से सम्बन्ध हो या इन्डिपेंडेन्स का सवाल हो, वह पूरी तरह से कर सकते हैं । जहां तक इसके प्रोसीजर का सवाल है जो भी बहस सदन में हुई है, उसकी प्रतिलिपियां, जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, उनके पास भेज दी जाय, ताकि वह अपना अन्दाजा लगाए कि किस माननीय सदस्य ने क्या कहा और यह भी आशा की जाती है कि वे माननीय सदस्यों के विचारों के बारे में अवगत होना चाहें तो वे व्यक्तिगत रूप से बुला कर बातचीत कर सकते हैं,

(श्री अध्यक्ष)

ताकि बाद में कोई यह न कहे कि किसी को अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर नहीं दिया गया।

(श्री मुरलीधर व्यास के खड़े होने पर)

मेरी जो व्यवस्था थी उसको सदन के सम्मुख रखा। अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को यहां पर ही समाप्त कर दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया और उस सम्बन्ध में आपके ऑब्जर्वेशन्स हुए। आपके ऑब्जर्वेशन्स हमें शिरोधार्य हैं और हमेशा शिरोधार्य रहे हैं। परन्तु सदन में जिस तरह की आपत्तियां उठायी गई थीं और जो ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से सबने मिलकर मुख्य मन्त्रीजी से मांग की थी, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उस सामुहिक मांग को भी स्वीकार न करके, अपने ही आग्रह पर दृढ़ हैं और अपने एक सबोर्डिनेट ऑफिसर के जरिये ही वे उस जांच को करवाना चाहते हैं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग दी जा चुकी है। उसी पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहिये जो कुछ भी कहना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम यह महसूस करते हैं कि यदि जांच कराने का मकसद यह है कि जो आपत्तियां माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी हैं और जो जनता में इससे बातें फैली हैं उनका निराकरण हो, वह निराकरण जब ही संभव है जब कि वह एक इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी हो और माननीय मुख्य मन्त्रीजी जिनसे जांच कराना चाहते हैं, उसे उन बातों का निराकरण नहीं होगा। यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी उसी पर दृढ़ रहना चाहते हैं, तो जांच न करायें और इस तरह केमोफोलेज न करें, केमोफोलेज करने से कोई फायदा नहीं होगा। जांच कराना चाहते हैं तो इन्डिपेन्डन्ट जांच करायें। मुख्य मन्त्रीजी इसी पर दृढ़ रहते है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं और इस कारण वाक आउट करते है। हम अपने आपको इस फैसले से एसोसियेट नहीं करना चाहते। हम तो यह समझते हैं कि यह उनकी ओर से एक केमोफलेजिंग जैसी बात है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल एवं श्री योगेन्द्रनाथ हाडा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने जो भी वक्तव्य दिया है यह सवाल बार बार यहां सदन में मेरे जरिये उठाया गया है।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : आपको बाहर जाना है तो जाओ।

श्री मुरलीधर व्यास : मुख्य मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर अपने विचार रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष ने मुझे बोलने की इजाजत दी है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी प्रश्न यहां उठाये गये हैं वे व्यक्तिगत अथवा ईर्षा की दृष्टि से नहीं उठाये गये हैं। जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका मुद्दा यह था कि कम से कम इस मसले पर जो भी जमीन जब से दी गई है और उस दिन से लेकर.......

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर :....

व्यवस्था का प्रश्न 'यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कोई भी माननीय सदस्य, चेयर से व्यवस्था हो जाने के बाद भी उसको चैलेन्ज करता रहे और बाद में हाउस से बाहर जाये, क्या यह उचित है ? मैं समझता हूँ कि चेयर की रूलिंग हो जाने के बाद स्टेटमेंट हो रहा है और व्यवस्था हो जाने के बाद फिर यह सजेशन दिया जा रहा है कि उसको ड्रॉप किया जाय; क्या इस प्रकार व्यवस्था को चैलेन्ज किया जाय तो यह हाउस की परम्परा के विरुद्ध नहीं है ? व्यवस्था देने के बाद उसको चैलेन्ज करें, फिर निवेदन के रूप में स्टेटमेंट दें और फिर हाउस को छोड़कर चले जांय पेपर में उसको छपाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की जाय, क्या यह उचित है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अब मेटर समाप्त किया जाय, बहुत हुआ।

श्री अध्यक्ष : आपको (श्री मुरलीधर व्यास) जो कहना है वह संक्षेप में कह दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, जहां तक शासन की व्यवस्था का सवाल है यह विरोधी पक्ष उसको गौरव की दृष्टि से देखता है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : कहते तो यह हैं लेकिन करते उल्टा हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : विरोधी पक्ष उसको गौरव के दृष्टिकोण से देखता है और विरोधी पक्ष आज का दिन गौरवपूर्ण मानता है...

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल चौधरी : कम से कम स्टेटमेंट रिकॉर्ड न हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय,...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : परम्परा पर विचार होना चाहिये कि आपकी तरफ से जब कोई विचार व्यक्त हो चुका है, फिर उन पर विचार व्यक्त किया जाय, आज्ञा शिरोधार्य करने की बात कही जाय और एक नहीं सारे लेकिन लगा दिये जांय फिर वाक आउट किया जाय यह कहां तक उचित है ? आपकी व्यवस्था को नहीं माना है। भाषण देना वाक आउट करना फिर...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न व्यवस्था का नहीं है और न मेरी ग्रोर से इस रूप में कोई व्यवस्था दी गई है।

एक माननीय सदस्य : ग्रापके विचार सुनने के बाद भी भाषण हो रहा है। आपके विचार व्यक्त हो जाने और व्यवस्था हो जाने के बाद भी यह हो रहा है, यह क्या उचित है ?

श्री अध्यक्ष : न व्यवस्था की बात है, न नियमों में प्रावधान है कि वाक ग्राउट किस तरह किया जाय। इसलिए माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो माननीय

(करतल-ध्वनि)

सदस्यों को यह नहीं मानना चाहिये कि वाक ग्राउट करने के लिए ही कह रहे हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप उनके जो विचार हैं वे संक्षेप में रख दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा) : वाक ग्राउट करेंगे। नहीं करते हैं तो कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी बात के कहने से पहले ही उसको वाक ग्राउट के रूप में मान लें, तो, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि न तो इसमें कोई वाक ग्राउट का सवाल है किन्तु जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने वक्तव्य दिया है, जो बातें रखी हैं, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। विरोधी पक्ष की ओर से लिख कर दिया। सदन में जवाब दिया और अपनी ओर से बात कही मैं उसका स्वागत करता हूँ। प्रश्न सबसे बड़ा मेरे दिमाग में है, वह यह है कि प्रारम्भ से लेकर ग्राज तक की जो स्थिति है कि जमीन किस प्रकार मिलना ग्रौर मिलने के बाद ग्रो मोर फूड में कल्टीवेट न होने के बावजूद भी किस तरह से उसके खातेदारी राइट्स देना ग्रौर देने के साथ साथ मुख्य मन्त्रीजी जो उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनके समक्ष यह सारी स्थिति ग्रावे, इसकी सारी जानकारी मुख्य मन्त्रीजी को होते हुए....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, ये वापिस मेरिट्स ग्रॉफ दी केस पर जा रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वे क्या बात कहेंगे, ग्राप क्या जानते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : उसके बावजूद यह सारी कार्यवाही हुई, उसके लिए हम यह सोचते हैं कि यह सब कुछ हुग्रा है मुख्य मन्त्रीजी ने नोटिस में ग्राने के बाद हुग्रा है और इस कारण उनके पद का दुरुपयोग हुग्रा है। हमारी मान्यता है, जैसा माननीय भैरोंसिंहजी ने कहा कि इस मामले में मुख्य मन्त्रीजी को सारी चीज की जानकारी लगातार हर पक्ष से बार बार होने के बावजूद भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जमीन जिस तरह से दी, उसका फैसला अदालत करे, इन्डिपेन्डेन्ट अदालत करे। वे इसमें इन्वोल्व हैं, सारी चीज उनकी जानकारी में हुई है। मुख्य मन्त्रीजी चूंकि इसमें इन्वोल्व हैं, इसलिए हमारी मान्यता यह है कि उन्होंने ग्रपने पद का दुरुपयोग किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको मान्यताओं और भावनाओं को दूर करने के लिए, उनमें परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से यह तनकियां कायम की गई हैं और इसीलिए रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर के पास यह मामला भेजा है। आपने कहा कि पक्षपात हुआ है और आपका दामन साफ नहीं है इसलिए मुख्य मन्त्रीजी ने शान्त व्यू लेकर यह किया है, आपको इससे शान्ति होनी चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : प्राइमाफेसी मुख्य मन्त्रीजी यदि सेटिस्फाइड हैं तो उनको हमारा कहना मान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिटेल्स की बातें हों उन पर बहस की बात नहीं होनी चाहिये। जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उसके लिए संक्षेप में कहें और लम्बा भाषण न दें।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य में जो मुख्य मन्त्रीजी ने अपनी तरफ से कहा तीन आदमी, जिसको उचित समझें, जैसा वे कहें जिस अधिकारी के लिये कहें हम उसको मानेंगे। हमने लिख कर दिया और हम समस्त विरोधी पक्ष के लोगों ने आपको लिख कर दिया और अर्ज करते रहे इस मामले के अन्दर विरोधी पक्ष की इस बात को स्वीकार कर लीजिये और उनके द्वारा जिस नाम को प्रस्तावित किया गया उसको मान लेंगे। आपने सदन में इस बात को स्वीकार किया है कि जिस अधिकारी के लिये माननीय सदस्य कहेंगे उनका नाम प्रस्तावित कर दिया जायगा। वही चीज आज आपके सामने है उसी आधार पर हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले के अन्दर मुख्य मन्त्री की भी प्रतिष्ठा है, मेरी बिल्कुल स्पष्ट धारणा है कि यह सारी कार्यवाही मुख्य मन्त्री के नोटिस में होते हुए की गई है। उस जमीन का कोई महत्व नहीं है ५०० बीघा है या उससे ज्यादा है इसका कोई महत्व नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों को यह जमीन दी गई है उसमें मुख्य मन्त्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस जमीन का फायदा मुख्य मन्त्री के रिश्तेदारों ने उठाया है। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि जो कुछ भी मुख्य मन्त्री द्वारा कहा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। हम कहना चाहते हैं, जैसा कि विरोधी पक्ष की तरफ से जिस नाम का सजेशन दिया गया उससे आप सहमत होंगे, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका गौरव बढ़ेगा और लोकतन्त्र की रक्षा होगी और इसमें आप विरोधी पक्ष की बात रखते हैं इसका स्वागत होगा।

श्री अध्यक्ष : आप रतनगढ़ के मामले में वक्तव्य दे दें।

श्री मुरलीधर व्यास : इस मामले में मुख्य मन्त्री जो उपेक्षा बरत रहे हैं उसके प्रोटेस्ट में मैं, मेरा दल सदन से वाक आउट करता है।

(समाजवादी और प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में जिस प्रकार की बातें कहीं, उस

(श्री भैरोंसिंह)

बात से वे मुकर गये । इसके साथ साथ विरोधी दल ने इस बात के लिये मांग की थी कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय । उस मांग को मुख्य मंत्री महोदय ने ठुकरा दिया है, जब कि यह मामला सारा मुख्य मंत्री से सम्बन्धित है। हम कतई उचित नहीं समझते कि अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसकी जांच करायें और उससे निर्णय करायें। इसमें मैं और मेरा दल सहमत नहीं हैं, अत: मैं अपने दल सहित सदन से वाकआउट करता हूं ।

(जनसंघ दल का सदन से बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह : (काग्रेसी बेंचेज को संबोधित करते हुए) जमीन खाकर भी आप हंसते हैं आपको शर्म आनी चाहिये ।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

(१२.४३ म.प)

रतनगढ़ (चूरू) में पुलिस ज्यादती से सम्बन्धित डी. आई. जी. की जांच रिपोर्ट के प्रकाशन विषयक मुख्य मंत्री का वक्तव्य, विशेषाधिकार प्रश्न इत्यादि

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ के सम्बन्ध में...

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ के मामले को अभी कुछ देर के लिये रहने दिया जाय थोड़ी देर बाद में लिया जाय ।

कांग्रेस पक्ष के सदस्य : आप जिनको बुलाना चाहें बुला लीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो सदन के अन्दर स्टेटमन्ट दिये गये, जो चर्चा हुई, उसके बारे में मैं किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ के सम्बन्ध में कल समाचार पत्रों में श्री सन्तराम शर्मा डी० आई० जी० की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है । उसको लेकर स्थगन-प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन आदि यहां पर मूव किये गये हैं और भी कुछ चर्चा यहां पर हुई है । मैं अध्यक्ष महोदय,जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सन्तरामजी की रिपोर्ट की खास खास बातें जो थीं, वे इस सदन के समक्ष बहुत पहले ही कह चुका हूं । सदन की जानकारी में वे सब बातें हैं । उसके बाद भी जब सदन में इस बारे में चर्चा हुई, मैंने उसकी एक प्रतिलिपि आपके पास प्रस्तुत करने का सदन में आश्वासन दिया था; तदनुसार उसकी नकल मैंने आपके पास प्रस्तुत कर दी थी । फिर भी इस प्रश्न पर बहुत सी भ्रान्तियां फैल गई. इस वजह से कुछ पत्रकारों को जो श्री सन्तराम की रिपोर्ट थी, जानकारी दी गई । उस जानकारी को लेकर के सदन का अपमान हुआ आदि कुछ बातें उठायी गई । मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पहले जो मैने कहा था था सदन में रिपोर्ट को प्रस्तुत न करने के लिए उसका मुख्य कारण यह है कि एक परम्परा इस वजह से बनती है । हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जांच किसी प्रश्न पर करानी पड़ती है । जांच जिस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अधिकारी द्वारा कराई जाती है वह स्वतंत्र रूप से किसी भी बात को ख्याल में न रखते हुए जांच रिपोर्ट दे, अगर उसको सदन में रखा जाय तो कुछ बातें खड़ी हो सकती हैं, जिससे स्वतन्त्रतापूर्वक राज्य सरकार को अपनी सलाह न दे सके; इसी वजह से ऐसी परम्परा कायम न हो, मैंने कहा था। चूंकि अब वह रिपोर्ट पत्रों में प्रकाशित हुई है इससे कुछ माननीय सदस्यों को यह ख्याल होता है कि सदन में इसकी जानकारी नहीं दी, इस वजह से उपयुक्त नहीं होगा। उन्होंने यहां पर एतराजात खड़े किये। इस पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ पत्रों में प्रकाशित हुआ है उसके लिए मैं स्वयं खेद प्रगट करता हूँ। उसके साथ ही डी० आई० जी० श्री सन्तराम शर्मा, की रिपोर्ट जो मैंने आपके पास प्रस्तुत की है उसको सदन की मेज पर प्रस्तुत किया हुआ समझा जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जो रिपोर्ट प्रेस में आयी है, उसके लिए आपने खेद प्रगट किया है। आप स्पष्ट रूप से यह बतलाइये कि क्या किसी गवर्नमेंट एजेन्सी द्वारा इसको रिलीज नहीं किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बताया है प्रेस को।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके की रिपोर्ट प्रेस में प्रकाशित हुई है, उसमें जिस प्रकार से गवर्नमेंट की तरफ से या प्रवक्ता की तरफ से जब कोई सूचना दी जाती है, पत्रकार जिस प्रकार से प्रकाशित करता है, वह इस तरह से कि सरकारी प्रवक्ता ने बताया प्रेस कॉन्फरेन्स द्वारा बताया गया, लेकिन जिस प्रकार की सूचना प्रकाशित हुई है वह इस प्रकार से प्रकाशित हुई है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, इससे यह साफ जाहिर होता है कि जिस सरकारी सूत्र से सूचना देने की बात कही गई है और जिस प्रकार से छपी है, उससे यह साबित होता है कि खुले तौर से सूचना नहीं दी। मुख्य मंत्री महोदय यह भी स्पष्टीकरण करें कि यह सूचना कौन से अधिकारी द्वारा दी गई ? क्या इस प्रकार की सूचना के बारे में कोई नोट तैयार करके प्रेस को रिलीज किया गया था या एज. इट. इज. रिपोर्ट पत्रकारों को दे दी और पत्रकारों ने अपना नोट तैयार करके इसको छापा है। जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह प्रश्न उठा था कि इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की मांग की गई, मुख्य मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि जनहित में नहीं होते हुए भी केवल आपके पास में इसको देने की बात कही गई थी। उसके बाद माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि कुछ सदस्यों को यह देखने की इजाजत दी जाय, इसको मुख्य मन्त्री महोदय ने एग्री नहीं किया था। इससे साफ मतलब यह था मुख्य मन्त्री इस रिपोर्ट को कॉन्फीडेन्शियल और जनहित की दृष्टि से सदन को नहीं बताना चाहते थे और सदन के सदस्यों के दिखाने के औचित्य को भी नहीं मानते थे। फिर इस सदन के बाहर जाकर उस रिपोर्ट को पत्रकारों को दे देना प्रेस को रिलीज कर देना जो कि मुख्य मन्त्री की आज्ञा से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुआ या बिना आज्ञा हुआ, यह तो मुख्य मन्त्री जानकारी देंगे, तभी पता लगेगा। परन्तु कैसे भी हों, मैं यह मानकर चलता हूं कि उन्हीं की आज्ञा से ऐसा हुआ तो यह सीधे तौर से इस सदन की मानहानि है, अध्यक्ष महोदय।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उस पर खेद प्रकट किया है। परन्तु यह इस सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न है, जिसमें इस सदन को जाना है और यह सदन उसके लिए, उसके विशेषाधिकार के लिए क्या सजा या क्या कार्यवाही मुकर्रर करे, यह इस सदन को अधिकार है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का मोशन आपके यहां मूव किया हुआ है।

इसमें आसन की ओर से यह व्यवस्था दी गई थी कि उस मोशन पर जब तक सरकार की तरफ से उत्तर न आ जावे, व्यवस्था नहीं दी जा सकती। अब माननीय मुख्य मन्त्रीजी की ओर से उत्तर आ गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से जो आरोप और जो तथ्य उस मोशन में लगाये गये थे उनको सरकार की ओर से मुख्य मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उस विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की मुझे आज्ञा दें, ताकि वह बात आगे चलाई जा सके और मैं अब उस विशेषाधिकार के प्रश्न को पूरी तरह सदन के सामने रख सकूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का प्रश्न तो आपके द्वारा निर्णय करने का है और आप उस पर उचित निर्णय देंगे ही, ऐसी मैं आशा रखता हूं। पर स्पष्टीकरण के तौर पर थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं।

यह रिपोर्ट प्रेस को दी गई, वह किसी अधिकारी ने दी या मुख्यमन्त्रीजी ने स्वयं ने या उपमन्त्रीजी, गृह विभाग, ने दी यह सदन के लिए जानकारी लेना अत्यन्त आवश्यक और रिलेवेन्ट है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि इस सदन में बहुत पहले भी आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि जब यह सदन चल रहा हो तब कोई महत्वपूर्ण घोषणा अगर सरकार करती हो तो पहले सदन में की जानी चाहिये।

रतनगढ़ के पुलिस जुल्म की जब यहां बहस चल रही थी, होम की डिमाण्ड पर भी जब बहस हुई उस वक्त भी गवर्नमेन्ट ने इस मुद्दे के दर्मियान इस बाबत रिफ्यूज़ किया था कि हम उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर नहीं रखेंगे और उस पर जनहित एवं प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेन्ट क्लेम किया था।

और इसके बाद अध्यक्ष महोदय, कल सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमें प्रत्येक समाचारपत्र में सन्तराम शर्मा की वह रिपोर्ट देखने को मिलती है। बिना किसी एक्सेप्शन के प्रत्येक अखबार में मिलती है। पहले हमने सोचा, एक समाचारपत्र में लिखा हुआ होगा, दो में होगा पर जब सभी समाचारपत्रों में छपा देखा तो साफ तौर से मालूम हुआ कि नियोजित

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

तरीके से सभी लोगों को यह रिपोर्ट दी गई है। अब यह सही बात है कि मुख्य मन्त्रीजी ने एडमिट किया है कि हमने दी। इसके लिये उन्होंने खेद भी प्रकट किया है।

पर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह खेद इस तरह से प्रकट करना ही काफी नहीं है। इसके लिये उनको भी इस हाउस की बार पर बुलाकर आपके द्वारा रेप्रिमेन्ड किया जाना चाहिये। उन्होंने सदन को अपमानित किया है माननीय सदस्य को रिपोर्ट देने से इन्कार करके, उसे प्रिविलेज्ड डॉक्युमेन्ट क्लेम करके, जनहित में उसको प्रकाशित न करने की बात यहां कह कर, बाद में पत्रों को रिलीज़ करके, वह रिपोर्ट सदन के सदस्यों को देने से तो इन्कार किया गया और उनको दे दी गई जो सदन के सम्माननीय सदस्य नहीं थे। प्रेस का मैं आदर करता हूं। उसका बहुत बड़ा स्थान है। उनको लिबर्टी है और विरोधी दल के सदस्य हां पक्ष के लोगों से भी ज्यादा रिगार्ड उनका करते हैं,

(शोरगुल)

लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रेस को हम काफी रेस्पेक्ट देते हैं इसलिये सदन के सदस्यों को देने से इन्कार करके उनको देकर यदि माननीय मुख्य मन्त्रीजी हाउस का कन्टेम्प्ट करें तो भी बर्दाश्त करें। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह साफ तौर से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो है ही, पर हाउस के कन्टेम्प्ट का प्रश्न भी इसके साथ जुड़ गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि अगर प्रोवीजन है हाउस ऑफ कन्टेम्प्ट ऑफ दी हाउस में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक कमेटी बनाकर रेफर किया जावे और इसके बाद आप उचित कार्यवाही करें। यह मसला लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। मुख्य मन्त्रीजी ने समझा है कि बहुमत में हैं वे, खेद प्रकट करना ही काफी होगा। आपका बहुमत होना, सिर्फ आपका खेद प्रकट कर देना किसी मसले को समाप्त करने को काफी नहीं है। इसलिये हमें अधिकार है कि हम अपने राइट को प्रोटेक्ट करें और कन्टेम्प्ट ऑफ दी हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ फ्लोट की जावे और इसके लिये प्रोवाइड किया जावे।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष: कोई कानूनी बात कहना।

श्री मोहनलाल सारस्वत: अध्यक्ष महोदय, कल अखबारों में देखने को मिला कि सन्तरामजी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है जब कि हाऊस में एक-सवा घन्टा तक मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करने के बाद भी उस रिपोर्ट को पेश यहां पर नहीं किया गया। अब इस तरह से एकाएक अखबारों को दे देना, यह मुख्य मन्त्रीजी की नेक नियति पर सन्देह प्रकट करता है और मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

कि माननीय मुख्य मन्त्री जी, जिनके पास गृह विभाग का भी चार्ज है, उन्होंने इस रिपोर्ट को बिल्कुल ही बदल दिया है

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी से कि जो रिपोर्ट सन्तरामजी की पत्रों में दी गई है उसमें कोई भी चर्चा रतनगढ़ में घटित घटनाओं की नहीं है, बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से उक्त रिपोर्ट को बनाया गया है जिससे यह मालूम हो कि रतनगढ़ में कोई ज्यादती पुलिस की ओर से नहीं हुई हो, ऐसा उसमें लिख दिया है

राजस्व मन्त्री जी वहां गये और उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब ५-१२-६४ को कुम्भारामजी रतनगढ़ आये, किसी भीड़ ने उनकी गाड़ी को नहीं घेरा; इसके बाद जो तथ्य इसमें रखे गये है कि ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो रिपोर्ट मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में रखी है स्वयं देख लें

श्री मोहनलाल सारस्वत : नहीं......

श्री अध्यक्ष : नहीं देखें, आपकी मर्जी नहीं हो तो; पर बहस न बढ़ावें इस तरह।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मुख्य मन्त्री जी ने जाली दस्तावेज तैयार करवाये हैं; २५ दिसम्बर से लेकर रतनगढ़ के विषय में जो बातें यहां प्रस्तुत की हैं वे हर दिशा में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि निन्दनीय हैं, २५ दिसम्बर, ६४ को रतनगढ़ में यह घटना घटी, उसके बाद सन्तराम जी को १२-१-६५ को भेजा जाता है, २१ फरवरी तक यदि रिपोर्ट आ गई थी तो मुख्य मन्त्री जी सही हैं तो २१ तारीख को जिस दिन यहां पुलिस डिमान्ड चल रही थी उस दिन उसको क्यों नहीं रख दिया, मैं मुख्य मन्त्रीजी की नैक-नीयत पर सन्देह करता हूं और उन्होंने उस दिन हाउस के सामने उस रिपोर्ट को रखना उचित नहीं समझा, उसके बाद आज पत्रकारों को चुपके चुपके दे दिया और संवाद छपवा दिया और जब आपके सामने रिपोर्ट देने की बात कही गई तो कह दिया गया कि वे दिखा नहीं सकते और आज पत्रों में छपने के बाद हाउस में रखना चाहते हैं और कह दिया है कि हाउस की मेज पर रख दी गई है

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज मुख्य मन्त्री जी के साथ बहुमत है; चाहे अन्याय करावें, कोई बड़ी बात नहीं; पर यह अन्याय, अत्याचार जो है उनके लिए फलेगा फूलेगा नहीं। एक दिन उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज वास्तविक स्थिति सब जानते हैं,-इसको मुख्य मन्त्रीजी आप प्रेस्टिज पोइन्ट मत बनाइये, आप असत्य बात कह कर इसे टालिए मत। झूठ को बनाकर सच्ची बात के रूप में मत साबित करिये। इस पर खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

महोदय, आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी को वे सही तथ्य पर पहुंचे और कम से कम राजस्व मन्त्रीजी यहां बैठे हैं जिनको लेकर ही रतनगढ़ से सारी घटना घटी। राजस्व मन्त्री जी का भी स्टेटमेंट इस सम्बन्ध में ले लीजिये। क्या स्थिति हुई, क्या नहीं हुई; इस प्रकार सदन में मुख्य मन्त्री जी जो हैं जिनके अन्डर में गृह मन्त्रालय है वे इस प्रकार से रिपोर्ट बदल बदल कर हाउस के सामने पेश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर कांग्रेसी शासन के लिए निन्दा और लज्जा की कोई बात नहीं हो सकती इतना ही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, उस बात की तो प्रशंसा है कि मुख्य मन्त्रीजी ने रिपोर्ट प्रेस को देने के बाद खेद प्रकट किया है, लेकिन इस सारी बात से एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसमें स्वयं अध्यक्ष महोदय, आपकी भी स्थिति संकट में आई है।

(१.०० म. प.)

यह रिपोर्ट केवल या तो आपकी कस्टडी में थी या इसका ज्ञान राज्य के कुछ दस-बारह अधिकारियों को था या मुख्य मंत्री महोदय को था। सदन के अन्दर तो पूर्ण रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी इन्कार हो चुके थे कि वे इस रिपोर्ट को किसी भी तरीके से रखने के लिए तैयार नहीं हैं; इसमें जनहित का प्रश्न है, इसमें और दूसरे प्रश्न हैं इस प्रकार की बात उस रोज रखी गई थी, आपकी कस्टडी में रिपोर्ट अवश्य थी। मुख्य मंत्रीजी की इस रिपोर्ट को प्रेस में दे देने के बाद अब दो स्थितियां सदस्यों के दिमाग में आती हैं। एक तो यह कि या तो आपकी कस्टडी से यह लीक हो गई...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समझे नहीं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि उन्हीं के द्वारा बताई गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो स्थिति स्पष्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनका कि आदर सारा सदन करता है और कांग्रेसी पक्ष के बजाय विरोधी पक्ष आपका आदर ज्यादा करता है, आपकी स्थिति को भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने संकटपूर्ण स्थिति में डाला। दूसरे, मैं इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि कम से कम प्रेस को रिलीज करते हैं और जिस प्रकार से प्रेस ने इस सदन के सारे सदस्यों को तुच्छ करके माना, कम से कम रिलीज करने से पहले आपको सूचना दे देते कि मैं उस कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट को प्रेस में रिलीज कर रहा हूं। जो सदन सारा आपका इतना आदर करता है, राज्य के मुख्य मंत्रीजी आपको इतना तो आदर प्रदान करते कि एक पत्र के द्वारा आपको सूचना देते कि जिस रिपोर्ट को रखने के लिए वह इन्कार हो चुके थे, उसको प्रेस को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा सोचता हूं कि मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस प्रकार सदन को इन्कार कर देने के बाद प्रेस को रिपोर्ट रिलीज करना एक प्रकार का कॉमन फ्लैश था जो वह गुड़ा बांध के सम्बन्ध में सदन में प्रश्न उठ रहे थे और गंभीर होते जा रहे थे, मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार सदन के अन्दर एक बार सदस्यों को इन्कार करके दुबारा उसको प्रेस में रिलीज

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करते हैं, वे केवल डाइवर्शन करना चाहते थे सदन के माननीय सदस्यों को कि वह डाइवर्ट होकर इस प्रश्न को गौण बनाये रखें। मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है और एक षडयंत्र के रूप में अपमान किया गया है और बाकायदा कॉन्स्पीरेसी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए प्रिवलेज का प्रश्न और कन्टैम्प्ट ऑफ हाउस के प्रश्न पर आपके द्वारा स्वीकृति दी जाये और इस सम्बन्ध में बाकायदा कार्यवाही की जाये।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत ही गंभीर है और मुख्य मंत्री महोदय के कहने से यह विषय साफ नहीं होता कि इस प्रकार की कई जांच कराई जाती हैं और कॉन्फीडेन्शियल रखी जाती हैं। यह विषय सदन के दो सदस्यों को इफेक्ट करता है। उस पक्ष की ओर से राजस्व मंत्रीजी को इफेक्ट करता है, क्योंकि वे गये और यह सारा काण्ड हुआ जिसको मैं गलत मानता हूं। अगर उनको मालूम था कि इस प्रकार की बात होगी तो उनको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। वे नहीं जाते तो अच्छा था, यह दिक्कत नहीं आती। दूसरे हमारे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य को भी यह इफेक्ट करता है। इस सदन में हम सबने एक जुट होकर मांग की थी कि यह रिपोर्ट हमको दिखाई जाये। ४-५ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री अपनी जिद्द पर अड़े रहे और उन्होंने यह कहा था कि यह रिपोर्ट गोपनीय रखी जायेगी। यहां तक नौबत आई कि इस रिपोर्ट को आपको अकेले को दिखाने की बात थी और आपके पास रखने के बाद क्या वजह पैदा हुई, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस सदन में आप ऐलान कर देते, कि आज मैं उस रिपोर्ट को रिलीज कर रहा हूं। क्या फर्क पड़ता था? क्या ऐसे हालत थे कि आपने इस रिपोर्ट को प्रेस को रिलीज किया? यह सदन की परम्परा के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि इस मामले को जरूर प्रिविलेज कमेटी के सामने रखना चाहिए। इस मामले में पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह सदन का प्रश्न है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह प्रिविलेज कमेटी का बहुत ही अच्छा मुद्दा है। इसको वहां जरूर रखना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो इस सदन की अवहेलना की है और जो उनका यह तौर तरीका है, वे १०-१५ साल से रहते आये हैं और दस वर्ष से तो लीडर भी हैं, उस हालत में अगर सदन को वे इस प्रकार से देखते हैं कि सदन क्या है, वह गलत चीज है। उन्होंने बहुत गलत परम्परा डाली है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस मसले पर आप गंभीरता से विचार करें और हम सबका मामला है यह और उस पक्ष से कुछ भी कहा जाय, लेकिन इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को जरूर रेफर किया जाये, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है कि इसमें सारा सदन ही शामिल है। सदन में इतने दिनों तक वादविवाद होना और मुख्य मंत्री एज होम मिनिस्टर का जिद्द करना कि सदन में इस रिपोर्ट को नहीं रखा जायेगा और इसे गुप्त रखेंगे और सदन का सेशन चालू रहना और उसी दौरान में इस रिपोर्ट को प्रेस को रिलीज

(श्री मानसिंह माहर)

करना और सदन में कह देना कि इस सम्बन्ध में उन्हें दुख जरूर है—इस बारे में मैं कहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी, दुख की बात नहीं है; यह बात ऐसी है कि मैं समझता हूं दुख प्रकट करने से कुछ नहीं होता। आपने पार्लियामेण्टरी परम्परा के विरुद्ध यह काम किया है। इस देश के अन्दर जो युवा डेमोक्रेसी है उसकी हत्या की और मैं कहता हूं कि डिक्टेटरशिप की तथा हमारी अवहेलना करके जो आप काम कर रहे हैं और आप एक प्रकार से डिक्टेटोरियल काम कर रहे हैं, आप राजस्थान के अन्दर एक प्रकार की डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते है कि हमारे एक साथी को पिटवा दें, उनके रिश्तेदारों को परेशान करें, आप इस प्रकार का काम करें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम लोगों को कहें कि यह रिपोर्ट गोपनीय है और फिर प्रेस वालों को रिलीज़ कर दें, यह बहुत अनुचित है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है इसके प्रश्न को लेकर सदन की प्रिविलेज कमेटी को जरूर रेफर किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं कुछ कहूं, क्या मैं यह मानकर चलूं कि रूल १५७ के अन्तर्गत श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो विशेषाधिकार प्रश्न को उठाने की अनुमति मांगी है वह उनको प्रदान कर दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उस पर निर्णय ही नहीं हुआ, यह स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियम १६० और नियम १६१ और १६२; इन तीनों रूल्स को एक साथ पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि यदि आसन की तरफ से आपकी व्यवस्था है, यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव है बाकी सब दृष्टि से नियमों के अन्तर्गत आता है और मैं समझता हूं कि यह नियमों के अन्तर्गत आता है, इसी कारण से गृह मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया है। प्रश्न यह है कि केवल मात्र खेद प्रकट कर देना मुख्य मंत्री जी द्वारा पर्याप्त है, इस प्रश्न को यहीं समाप्त किया जाये या हमारे नियमों के अन्तर्गत इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि खेद प्रकट करना पर्याप्त नहीं है। नियम १६० के अन्तर्गत और १६१ और १६२ में यह व्यवस्था है कि यदि आप १५७ में इसकी अनुमति प्रदान कर दें कि विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो ३ शर्तें हैं उनकी यदि पूर्ति होती हो और जैसी कि मेरी मान्यता है कि इस मामले-हाशा में उनकी पूर्ति होती है तो उनको इस प्रकार की अनुमति प्रदान की जाये कि वह विधिवत् प्रकार से रूल १६० के अन्तर्गत इस प्रस्ताव

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को सदन में उठायें और उसके पश्चात् रूल १६१ के अन्तर्गत आप इस बात के लिए और १६० की दूसरी व्यवस्थाओं में सदन के १० सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हों, तब तो हाउस की लीव इस सम्बन्ध में मानें कि जो यह प्रस्ताव विशेषाधिकार का है, उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये। नियम इस सम्बन्ध में स्पष्ट हैं। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकारों के उल्लंघन का मामला इस प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता। विधि मंत्रीजी शायद रूल १६१ की तरफ यह कहें और इस बात के लिए यहां दलील दें, जिसमें यह लिखा है :

"If leave under rule 160 is granted, the Speaker shall refer to a Committee of Privileges for report within a period to be specified, unless he is of opinion that the matter is such as may be disposed of by the House without reference to the Comittee, in which case........"

जिस तरह से वह पढ़ा है यह मामला ऐसा नहीं है कि विशेषाधिकार समिति के पास जाये और वह मामला यहां पर डिस्पोज़ ऑफ हो सकता है, लेकिन इसके आगे पढ़ लें

"...in which case the member making the complaint shall make a motion that the matter be taken into consideration forthwith or at some future time."

विशेषाधिकार का मामला अगर विधि मंत्रीजी ने गृह मंत्रीजी के खिलाफ पेश किया होता तब तो वह सदन में एक प्रकार से ऐसा प्रस्ताव पेश कर सकते थे कि शासन चाहे तो उसको यहीं डिस्पोज़ ऑफ कर सकते थे। विधि मंत्रीजी एक प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ पेश कर दें और अनुमति १६१ के अन्तर्गत सदन की चाहें तो शासन अनुमति दे सकता है कि उसको यहीं डिस्पोज़ ऑफ कर दें और प्रिविलेज कमेटी के पास न भेजा जाय। १५७ में यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और यह प्रस्ताव कम्प्लेनेन्ट प्रस्तुत कर रहा है। इस मामले में कम्प्लेनेन्ट माननीय रामानन्दजी अग्रवाल हैं, जिन्होंने यह प्रस्ताव किया है। अगर वे इस बात के लिए तैयार नहीं हैं तो १६१ के अन्तर्गत यह यहां समाप्त नहीं हो सकता है; तो इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है कि १५७ के अन्तर्गत यदि यह प्रमाणित हो जाय कि ऑर्डर में है, विशेषाधिकार, उनको अनुमति मिलती है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको मिलनी चाहिए। तो इसमें तीन शर्तें दी हुई हैं :

"not more than one question shall be raised at the same sitting."

दूसरा सवाल नहीं, इसलिए इस शर्त की पूर्ति हो गई।

"the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrance."

कल ही यह अखबार में आया है, इसलिए रीसेन्ट अकरेन्स का मामला हो गया है।

"Tne matter repuires the intervention of the House"

हाउस का इन्टरवेन्शन नहीं होता तो, अध्यक्ष महोदय, आपके आसन पर

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)

विराजमान होने के बाद आधा घन्टे तक वाद-विवाद में समय नहीं जाता । इसलिए हाउस का इन्टरवेन्शन जरूरी है ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री रामानन्दजी को अनुमति प्रदान की जाय १६० के अन्तर्गत; जिसमें यह है कि सदन के माननीय सदस्य जो इसके पक्ष में हों वे खड़े होकर १० से ज्यादा की संख्या में इसका समर्थन करें और उसके बाद यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत बहस में चले गये । माननीय सदस्य ने सबसे पहले यह कहा कि अनुमति दी जाय उसको प्रस्तुत करने के लिए और वे भूल गये कि उन्हें नहीं मिली है वह ।

इसीलिए तो बहस करने की आवश्यकता प्रतीत होती है और इसके लिए माननीय सदस्यों को अनुमति दी है ताकि उसके बारे में सुविधा हो निर्णय लेने की । वे कुछ कहें तो आपत्ति की बात नहीं है । इसलिए माननीय सदस्यों को बोलने की आज्ञा दी गई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १५७ के अन्तर्गत उनको अनुमति प्रदान की जाय, यह मैं कह रहा हूं । यह केस मेक आउट मैंने किया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसी के बारे में कहा है कि क्या किया जाय...

श्री अध्यक्ष : यह मान कर नहीं चलें कि अनुमति दे दी गई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अनुमति दे दी गई है; लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वह दी जाय । १५७ के अन्तर्गत आप अनुमति दें । यह मामला ज्यादा महत्व का बन जाता है क्योंकि इस मामले मे बारम्बार इस सदन में मांग की गई है कि श्री सन्तराम शर्मा की रिपोर्ट जो कुछ भी हो वह इस सदन में रखी जाय । जब जब इस सदन में मांग की गई है कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय तो सरकार ने यह कहा है कि जनहित की दृष्टि मे रखना उचित नहीं है । इस प्रकार का प्रिविलेज का क्लेम, मैं समझता हूँ, हाउस में उनका रहा है । उसको हाउस में पेश करके हाउस के बाहर उसको रिलीज़ करना, मैं समझता हूँ कि सदन का बहुत बड़ा अपमान है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है । सदन की कार्यवाही चल रही है और इसमें रखना चाहिये था, वह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत न हो और इस प्रकार से बाहर प्रकाशित करें, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जो बातें अच्छी तरह से नहीं रख सके हैं कि इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय । सरकार से सदन में रिपोर्ट मांगी जाय । ७ दिन पहले सारे के सारे माननीय सदस्य उसकी मांग करें और उसके लिए इतना बड़ा असन्तोष पैदा हो जाये और कहें कि रिपोर्ट सदन में रखी जाय और सरकार उसको प्रिविलेज्ड डॉक्युमेंट क्लेम करे और ७ दिन के बाद वही रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कर दी जाय, यह इस बात का माकूल सुबूत है. माकूल सुबूत ही नहीं सन्देह पैदा करता है कि हो सकता है कि रिपोर्ट में अदला-बदली की गई हो और जो सारी बातें सरकार के पक्ष में उल्टी पड़ती हों वे हटा दी गई हों। यह संदेह की बात है, इसलिए यह मसला सदन में बैठ कर तय नहीं कर सकते हैं। वह जिम्मेदारी होती है। उनके पास हो सकता है कि कितने तथ्य हों, क्या नहीं है, रिपोर्ट क्या बदली गई, क्या नहीं बदली गई। जिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है वह यहां पर तलब नहीं हो सकता है। उसको हम बुला नहीं सकते हैं। यह डिस्प्यूट का मामला हो गया। वह है दूसरा और हम कहते हैं कि रिपोर्ट बदली गई है, रिपोर्ट का बहुत सारा अंश बदला गया है। ऐसी हालत में रिपोर्ट देने वाले अधिकारी को मैटीरियल विटनेस मैं समझता हूं ? इसलिए प्रिविलेज कमेटी में यह जाय तो उसके सामने उसको बुलाना होगा, वह कैसे यहां पर करेंगे ? और मैं समझता हूं कि वहां पर भी जो कुछ बात होगी वह कहेगा और जिन मेम्बरान को शक है कि रिपोर्ट बदली गई वे भी अपने तथ्य उसके सामने रखेंगे। हो सकता है कि उनको ऐसे तथ्य की जानकारी हो; रिपोर्ट का अंश हो, जिससे इस बात को सब्स्टेन्शियेट कर सकें कि रिपोर्ट के उन अंशों को बदला है और रिपोर्ट की ऑथेन्टिसिटी के बारे में डाउट पैदा हो जाये, तो मैं समझता हूं कि उसको हाउस में डिसकस करना उचित नहीं है। हाउस में उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता है। हाउस में सारा मैटिरियल नहीं है। हाउस में सारी एवीडेंसज नहीं हैं। इसलिए सारे मामले को मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहती है और माननीय मुख्य मंत्रीजी यह चाहते हैं और गृह-मंत्रीजी यह चाहते हैं कि इस चार्ज से बरी हो जायें जो कि विरोधी पक्ष के सोशिलियस्टि पार्ट के कार्यकर्त्ताओं ने लगाये हैं, वे रिपोर्ट में नहीं लिये गये हैं, वे इससे बरी होना चाहते हैं तो सारे मामले को प्रिविलेज कमेटी में रखा जाय, जहां मैं समझता हूं कि सारी एवीडेन्सेज को रेकॉर्ड करने के बाद सारे तथ्य इस सदन के सामने आयेंगे और यह सदन विचार करेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे एवीडेन्सेज के अभाव में सदन में इस पर विचार नहीं हो सकता है, सदन का माइण्ड मेक अप नहीं हो सकता है और इस सदन में इसका निर्णय नहीं हो सकता है। आखिर हमारी बात सच है या आप जो कुछ कहते हैं

अध्यक्ष महोदय, ऑल्टरनेटिवली मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है कि यह सारा सदन मुख्य मंत्रीजी की इस सारी कार्यवाही, जिन्होंने इस प्रकार से रिपोर्ट की बारम्बार मांग करने के बाद सदन में प्रस्तुत नहीं करके सदन के बाहर समाचार पत्रों में रिलीज किया है, की घोर निन्दा करता है। यह प्रस्ताव मैंने रखा है। उस पर सदन में विचार किया जाय और उसके बाद पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सदन के सम्मुख

(श्री भैरोंसिह)

प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इसमें केवल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इतना ही नहीं हुआ कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रतिवेदन की गोपनीयता के बारे में जनहित के प्रश्न को सामने रख कर उसको सदन के पटल पर नहीं रखा केवल इतना ही नहीं इसमें एक दूसरा इश्यू है और मैं ऐसा समझता हूं कि यह अभी तक हिन्दुस्तान की किसी भी प्रान्तीय विधान सभा में या लोकसभा में इस प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं हुआ। जिस प्रश्न की आड़ लेकर सरकारी पक्ष हमेशा यह अपना प्रिविलेज सोचने का प्रयत्न करता है, और वह प्रश्न यह है कि सरकारी पक्ष किस बात के लिए अपना प्रिविलेज क्लेम कर सकता है ? यह इस बात से स्पष्ट हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सरकार का प्रिविलेज क्लेम करते हुए इस प्रतिवेदन को सदन की मेज पर नहीं रखा। अब प्रश्न हमारे सामने सबसे मोटा यह आता है कि सरकार किन मुद्दों पर अपना प्रिविलेज क्लेम कर सकती है ? अब यदि मुख्य मंत्रीजी प्रिविलेज क्लेम करने के बाद भी उस रिपोर्ट को प्रकाशित करवा दें तो एक बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो गई है कि सरकार ने जो प्रिविलेज क्लेम किया था वह गलत किया था। वह गलत प्रिविलेज क्लेम करके सदन की मानहानि की है। सदन से अधिकार विशेष जो उनको मिलता है उस अधिकार का उन्होंने दुरुपयोग किया है और उस दुरुपयोग के साथ साथ जो सदन में रिपोर्ट नहीं पेश की जाती है और बाहर प्रकाशित की गई है उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी खेद प्रकट कर दें तो मेरी राय के अन्दर जहां तक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का फेक्ट आता है, वह तो एस्टेब्लिश हो गया। इतना मुद्दा कि प्रिविलेज गलत क्लेम किया गया है, वह बात तो स्पष्ट है। मुख्य मंत्रीजी खेद प्रकट करते हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज सरकारी पक्ष से हुआ है। अब प्रश्न यह आता है कि इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पर मुख्य मंत्रीजी ने खेद प्रकट कर दिया, वह स्वयं पर्याप्त प्रमाण है। मैं समझता हूं कि यह घटना अपने आप में एक विशेष घटना है और इस घटना के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी स्वयं स्वीकार करेंगे कि वे अच्छी परम्परा डालना चाहते हैं और अच्छी परम्पराओं के आधार पर अपने यहां जनतन्त्र का विकास करना चाहते हैं; तो खेद प्रकट करने पर ही सदन को संतोष नहीं करना चाहिये, बल्कि श्री सतीशचन्द्रजी ने जो प्रस्ताव रखा है कि सारे प्रश्न पर सदन सरकारी पक्ष की निन्दा करता है वह पास किया जाय, ताकि सरकार आयन्दा इस तरह की बातों से बचने की कोशिश करेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहें तो बहुत ही सुन्दर, उसको अगर स्वीकार नहीं करना चाहें तो सदन निन्दा का प्रस्ताव पारित करे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक प्रश्न श्री भैरोंसिहजी ने निन्दा के प्रस्ताव का साथ में रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस रिपोर्ट के सिलसिले में बहुत आतुर था और एक दिन पहले आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था, क्योंकि सदन में यह कहा गया था कि अध्यक्ष महोदय को संतोष

(श्री मुरलीधर व्यास)

दिलाने के लिये वह रिपोर्ट उनके पास भेज देंगे, लेकिन सदन की मेज पर किसी हालत में नहीं रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस बारे में मिला और इस बात की कोशिश की कि हमने जो फेक्ट्स रखे हैं वे गलत है, तो आप हमको कम से कम वह रिपोर्ट बताइये, इस पर आपने कहा कि यह रिपोर्ट आपको नहीं बता सकता......

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से कहा था कि कितनी बता सकता हूं, इस बारे में सोच कर बताऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने सीक्रेसी को मेन्टेन किया और सरकार ने सीक्रेसी को मेन्टेन नहीं किया इसलिये आप हमारी नजर में ऊंचे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले दिन मैं आपसे मिला तब तक आपके पास कोई चर्चा नहीं थी, दूसरे दिन अखबारों में रिपोर्ट आई उससे पहले आपके आसन के अतिरिक्त आप किसी को वह रिपोर्ट बताना नहीं चाहते थे। आपका ही विश्वास था, सदन के सदस्यों को नहीं बताना चाहते थे। आप पर विश्वास करके इन्होंने रिपोर्ट आपके पास रखी। जब आपके पास रख दिया उसके बाद सदस्यों ने मांग की दिखाने के लिये, तब उन पर विश्वास नहीं किया और उसके बाद प्रेस में वह रिपोर्ट आ जाय, मैं समझता हूं ऐसा उदाहरण हिन्दुस्तान में दूसरी जगह कहीं पर नहीं मिलेगा कि किसी मंत्री ने, जो जिम्मेदार पद पर हैं, उसने इस प्रकार सदन का अपमान किया हो। सदन का अपमान इस प्रकार किया, उस पर जो घटनाएं हुई मांग की गई, वाक आउट हुए, सदन की टेबल पर रखने की मांग की गई, पर हर चीज को ठुकरा दिया गया। रतनगढ के माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में परिवर्तन हो सकता है, मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक अखबारों में पढ़ा है मैं इतना ही कह सकता हूं कि अखबारों में रिपोर्ट पढ़ता हूं तो उसमें मेरे पत्र का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी ने मुझे कहा था कि आपने जो पत्र दिया है उसके आधार पर डी. आई. जी. को भेजा है और जो फेक्ट मैंने रखे थे उन पर रिपोर्ट डी. आई. जी. को देनी थी, लेकिन उस रिपोर्ट में इस बात का हवाला नहीं है कि मुरलीधर ने जो फैक्ट्स रखे थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उसमें नहीं जावें, जो है वह आपके सामने है।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, यदि पहले दिन रख देते या आपको दे देते तो हम समझते कि स्पीकर साहब को पहले दिन दे दी गई थी, पर तीसरे या चौथे दिन आपके पास यह रिपोर्ट पहुंची...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : यह बात गलत है। २१ तारीख को सदन में बहस हुई और २२ तारीख को सुबह स्पीकर साहब के पास भेज दी।

श्री मुरलीधर व्यास : उसके पहले भी मांग की थी कि सदन की टेबल पर रखी जाय, पर नहीं रखी। अब सवाल यह है कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं, हम आरोप नहीं लगाते, लेकिन जांचने का सवाल है क्योंकि ऐसा सवाल हो गया है कि सदन की मेज पर रिपोर्ट को नहीं रखना, कुछ दिन बाद आपको देना और फिर पब्लिक में ओपन करना, यह स्वाभाविक संदेह है कि कुछ न कुछ ऐसी जरूर बात हुई है जिससे रिपोर्ट में परिवर्तन हुआ है, यह संदेह की बात है। संदेह की जांच सदन या प्रिविलेज कमेटी कर सकती है। मुख्य मन्त्रीजी अपने आप में बड़े हों, लेकिन लोकतन्त्र में मुख्य मन्त्री का स्थान किसी भी नागरिक से ऊंचा नहीं है और वह नागरिक जो संविधान की शपथ लेता है, संविधान की रक्षा करने की सौगन्ध खाता है, उसको तोड़ कर तानाशाही तरीके से यह समझने लगता है कि मैं बड़ा हूं, सदन मुझसे बड़ा नहीं है, दूसरा कोई मुझसे बड़ा नहीं है, तो मैं समझता हूं उन्होंने सदन का बड़ा भारी अपमान किया है। वे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ऊंची समझते हैं सदन की नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा लोकतन्त्र में कहीं नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह कोई हमारे पक्ष के लिये ही नहीं बल्कि आपके और दोनों पक्षों के लिये आवश्यक है कि आप गलत दृष्टिकोण से नहीं सोचेंगे, इस दृष्टिकोण से सोचेंगे कि सदन सबसे बड़ा है। यदि आप पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी की रक्षा करना चाहते हैं और यह सवाल आपके दिमाग में ऊंचा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्रिविलेज मोशन रखा गया है उसमें मैं भी एक हूं, इसलिये आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा को रखने के लिये इस प्रस्ताव को स्वीकृत करना चाहिये। हम और आप सब कहते हैं, हिन्दुस्तान में बड़े से बड़े लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र को खतरा है, यहां पर पार्लियामेन्ट्री पद्धति पर प्रहार होता है, इसलिये मुख्य मन्त्रीजी हमारी तरह आप भी सोचिये कि यह सवाल कितना ऊंचा है देश के लिये, लोकतन्त्रीय परम्परा के लिये इसको आप भी मानेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे एक तथ्य की जानकारी है, जो आपके लिये आवश्यक होगी निर्णय देने में...

श्री अध्यक्ष : मुझे और भी जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी जिसके बारे में मैं बता दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। उन विचारों के बारे में कहने से पहले मैं सर्वप्रथम श्रीमान्, आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी और सदन में बैठने वाला कोई भी मन्त्री या कोई भी सदस्य, इस सदन की मानहानि हो, अपमान हो इस तरह की भावना नहीं रखता। हम सब सदन को हमारे व्यक्तित्व के ऊपर समझते हैं, सदन की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। इस-

(श्री मथुरादास माथुर)

लिए इस विचार के बाद इस प्रश्न पर, जो प्रस्तुत है, विचार किया जाय'।

यहां पर तीन तरह की बातें कही गई हैं। एक तो यह कि सदन का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है। दूसरा यह कहा गया कि सदन या हाउस का कन्टेम्प्ट हुआ है, ये भी लफ्ज काम में लाये गये। और कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो स्वस्थ परम्पराएं हैं उनका ब्रीच हुआ। ये तीन तरह की बातें यहां कही गई और ज्यादातर बहस इस बात की चली कि आया जो प्रस्ताव अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है या नहीं। उसके लिये अध्यक्ष महोदय, रूल १५७ के मातहत आज्ञा दें, न दें इसलिए दूसरे रूल्स में जाने का प्रश्न इस वक्त नहीं उठता है; जो प्रोसीजर है उसका जिक्र जयपुर के माननीय सदस्य ने किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, जिससे कुछ कन्क्लूजन निकलने का अवसर हो। इस प्रश्न को लेकर खास तौर से रतनगढ़ में जो घटना हुई उस पर डी. आई. जी. पी. श्री संतराम ने रिपोर्ट पेश की, उस के आधार पर मुख्य मन्त्रीजी ने सबसे पहले २१-३-६५ को इस सदन में बयान दिया, उसका कनक्ल्युजन सदन के सामने रखने के लिये अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो चार-पांच लाइन पढ़ देता हूं। उन्होंने यह कहा है :

"मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट उन्होंने"

यानि संतरामजी, जिनको आज यहां रेफर किया गया।

"जो... रिपोर्ट उन्होंने दी उस रिपोर्ट के अन्दर जो बातें हैं, उसके मुताबिक ही कार्यवाही की जा रही है।"

उस रिपोर्ट में पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ कोई तथ्य कहे और उसकी वजह से कार्यवाही की जानी चाहिये, इस प्रकार का कहीं उन्होंने उल्लेख नहीं किया है—

उस रिपोर्ट के एक्सट्रेक्ट्स, जो इम्पोर्टेन्ट हैं, और जो पोइन्ट्स रेज किये गये सदन के सामने उनके ऊपर मुख्य मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं। उस पर उन्होंने यह कहा—

"उन्होंने उल्लेख नहीं किया है, बल्कि यह कहा है कि वहां पर चलती हुई जो ट्रेन रतनगढ़ आई उस पर पत्थर फेंके गये।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने आगे जाकर यह कहा:—

"तार काटे गये, उनके घरों पर पत्थर फेंके गये, चौधरी कुम्भारामजी और दूसरे लोग वहां पर गये उनको जाने से रोका गया और ज्यादतियां की गई। इन सारी बातों के आने के बाद क्या हम यह चाहते हैं कि जनतन्त्र का मतलब......"

और उन्होंने आगे जाकर यह बात कही। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि—

"गाड़ी पर पत्थर फेंकना, लाठी चलाना और ज्यादती करना, यह अधिकार जनतन्त्र का अधिकार नहीं हो सकता।"

(श्री मथुरादास माथुर)

इस सिलसिले में आपने यह बयान दिया।

सबसे पहले इस सिलसिले में माननीय सदस्यों को, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे मुख्य मन्त्रीजी की या इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों की यह इच्छा होती कि सदन से कोई चीज छिपायें—तो प्रश्न दूसरा था। लेकिन इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो मैन कन्क्लूजन्स थे, २१-३-६५ को मुख्य मन्त्रीजी के सामने आये, जो उनके पास में थे वह रख दिये। और वह कन्क्लूजन रख दिये तो इसका मतलब है कि फेक्ट्स रख दिये...

श्री मुरलीधर व्यास : मेन कन्क्लूजन्स नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप पहले मुझे कह लेने दीजिये। जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको शान्तिपूर्वक सुना है।

तो २१-३-६५ को संतराम शर्मा की रिपोर्ट के कुछ एक्सट्रेक्ट्स मुख्य मन्त्रीजी ने सदन के सामने रखे, यह एक बात।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि २२-३-६५ को साढ़े दस बजे मुख्य मंत्रीजी ने आपके सामने उस रिपोर्ट की पूरी कॉपी, यों की यों, आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अध्यक्ष महोदय के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मायने यह हैं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अध्यक्ष होने के नाते इस सदन के प्रिविलेजेज के कस्टोडियन हैं, अध्यक्ष को इस सदन के प्रिविलेजेज को प्रोटेक्शन देने का अधिकार है, कोई चीज उनके सामने प्रस्तुत होती है, तो इसके मायने हैं वह चीज आपकी कस्टडी में है और कोई उसमें रद्दो-बदल करने या तरमीम करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है, जब रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वह रात को बदल दी गई।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप (श्री मानसिंह महार) खामोश रहिये।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरा फेक्ट है और जो इम्पोर्टेन्ट फेक्ट है वह यह है कि हम लोग सदन में इस बात को अंगीकार कर लेते हैं कि कोई रिपोर्ट अध्यक्ष के सामने रख देंगे तो इसके मायने यह हैं कि हम रामनिवास मिर्धा के हाथ में कोई रिपोर्ट नहीं रखते हैं बल्कि इस सदन के अध्यक्ष के हाथ में रिपोर्ट रखते हैं। इसका मतलब यह है कि उस रखने में एक सेंक्टिटी है, और जो प्रिविलेजेज हैं, उसकी प्रिवलेज्ड वैल्यू है और उसकी कॉन्स्टीट्यूशनल वैल्यू है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट आपके सामने आ गई है और वह रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं आई–तो सदन के पास पहुंच गई–यह परम्परा पार्लियामेंट में भी है और लोक सभा में कुछ डॉक्यूमेंट सदन में रख जाते हैं और जिस डाक्यूमेंट के लिए सरकार समझती है कि यह प्रिविलेज्ड डॉक्यू-

(श्री मथुरादास माथुर)

मेंट है तो वह अध्यक्ष के हाथ में रख दिये जाते हैं। अब अध्यक्ष को अधिकार होता है, जिस तरह वह अपने अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जब बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके पास एप्रोच किया, तो अभी आपने जैसा यहां कहा कि इस रिपोर्ट के बारे में मैंने यह कह दिया था कि मैं विचार करके यह फैसला करूंगा–क्या चीज बताई जाय, कब बताई जाय और कैसे बताई जाय। चूंकि यह रिपोर्ट आपके पास में थी, तो अगर हमारी मन्शा होती कि इस रिपोर्ट को सदन के माननीय सदस्यों से पोशीदा रखना है तो आपके हाथ में यह रिपोर्ट नहीं देते।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि हमारी जो मन्शा थी, हम जो प्रिविलेज क्लेम करते थे, तो सरकार प्रिविलेज क्लेम किसी डॉक्यूमेंट के लिए कर सकती है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री फेक्चुअली रोंग बात कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह दूं। इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, अब मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप गलत फेक्ट नरेट कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : फेक्ट्स यह हैं, प्रोसिडिंग्ज़ में से मैंने कन्क्लूजन्स पढ़ कर सुनाये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप गलत फेक्ट नरेट कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्यों ने मांग की थी, अध्यक्ष महोदय, कि हमें भी उस रिपोर्ट को दिखा दें तो मुख्य मन्त्री ने स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए उस रिपोर्ट को पोशीदा रखना चाहते थे, यह कन्क्लूजन निकलता है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपसे निवेदन करना करता हूं कि जब यह रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय के हाथ में दी जाती है तो यह उनके डिस्क्रिशन पर रहता है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिस्क्रिशन नहीं दिया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : और इसको मुख्य मन्त्रीजी ने....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : यही प्रोसीजर है।

श्री मथुरादास माथुर : स्पीकर महोदय के पास जब बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य गये तो उन्होंने कहा–कितना, कब और कैसे दिखाया जाय–इसका वह फैसला करेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा

(श्री मथुरादास माथुर)

कि मुख्य मन्त्री से पूछ कर या सरकार से पूछ कर फैसला करेंगे इस रिपोर्ट को मेम्बर्स को दिखाने के सम्बन्ध में।

तीसरी बात मैं अर्ज करना चाहता था, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह यह थी कि २१-३-६५ को इस रिपोर्ट के एक्स्ट्रेक्ट्स पढ़ दिये गये और २२-३-६५ को इस रिपोर्ट की प्रति अध्यक्ष महोदय को दी गई। उसके बाद जो प्रश्न जयपुर से आने वाले साथी ने उठाया कि यह सरकार ने प्रिविलेज क्लेम किया था इस रिपोर्ट पर, वह मुख्य मन्त्री ने बचने के लिए किया। यह सरकार का राइट है कि किसी भी डाक्यूमेंट पर प्रिविलेज क्लेम करे। किसी भी डॉक्यूमेन्ट पर प्रिविलेज क्लेम करके कल उसे सरकार रिलीज कर सकती है। प्रिविलेज चार दिन के लिए क्लेम हो सकता है और चार दिन के बाद न प्रिविलेज्ड डाक्यूमेंट रहे और न इम्पोर्टेन्ट रहे, तो वह प्रिविलेज रिलीज किया जा सकता है। उसके बाद सदन को कहा जा सकता है और क्योंकि सदन को कहा जा सकता है तो वह पब्लिक को भी कहा जा सकता है और प्रेस को भी दिया जा सकता है। इसलिए किसी भी डाक्यूमेंट पर प्रिविलेज क्लेम करना गवर्नमेंट का राइट है और जिस डाक्यूमेंट पर प्रिविलेज क्लेम करते हैं पब्लिक इन्ट्रेस्ट के अन्दर वह हमेशा के लिए नहीं होता, वह एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक इन्डेफिनिट पीरियड के लिए कर सकते हैं और यह उस डॉक्यूमेंट की नेचर और सर्कमस्टान्सेज के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो इस रिपोर्ट पर हमने प्रिविलेज क्लेम किया था उसको करने का राज्य सरकार को पूरा अधिकार है और यह भी अधिकार है कि उस प्रिविलेज को कब विदड्रॉ कर लें और कब रिलीज कर दें।

चौथी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो रिपोर्ट के बारे में इतनी चर्चा हुई, प्रिविलेज की मैंने दो बातें कहीं-एक तो यह है कि रिपोर्ट के एक्सट्रेक्ट थे वह सदन में पढ़ दिये गये, इसलिए रिपोर्ट सदन के सदस्यों से पोशीदा नहीं रख दी गई। दूसरी बात यह है कि स्पीकर साहब की कस्टडी में वह रिपोर्ट रख दी गई। यह दोनों बातें हो गईं। अब सबसे ज्यादा कन्ट्रोवर्सी इस प्रश्न पर है कि वह प्रेस को दी गई। अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने माना है कि सदन के सदस्यों को न बता कर आउट साइट ऑफ दी हाउस रिलीज कर दी गई। मैंने जो प्रोसिडिंग्ज में से पढ़ा है और जो तथ्य रखे हैं, उनसे इस बात का खंडन हो जायगा। २१ को इस हाउस के अन्दर उस रिपोर्ट में से एक्सट्रेक्ट्स पढ़ दिये गये और इसके बाद में रिपोर्ट आपको दे दी गई–यह दोनों बातें होने के बाद में नहीं कहा जा सकता कि सदन से रिपोर्ट पोशीदा रखी गई। उसके बाद में प्रेस में रिपोर्ट दे दी गई। जब इस सदन में रिपोर्ट के एक्सट्रेक्ट्स दे दिये गये और उसके बाद सदन की मेज पर रख दी गई। इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का सवाल था, उसमें जो प्रिविलेज क्लेम किया था, वह इसलिए क्लेम किया था कि यह प्रिसिडेंट न बन जाय। उससे आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी की रिपोर्ट होती है वह इनएविटेबिली सदन की मेज पर

(श्री मथुरादास माथुर)

रखी जाय। यह प्रिविलेज तो गवर्नमेंट का है वह जानती है कि कुछ रिपोर्ट को रखा जा सकता है और कई को नहीं रखा जा सकता है, यह उसकी सर्कम्स्टान्सेज पर, नेचर ऑफ इन्क्वायरी पर और फेक्ट्स पर निर्भर करता है। इसलिए जो प्रिविलेज क्लेम किया जाता है, वह इसलिए किया जाता है कि हर रिपोर्ट सदन की मेज पर न रखी जाय। वरना सदन से कोई बात पोशीदा रखने का या फेक्ट्स को सदन को न बताने की बात नहीं है। यह तो बता दी गई हैं, हम जो भी आपके सामने रखते हैं वह फेक्ट्स के आधार पर रखते हैं। इसलिए सब कुछ आपके सामने साफ है, इससे न प्रिविलेज का इश्यू बनता है। इसके साथ ही मैं अर्ज करू कि जो हैल्दी कन्वेन्शन की बात कही, तो इससे ब्रीच ऑफ हैल्दी कन्वेन्शन भी नहीं होता है, क्योंकि हमने उस रिपोर्ट को स्पीकर साहब को दे दिया था और दूसरे मुख्य मन्त्रीजी ने एक्सट्रेक्ट्स पढ़ कर सुनाये...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक्सट्रेक्ट नहीं पढ़े, आप झूठ मत बोलिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने पढ़ कर सुनाये हैं सदन के सामने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह एक्सट्रेक्ट नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे कन्क्लूजन्स नहीं है।

श्री नत्थीलाल (नदबई) : वह इन्टरप्रिटेशन हो सकता है एक्सट्रेक्ट नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : इस हाउस की जो बरबेटिम प्रोसीडिंग है, उसमें से मुख्य मंत्रीजी की स्पीच में से पढ़कर सुना दिया हैं। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दलील एक मिनट के लिए मान ली जाय तो असेम्बली जब सेशन के अन्दर है और हाउस के बाहर मिनिस्टर महोदय एक स्टेटमेंट दे दें, उससे कन्वेन्शन्ल ब्रेक हों - यह बात मानी जा सकती है तो उसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़ कर खेद प्रगट किया है......

श्री मानसिंह माहर (आमेर) : कमाल कर दिया।

श्री मथुरादास माथुर : उसके बाद भी इस तरह प्रश्न को बढ़ाना शोभा नहीं देता है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपकी खुद की रूलिंग कोट करता हूं इस बात पर कि हाउस सेशन में हो और बाहर को मिनिस्टर महोदय ने स्टेटमेंट दे दिया हो तो वह प्रिविलेज का इश्यू नहीं बनता है :......

"On the 10th December, 1959, the Speaker (Shri Ram Niwas Mirdha) informed the House that he had received a notice of the following question of privilege from Shri Satish Chandra Aggarwal, a member:

'That this House now consider the breach of privilege committed

(श्री मथुरादास माथुर)

by Shri Mohan lal Sukhadia, Chief Minister, in making a Statement announcing huge concessions to industrialists in matters of far reaching importance before the State Industrial Advisory Council on 4th of December, 1959, in preference to a statement on the floor of the House, more so by avoiding a reply to the question on the subject the same day in the House.

The Speaker then ruled:

इस पर आपका फाइनल रूलिंग यह हुआ है:—

"I may also add here that making such statements outside the House does not amount to a breach of privilege and taking into consideration the facts before us, it cannot be said that the statement made by the Chief Minister has lowered the prestige of the House. I do not, therefore, permit it to be moved in the House."

यह आपका खुद का रूलिंग १६५६ का है। इसी तरह के रूलिंग बिहार और मध्य प्रदेश में भी हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जब आप द्वारा ही इस प्रकार का रूलिंग दिया गया है और वह इन्डस्ट्री एडवाइजरी कमेटी के सम्बन्ध में, तो हम प्रेस को उससे कम नहीं समझते। यह तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों ने यह कहा कि इससे डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। यह प्रेस का फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा आपके हाथों में रिपोर्ट दे दी और जब उसके लिए अफसोस जाहिर कर दिया। तो उस बड़प्पन को न समझ कर यह प्रस्ताव पेश किया है कि यह सदन की प्रेस्टीज का प्रश्न है और कॉन्टेम्पट है। मैं समझता हूं कि यह गलत है और कोन्टेम्प्ट है, तो यह नहीं यह है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह ८ तारीख की रिपोर्ट है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जो मुलजिम जुर्म से इकबाल करता है उसको जुर्म की सजा दी जाती है, वह उस जुर्म से बरी नहीं हो सकता। क्रिमिनल लॉ में यही है।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने अफसोस जाहिर किया है तो फिर क्या रह जाता है?

श्री मुरलीधर व्यास: तो यह स्पष्ट है कि ब्रीच हुआ है जब खेद प्रगट किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी योजना मन्त्री ने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट है कि माननीय मुख्य मंत्री कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते आये हैं और हैबिचुअल ओफेन्डर हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: अध्यक्ष महोदय, २० तारीख का हवाला माननीय मन्त्रीजी ने दिया और उसके सम्बन्ध में सारी बातें सदन में रखीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

इससे पहले ८-३-६५ को प्रोसीडिंग्ज में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने मांग की कि यह हमारा प्रिविलेज है कि इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जावे। उसमें जो कहा गया है इसको मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : बाकी बातें बहुत पहले हुई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सबसे पहले ८ मार्च को मांग की गई थी और आपने·····

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य-शोरगुल)।

श्री मुरलीधर व्यास : उसका हाउस की प्रोसीडिंग्ज में रेफरेन्स है। जहां वे कहते हैं कि यह हमारा प्रीविलेज है। बार बार सारे सदस्यों ने कहा है और उसमें श्री ज्वालाप्रसादजी भी हैं। सबने इस प्रकार की मांग की है, मगर सबकी मांगों को ठुकराया और अब आप यह कहते हैं कि इससे पहले यह प्रश्न नहीं आया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को कई दफा उठाया गया और इसको प्रिविलेज डॉक्यूमेंट कह कर नहीं रखा गया है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है और अब कोई बहस की बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये तीन दफा बोल चुके हैं और फोर्थ टाइम है।

श्री मथुरादास माथुर : (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मेरे मोशन पर बहस हुई है।

श्री अध्यक्ष : उस पर बहस नहीं हुई है, यही तो आपकी गलत धारणा बनी है। मैंने जैसा पहले स्पष्टीकरण किया कि यह किसी के प्रस्ताव पर बहस नहीं हुई है। माननीय सदस्यों की बहस से इसमें कुछ मार्ग दर्शन मिल सके, इसके लिये इस तरह की चर्चा को उठाने की माननीय सदस्यों को इजाजत दी गई थी। सबसे पहले, मैं कुछ और बातें कहूं उससे पहले मैं, मेरा उल्लेख आया है उसके बारे में कहूंगा।

मैं पहले भी कई बार माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं कि मुझ से किसी माननीय सदस्यों की वार्ता हो तो उसका उल्लेख सदन में नहीं किया जाए, क्योंकि मैं हर स्टेज पर उसका निराकरण करूं, उस स्थिति में मैं नहीं हूं। इसके अलावा जो भी बातें हों उसका कभी कोई प्रतिवाद सदन में आ नहीं सकता। चूंकि यह मामला सदन में आया है इसलिये मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं और भविष्य में अगर इस प्रकार का कोई मामला आया तो सदन की कार्यवाही में उसको नहीं रखा जावे, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जब मेरे पास आये, उस समय मैंने माननीय सदस्यों से यही कहा कि यह

(श्री अध्यक्ष)

रिपोर्ट किस समय बताई जावे, इसके बारे में आपको सोच कर बता दूंगा। इसका मतलब ही यह था कि जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जिससे सरकार के प्रिविलेज का प्रश्न हो। यह संकेत मैंने माननीय सदस्यों को दूसरी रिपोर्ट के दौरान में दिया है कि पहले रिपोर्ट सदन के समक्ष आनी चाहिये। यदि यह रिपोर्ट सदन के समक्ष आ जावे तो यह अच्छा प्रजातान्त्रिक तरीका होगा।

मैं माननीय सदस्यों से बताऊं कि बाद में मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने उनसे कहा कि माननीय सदस्यों की यह मांग है इसको स्वीकार कर लें और इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दें। इसमें कोई सरकार के प्रिविलेज का, यह सरकार की कोई सिकरेसी हो या प्रशासनिक दिक्कत इसमें आती हो ऐसी बात नहीं है, जो सदन में आ सकती है। चीफ मिनिस्टर ने मना नहीं किया और कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। यहां बात समाप्त हो गई और वह चीज आई जिसका उल्लेख हमारे सामने है। इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं, जो हमारे सामने रखी गई है।

अब हमारे सामने दो बातें हैं। एक तो कल स्थगन प्रस्ताव आया, जिसको अस्वीकार किया गया और माननीय मन्त्री ने यह स्वीकार किया कि वे आज अपना वक्तव्य देंगे और उसके फलस्वरूप उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। दूसरा यह है कि विशेषाधिकार के प्रश्न को लेकर श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और मुरलीधर व्यास ने जो सूचना दी, उसके बारे में क्या किया जावे? इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि और भी मसले मेरे सामने आए। इसमें यह कहा गया कि रिपोर्ट बदल दी गई। यह भी बहुत गम्भीर आरोप है। मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य इस पर पुनः विचार कर लें कि किस प्रकार का मोशन आ सकता है। मुझे इस पर विचार करके लिखित रूप में दे दें। हम उसके बाद में खुले दिमाग से बैठ कर विचार कर लेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न उठाये जा सकते हैं। इसका निर्णय मैं बाद में माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करके दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, उन्होंने स्वयं ने मंजूर किया कि दूसरी जगह हुआ है या नहीं हुआ है। जो बात हमारे सामने आई उसका निर्णय करना हमारा कर्त्तव्य है। मगर इसका निर्णय किस तरह से हो। नियम के अनुसार इस सम्बन्ध में कानूनी किताब हो और भी कोई हो उसको सबको सोचें और हम सब मिल कर इस पर निर्णय करेंगे। इधर बैठने वाले और चीफ मिनिस्टर भी कभी यह नहीं चाहेंगे कि सदन की परम्पराएं हैं उनको बिना विचार किये ही टाल दिया जाए। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव आया है इसके बारे में व्यवस्था बाद में दी जावेगी। व्यवस्था क्या हो, इसके बारे में माननीय सदस्य मुझे पूरी तरह से मदद दें। इसको देखते हुए बाद में जैसा भी होगा व्यवस्था दी जावेगी।

Page No.71

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप लिखित में दे दें । अगर आप उस पर कुछ संकेत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपको हमारे योजना मन्त्री ने इन्वोल्व करने के लिये एक बात कही कि सरकार ने माननीय अध्यक्ष को इस बात का अधिकार दिया था कि अगर वे किसी सदस्य को रिपोर्ट दिखाना चाहें तो दिखा दे, उस समय हमने बराबर बार बार प्रोटेस्ट किया कि सदन की मेज पर रखी जावें यह प्रोसीडिंग्ज में है उसको मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की असत्य बात करके...

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, हम कुछ भी कहें एक रिपोर्ट...

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने ऐसा ही...

(शोरगुल)

(श्री मुख्य मंत्री बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री भैरोंसिंह : मैं अपनी बात तो कह दूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं स्पष्टीकरण कर दूं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं पहले स्पष्टीकरण कर दूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जो कुछ कहा यहां की रिपोर्ट पर है, आप लोगों ने रेकॉर्ड को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है इसलिये यह बात आई है । इसलिये मैंने जो स्पीकर महोदय को रिपोर्ट दी थी वह केवल आप तक सीमित रहेगी । कहने का अन्तर है वह आपके रिपोर्ट नहीं पढ़ने से है ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि उन्होंने हाउस में गलत बात कही ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, योजना मन्त्री अभी भी खेद प्रगट कर दें तो उनके लिये यह ठीक हो सकता है । मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि बगैर पढ़ने के कारण आपसे गलत बात कह दी गई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : रोजी बक्शाने गये थे, नमाज गले पड़ गई ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य को मुबारक हो, मैं भी जवाब देना जानता हूं, मैं निवेदन करता हूं और आज भी कहता हूं कि आपके हाथ में रिपोर्ट देने के बाद गवर्नमेंट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकती......

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : बहस बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मंत्री महोदय खेद प्रकट करें।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने जो बात कही वह गलत है, ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं आशा करता हूं कि सदन की परम्पराओं की बराबर दुहाई देने वाले विधि मंत्री ने इस सदन में गलत बात कही, मैं नहीं कहता, मुख्य मंत्री कह रहे हैं, किस कारण से कहा, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आप खेद प्रकट करें। लेकिन आपने अब एक और, विशेष, मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ बात कह दी। मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ यह बात कह दी कि मुख्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय से जो यह कहा कि वह स्वयं देखलें और बाकी के सदस्यों को दिखाने में आगे नहीं बढ़ेंगे, वह नहीं कर सकते थे, इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य मंत्रीजी ने अध्यक्ष महोदय के अधिकारों में हस्तक्षेप किया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी ने वह रिपोर्ट आपको अवलोकनार्थ देने की घोषणा की है, आपके पास वह रिपोर्ट आएगी, यदि मुख्य मंत्री यह घोषणा कर दें कि जो माननीय सदस्य देखना चाहें, उसको वह रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय दिखा देंगे, तो सदन के माननीय सदस्यों को संतोष होगा।"

इस पर मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं :

"मैंने कहा है कि यह आगे के लिए प्रिसीडेंट नहीं है इसलिए मैंने जो माननीय अध्यक्ष को दिखाने की बात कही है इससे आगे कोई और प्रश्न खड़ा नहीं होता।"

इसका मतलब यह है कि मुख्य मंत्रीजी ने माननीय अध्यक्ष के जो अधिकार थे, आपके शब्दों के अनुसार, उनके अधिकारों के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने हस्तक्षेप करके अध्यक्ष महोदय की मानहानि की, जिसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इन दोनों प्रश्नों पर जिसमें अध्यक्ष महोदय की मानहानि भी है, उसके लिए दोनों एक साथ खड़े होकर खेद प्रकट करें, ताकि सब को संतोष हो जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : कान पकड़ कर।

श्री राधाकृष्ण गोयल : विधि मन्त्री ने जो कुछ कह दिया लाइटली कह दिया; मुख्य मन्त्रीजी को सहयोग देने के लिए...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नीम हकीम खतरे जान; नीम मुल्ला खतरे ईमान।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक।

राजस्थान भू-धारण (संशोधन) विधेयक १९६५
(पुरःस्थापन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय मैं, राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६५ को

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विधेयक को मैं पुरःस्थापित करता हूं ।

(१. ५६ म पू.)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम (संशोधन) विधेयक, १९६५

(पुरःस्थापन)

श्री मथुरादास माथुर : मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६५

(पूर्व क्रम से वाद विवाद एवं पारण)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या २), १९६५.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख मैं कुछ ऐसी बातों को रखना चाहता हूं जिससे यह सरकार अपनी तानाशाही से उतर कर एक डेमोक्रेटिक सरकार बने । यह दुर्भाग्य का विषय है कि जब हमारे सामने बजट आया तो मैं समझता था कि पूज्य बापू के चेले जो हमारे सामने बजट रखें, जो एप्रोप्रियेशन बिल रखें उसमें शराबबंदी को अपनी एक प्रमुख नीति मानेंगे । जब श्री अमृतलालजी यादव हमारे आबकारी मन्त्री थे तब कहते थे कि वे शराबबंदी करेंगे और उन्होंने प्रथम चरण इस प्रकार से शुरू किया कि होटलों में शराब का इस्तेमाल करना बन्द कर दिया । उसके बाद जब गत तीन वर्षों से हमारे वित्त मन्त्रीजी पधारे हैं, उन्होंने इसका उल्टा कदम उठाया और इस समय तो बगल में डांगी साहब बैठे हैं जो शराबबंदी के कट्टर विरोधी हैं और मांस वगैरह के प्रबल समर्थक हैं; मैं जानता हूं कि कौल साहब उनकी नरगिसी बातों में नहीं आएंगे। हमारे वित्तमन्त्रीजी जिनके पास आबकारी और कर विभाग है, जबसे वे मन्त्री बने हैं, शराबबंदी की नीति के बिल्कुल

(श्री मानसिंह महार)

विरूद्ध काम करते हैं। अगर यहां गैर कांग्रेस सरकार होती और कोई निर्दलीय सरकार होती और फिर इस प्रकार की बात होती तो दुख का विषय नहीं होता लेकिन कांग्रेस की सरकार होना और पंडित जवाहरलालजी के नजदीकी वित्तमंत्री का होना और फिर शराब से दिन पर दिन आमदनी बढ़ाना और गरीब लोगों से इस तरह पैसे एंठे जाय, वह नीति घातक है। आपने तो जहां कम्प्लीट प्रोहिबिशन था वहां भी उल्टे जा रहे हैं। बम्बई सरकार का प्रोहिबिशन आबू में मौजूद था वहां आपने खुली छूट दे दी। आप शराब को आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बना रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है और अगर आपको यह करना है तो अपने आपको कांग्रेसी कहना छोड़ दें।

मेरा द्वितीय आरोप यह है कि गत तीन वर्ष के अन्दर आप चाहे संतुलित बजट पेश करें, चाहे घाटे का बजट पेश करें, आप राज्य की वित्तीय स्थिति को समझ नहीं सके है और इस कारण आप राजस्थान को दिवालिया बना रहे हैं, राजस्थान को कर्जे में डुबो रहे हैं, आपके वित्त मन्त्री बनने के बाद राजस्थान कर्जे में डूब गया है।

(२ म. प.)

आप कहेंगे कि अकाल पड़ गया, इस लिए दिवाला बढ़ गया, पर अकाल भी पड़ा तो आपके समय में पड़ा। तो मैं मानता हूँ कि आपके मन्त्री होते ही अकाल राजस्थान में पड़ने लगते हैं तो आप वित्त मन्त्री रहिये ही मत, इस्तीफा दे दीजिये और राजस्थान की गरीब जनता को राहत पहुचाइये। दूसरी स्थिति यह है कि आपके तीन वर्ष के कार्यकाल में भाव अनाप-शनाप बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई मुतवातिर बढ़ती जा रही है, आपके राज्य में आपसे मंहगाई रुक नहीं सकी, यह सरकार मंहगाई को नहीं रोक सकी, वह भी इतना खतरनाक नहीं है, पर इस मंहगाई से सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है, यह सरकार की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण नीति है।

आपने अनाज के भाव नीचे से नीचे निश्चित किये, नीचे भाव निश्चित करने का मैं विरोधी नहीं; पर आपके इस निश्चय का नतीजा यह होता है कि व्यापारी लोग काश्तकारों को कहते हैं कि सरकार ने यह भाव निश्चित किए हैं, इस भाव में अनाज हमको दे दोगे तो ठीक है; नहीं तो सरकार तुम लोगों से इस भाव पर अनाज ले लेगी और तुम लोग झगड़े में पड़ जाओगे। तो फसल आती है तो अनाज के भाव नीचे गिरते हैं, काश्तकारों को अच्छे भाव पर पैसा नहीं मिलता और जब काश्तकारों से व्यापारी अनाज खरीद लेते हैं तो अनाजों के भाव आसमान में चढ़ जाते हैं। आप हर फसल के समय देख लीजिये जब काश्तकारों के पास अनाज आता है तो भाव नीचे गिर जाते हैं और ज्योंही व्यापारियों के कोठों में अनाज आता है, व्यापारी काश्तकारों से अनाज खरीद कर अपने कोठों में भर लेते हैं तो अनाज के भाव आसमान में चढ़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा काश्तकारों ने गेहूं

(श्री मानसिंह माहर)

४० रु०, ३५ रु० क्विन्टल के भाव तक में महाजनों को बेचा और उसके बाद ८०, ९० रुपया क्विन्टल के भाव से उसी गेहूं को काश्तकारों ने महाजनों से बीज के लिये खरीदा; यह सरकार के लिए, सरकार की नाकाबलियत के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है।

मैं कहता हूं कि नाथूरामजी को फिर सोचना चाहिये, अब भाव गिर रहे हैं, सस्ते भावों पर व्यापारी अनाज खरीदेंगे और ८० रु., ९० रु. क्विन्टल के भाव पर बेचेंगे। आप कहते हैं कि हमने मेक्जिमम प्राइस निश्चित कर दी, पर आज आपकी निश्चित की हुई कीमत की उतनी ही कद्र है जितनी कि जयपुर की सड़क पर दुम हिलाता कुत्ता फिरता है, उसकी कद्र है। तो आपका इस प्रकार का तरीका है, आप काश्तकारों को एक्स्प्लोइट करते हैं, आप अपने आप को सभी प्रकार से काश्तकारों के ठेकेदार समझते है। अब फसल आ रही हैं तो महाजन लोग बहुत सस्ते भावों से अनाज लेंगे और सारा अनाज कोठों में भरने के बाद ९० रुपया, १०० रुपयों के भाव से बेचेंगे।

आपकी कोऑपरेटिव पॉलिसी खत्म हो गई है, वेअर हाउसेज की पॉलिसी कम्प्लीटली फेल्योर हुई है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि क्रय विक्रय संघ है, मेक्जीमम प्राइस निश्चित करने पर पंचायत समिति गोविन्दगढ़ द्वारा कोटेशन्स मांगे गये; तो इनके भावों में से ६ रुपया ज्यादा भाव दे दिये, जयपुर के, चौमू के क्रय विक्रय संघ ने दिये। मैंने कहा कि आप अधिक भावों में मत खरीदिये, बड़ा चक्कर पड़ेगा। पर इन्हीं के क्रय विक्रय संघ जिनको ये फाइनेन्स करते हैं, इनके आदेशों का पालन नहीं कर के भाव बढ़ाते हैं। यह हालत होने के बावजूद भी आप समझते हैं कि आपका एड्मिनिस्ट्रेशन अच्छा है। किसानों को अनाज रखना पड़ता है। किसान जिस प्रकार दूसरे मजदूर लोगों से काम करवाते हैं तो मजदूरी में अनाज ही देते हैं, रुपयों में तो मजदूरी देने में किसान पोसाता नहीं है। पर सरकार किसान पर भी पाबन्दी लगाती है कि इससे ज्यादा अनाज नहीं रख सकते। यह किसान विरोधी नीति है। आपको किसानों को छूट देनी चाहिए। दो सौ, ढाई सौ क्विन्टल की छूट की बात कर के सोचें तो ठीक हो सकता है। एक किसान के पास चार बैल होते हैं, गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, उसे आदमी रखना पड़ता है, उस किसान से आप यह उम्मीद करें कि २५ क्विन्टल में साल भर का अपना सारा खर्चा चला लेगा तो यह उस किसान के साथ अन्याय है। किसान को एक मजदूर रखना पड़ता है, जिसको ३० मन नहीं बल्कि ४० मन अनाज देना पड़ता है। आप खुद खेती कराते हैं, आपकी कुचेरा में खेती है, जोधपुर में अंगूरों की खेती करा रखी है, पर आप जानते इसलिए नहीं होंगे कि मैं जानता हूं आप कन्ट्रोल का गेहूं मंगा लेते होंगे, जितने आटे की बोरियों वाले हैं उनसे मंगा लेते होंगे....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं कभी बाजार से गेहूं नहीं मंगाता, अपने खेत का ही खाता हूँ।

श्री मानसिंह महार : तो मंत्री महोदय ने भी डिक्लेरेशन दे रखा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितने के लिए डिक्लेरेशन देने की जरूरत है उतना मैं नहीं रखता, अब तो वह रिलेक्स भी कर दिया है।

श्री मानसिंह महार : अपने ऊपर लागू हुआ तो रिलेक्स कर दिया ! बड़ी खुशी की बात है आपने पहले तो रखा।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले मेरे पास इतना था ही नहीं।

श्री मानसिंह महार : आप डिक्लेरेशन देते तब तो मैं मानने को तैयार होता...

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरी बात मान जायं तो अच्छा है, नहीं मानें तो आपकी मर्जी है।

श्री मानसिंह महार : आप पहले ही भूमिका बांध रहे हो। पहले उतना नहीं था, अब हो जायगा। पिछले साल आपने गल्ती की, अब नहीं करेंगे। खैर आपने रिलेक्स कर कर दिया, इसका मैं आभारी हूँ। आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप काश्तकारों के हित में यह कार्य करेंगे, वर्ना महाजन लोग काश्तकारों से सस्ते भाव में ज़बरदस्ती अनाज ले लेंगे। रिलेक्सेशन नहीं करेंगे तो काश्तकार २० मन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे और व्यापारी लोग काश्तकारों से ४० के भाव से अनाज खरीद लेंगे और १०० के भाव पर बेचेंगे। तो रिलेक्सेशन दे दें।

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूँ। आयुर्वेद विभाग पर जब चर्चा हो रही थी तो मैंने आयुर्वेद विभाग पर बोल नहीं सका था। यह आयुर्वेद विभाग एक ऐसा विभाग है कि इस जैसा विचित्र विभाग हिन्दुस्तान में नहीं होगा, और अगर यह कहूँ कि दुनिया में नहीं होगा, रूस और चीन में भी नहीं होगा, तो यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

यह एक ऐसा विभाग है जिसको देखें तो इसके मंत्री महोदय तो फुटबॉल हैं, जिधर चाहें घुमाये जा सकते हैं. काम तो करते नहीं, कला मुंडी खाते फिरते हैं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He says that the Minister is a football, मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री मानसिंह महार : मैं माननीय सदस्य से कहूगा कि हमें जब इसका बैड टेस्ट भुगतना पड़ता है तो उस वक्त मंत्रीजी से भी कहें कि...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसके अलावा मंत्री महोदय को फुटबाल बताते हैं तो यह उनकी तारीफ है, फुटबाल न्यूट्रल होता है; तो उनको फुटबाल बता कर उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वे फुट-बॉल की तरह न्यूट्रल हैं।

श्री मानसिंह महार : जो इस विभाग के डाइरेक्टर हैं, वे तो अपने आपको खुदा समझते हैं, डाइरेक्टर साहब ने आयुर्वेद

(श्री मानसिंह महार)

विभाग के वैद्यों को लड़ा रखा है, उनमें आपस में फूट डाल रखी है। दो एसोसियेशन्स इस विभाग के कर्मचारियों की बना दी है। एक एसोसियेशन मंत्रीजी के बेटे का बना हुआ है और दूसरा एसोसियेशन मुख्य मंत्रीजी का और डाइरेक्टर साहब के बेटों का बना हुआ है। आप हालत देखिये। बेचारे वैद्य जो आयुर्वेद मिनिस्टर के एसोसियेशन के मेम्बर हैं उन पर तो डाईरेक्टर और मुख्य मंत्रीजी नाराज। मैं आपको यह सही बता रहा हूँ। मैं ज्यादा डिपार्टमेंट्स में नहीं जाऊंगा और एक दो डिपार्टमेंट्स की ही कलई खोलूंगा। इधर मंत्री की तरफ तो उधर वे नाराज और उधर की तरफ तो इधर नाराज। दो पार्टी हो गई हैं। फुटबॉल नहीं तो क्या है? वैद्यों को भी फुटबाल बना दिया। जिधर जायें उसकी हालत खराब।

लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद विभाग के वैद्य जितने पोलिटिक्स में भाग लेते हैं, उतने कोई नहीं लेते। उन्होंने तो टीचर्स वगैरह सब को मात कर दिया है। मैं इसका एक प्रमाण सदन में पेश करता हूँ और यदि वह झूठ निकले तो आप जैसी चाहें मुझे सजा दीजिये।

एक आचार्य श्री नारायणलालजी "निराला" वैद्य हैं। अचरोल में हैं वैद्य। यहां से १८-२० मील की दूरी पर है अचरोल। वे वहां पर तैनात हैं। उन वैद्यजी के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वे किस प्रकार से सक्रिय पोलिटिक्स में भाग लेते हैं। १ तारीख को पंचायत समिति रामगढ़ का चुनाव हुआ। "निरालाजी" की आयुर्वेद औषधालय में हाजरी हैं और जमुआ रामगढ़ की पंचायत समिति के चुनाव में मौजूद हैं। दोपहर के बाद झोटवाड़ा की पंचायत समिति में मौजूद। मैंने उनको आंखों देखा है झोटवाड़ा में एक तारीख को। २ तारीख को पंचायत समिति आमेर में चुनाव होता है। प्रधान का चुनाव।

श्री नाथूराम मिर्धा : बड़ा असरदार आदमी है।

श्री मानसिंह महार : खुले आम प्रचार करते हुये देखा है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो महीने तक जीप दी गई प्रचार करने के लिए। कांग्रेस पार्टी की जीप है उसमें खुले आम प्रचार करते हुए हल्के में घूमे हैं। कोई पाबन्दी नहीं। औषधालय में उनके रहने के लिए कोई पाबन्दी नहीं, जैसे वे तो एक पार्टी के पेड वर्कर थे...

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूँगा कि वे पेड आदमी हैं, या सर्विस में हैं?

श्री मानसिंह महार : अयुर्वेद डिपार्टमेंट के पेड वैद्य हैं। आप समझे ही नहीं, मैं भौंक रहा हूँ जब से।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपसे इतना ज्यादा असरदार आदमी है कि जीपों में घूमा और आपको रख दिया?

श्री मानसिंह महार : खुश मत होइये। ये परम्परायें डालीं तो कलम पकड़ कर रोयेंगे। यह डेमोक्रेसी खत्म हो जावेगी।

एक वैध सत्र पंचायत समितियों में जीप लेकर घूमता फिरे और आप कुछ नहीं कर सकें? यह गलत हो तो आप जांच करें और इस सब पर तोफा। मैं यह बताता हूं कि अच-रोल में एक क्रय विक्रय संघ है। उसके अध्यक्ष या मंत्री भी ये हो गये हैं। सरकारी वैद्य होते हुए भी क्रय विक्रय संघ के ये अध्यक्ष या मंत्री हो गये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मंत्री ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ हो गये हैं, दोनों में से एक।

श्री मानसिंह महार : इतना मैं यह यों रखता हूं कि शायद गलत निकल जाय। वे उसके ऑफिस बियरर जरूर हो गये हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : गलत न निकले, शायद सही निकल जाय।

श्री मानसिंह महार : तो यह निवेदन करना था कि इस तरह का इस डिपार्टमेन्ट में पक्षपात होना है। मैं आपको निवेदन करूं कि यह पक्षपात ही नहीं दूसरी चीज इस डिपार्टमेंट के बारे में है, इस चीज में मैं विजिलेन्स कमीशन को केसेज़ रेफर करूंगा। इस महकमे में एक एक वैद्य का दस दस बार तबादला होता है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : नाम क्या बताया उस वैद्य का ?

श्री मानसिंह महार : श्री नारायण-लालजी 'निराला'। 'निराला' उप-नाम है। निराले ही हैं अपने ढंग के।

मैं कहना नहीं चाहता. लेकिन इस विभाग में परम्परा बन गई है। मैंने तीन साल पहले इस सदन में रेफर किया था। वैद्यों के तबादले होते हैं, उनके खूंटे होते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आयुर्वेद को लेकर ही समाप्त कर दूंगा।

वे लोग क्या करते हैं कि तबादला होने पर चार्ज नहीं देते हैं। यहां से इन्स्पेक्टर जाता है और जाकर ताले तोड़ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ताले तोड़े जाते हैं और चार्ज लेते हैं। यह एक आम चीज है। एक केस में हुआ हो उसको साइड कर दें, दो केस में हुआ हो उसको साइड कर दें, लेकिन आयुर्वेद विभाग के पच्चीस विभागों में ताले तोड़े गये हैं। उसके अनेक उदाहरण हैं। धोली गांव है तहसील बैराठ में। गोवर्धनजी वैद्य का तबादला हुआ, वे बिना चार्ज दिये ताला लगा कर औषधालय से छुट्टी पधार गये। छुट्टी पधारने के बाद इन्सपेक्टर को आदेश मिला कि ताले तोड़ कर चार्ज दे दो। वहां जाकर इन्स्पेक्टर ने चार्ज दिलाया और तीसरे दिन दूसरा आदमी चार्ज लेने पहुंच गया, उनका भी तबादला हो गया। तीसरे का तबादला होता है और चौथा चार्ज के लिये पहुंच जाता है। ताले तोड़ने की मिसालें मंत्री महोदय चाहें तो दे सकता हूं। मेरे पास लिस्ट है। मानपुर-माचेड़ी के औषधालय का ताला तोड़ कर चार्ज दिया गया, घनकिय के वैद्य का तबादला हुआ तो

(श्री मानसिंह महार)

ताला तोड़ कर चार्ज दिलाया गया, बौली औषधालय के वैद्य का तबादला हुआ तो ताला तोड़ कर चार्ज दिलाया गया। मेरे महार के वैद्य का तबादला हुआ तो ताले तोड़ कर चार्ज दिलाया गया। मैं मिसाल बताऊं। २५ परसेन्ट तबादले होते हैं वे क्यों होते हैं? इन तबादलों में पैसा दिया जाता है। मैं यह सही बात निवेदन कर रहा हूं, पैसा दिया जाता है रिश्वत का ऊपर वालों को। एक वैद्य ३००) रु. देकर तबादला कराता है। जिसका ट्रान्सफर वहां से होता है दूसरे दिन ४००) रु० दे देता है तो वह ट्रान्सफर स्थगित हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं और प्रोटेक्शन चाहता हूं कि आयुर्वेद विभाग के अन्दर वैद्यों आदि के चार वर्ष के तबादलों की लिस्ट है, उसको देखने से मालूम हो जायगा कि क्या हो रहा है। हम कहां जा रहे हैं आज? मैं इसी एक मिसाल को लेकर चाहे हम कोई बीस बात कह दें सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं देती। मैं इस सरकार के कान खोलना चाहता हूं। कोई उस तरीके से नहीं। करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप जांच कराइये। वैद्यों के करप्शन को रोकें। मैं कहता हूं कि करप्शन को रोकने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट रख कर जांच कराइये। हम गलत हों तो हमको सजा दीजिये। हम यह नहीं कहते कि आप हमको बक्श दीजिये, लेकिन हम जो इस सदन में बात कहें, वह सीरियस मैटर हो तो सरकार को उस ओर ध्यान तो देना चाहिये। यह इस तरीके का एड्मिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? देश कियास की ओर जा रहा है। वैद्यों के तबादले होते हैं, डाइरेक्टर के और इन्स्पेक्टर के आदेश न मानें और फिर ताले तोड़े जायं और कोई ऐक्शन नहीं। उस वैद्य का ग्रेड इन्क्रीमेंट भी न रोका जाय और दस दिन के लिए सस्पेन्ड भी न रखा जाय। महीने दो महिने उसको सस्पेन्ड कर देते तो पता चलता। इसके माने यह हैं कि कोई एड्मिनिस्ट्रेशन नहीं है। यों के यों बिना एक्शन लिये वे लोग काम पर हैं। एक वैद्य ३० मील दूर पर है और वह २० दिन अपने गांव महीने में पड़ा रहता है। डाइरेक्टर से जवाब मिलता है इन्स्पेक्टर साहब से बात कीजिये। इन्स्पेक्टर साहब से कहें कि फलां औषधालय में वैद्य है, महीने में २० दिन गांव में पड़ा रहता है तो जवाब मिलता है इन्स्पेक्टर का, कि कुछ दिन के लिए दफ्तर में काम करने के लिए बुला लिया था। कोई आदेश नहीं और कुछ नहीं। उस गांव का औषधालय बन्द पड़ा रहा, जनता दवाइयों से महरूम रही।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जयपुर के इन्स्पेक्टर हैं श्री गोकुलेन्द्रजी जो मेरे गांव से छः मील की दूरी के रहने वाले हैं। यह होते हुए भी कि जो डिस्ट्रिक्ट का आदमी हो, उसको वहां न लगाया जाय गत चार वर्षो से जयपुर में अपनी नेतागिरी जमाये हुए इन्स्पेक्टर के पद पर मौजूद हैं। ये पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में थे, इनको गलत तरीके से प्रोमोशन दे करके कम्पीटेन्ट न होते हुए भी इनको इन्स्पेक्टर बनाया गया। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा जिला है जहां पर इनको रखा गया है और चार साल से यहीं बैठे हैं। कम से कम इनके ही परिवार के ४० वैद्य हैं जो इसी डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं।

(श्री मानसिह महार)

चपरासी लगेगा तो मोरीजा का लगेगा जो वैद्यजी का गांव है। वैद्यजी भी जो आस पास लगेंगे वे मोरीजा के लगेंगे। एक वैद्यजी मिल गये चितवाड़ी में, जिनका उदयपुरिया तबादला हो गया। मैंने पूछा कहां तबादला कर दिया? चितवाड़ी में इन्स्पेक्टर साहब के काका के बेटे को मोरीजा के पास लगाना था, इसलिये इनको यहां लगा कर मेरा तबादला उदयपुरिया कर दिया है, यह हालत है। इस विभाग में कोई किसी प्रकार से सुनने वाला नहीं। मंत्रीजी को कहते है तो वे कहते हैं डाइरेक्टर साहब से बात करो। डाइरेक्टर साहब से कहते हैं तो वे कहते हैं कि मंत्रीजी ने कहा है, यह हालत है; कोई समन्वय नहीं है। यह कोई महकमा हो ऐसी भी बात नहीं। औषधालयों में दवाइयां नहीं पहुंचती हैं। जितनी दुनियां में अव्यवस्था हो सकती है इस महकमे में मौजूद है। आप इस चीज की जांच करना चाहें तो मैं तथ्य भी आपके सामने रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रियेशन बिल से राज्य सरकार १ अरब ६१ करोड़ रुपये की मांग कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि इस खर्च की मांग को स्वीकार किया जाय हमें यह देखना होगा कि जो हम इतनी बड़ी धनराशि राजस्थान में खर्च करते हैं, ये खर्चे राजस्थान के विभिन्न भागों में किस प्रकार से किये जाते हैं उसका इम्पेक्ट उन तबकों पर क्या पड़ता है? हमें यह भी देखना होगा कि राजस्थान सरकार इन खर्चों को करने में क्या नीतियां अपनाती है और उसका विभिन्न वर्गों पर क्या असर पड़ता है?

अध्यक्ष महोदय, अगर गौर से हम इस बात को देखे तो हमें यह कहना पड़ेगा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार जिन नीतियों के जरिये इस खर्चे का डिस्ट्रिब्यूशन रीजनल तरीके पर करती है। हमारे राज्य में कांग्रेसी शासन के इन पन्द्रह वर्षों में प्लान्ड तरीके के इस खर्चे से यह असर निकला है कि प्रान्त में रीजनल बेसिस पर रीजनल डेस्पेरिटीज बढ़ रही हैं और ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। राजस्थान सरकार की ओर से समय समय पर प्रोग्रेस रिपोर्टस छापी गई हैं उसी के आधार पर मैं राज्य के विभिन्न जिलों पर जो खर्चा हुआ है इन फाइव ईयर प्लान्स के जरिये उसका थोड़ा ब्योरा आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, २६ जिलों में जो राजस्थान में खर्चा हुआ है उसमें लोएस्ट लैडर पर हैं। दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में जहां १०२ करोड़ रुपया सारे राज्य में खर्च हुआ उन २६ जिलों में बाड़मेर जिला आखिर में आता है, जिसमें केवल १७.६५ प्रति व्यक्ति खर्चा हुआ है दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक। २६ वां जिला बाड़मेर आता है और पच्चीसवां जालौर, जिसमें २०.५७ प्रति व्यक्ति खर्च हुआ। नागौर २३.०१, सीकर २३.४६ अलवर २४.२० इस तरह से ये पांच जिले लोएस्ट लेडर में है, जिन पर सेकन्ड प्लान के अन्त तक खर्च हुआ है।

Page No.81

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं सैकन्ड प्लान में इस तरह से खर्च किया गया और थर्ड प्लान में वही क्रम लगभग जारी है । अभी तक हमारे ६१-६२, ६२-६३ और ६३-६४ की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आयी हैं, उसके जरिये डिस्ट्रीब्यूशन पर केपिटा जिलों में डिस्ट्रब्यूशन हुआ है वह इस प्रकार है; बाड़मेर में १५.७७, जालोर १३. ४८, नागौर १६. २१, सीकर १५. ०४, अलवर १६. ७२, भरतपुर १५.४४ झुंझुनू १५.३०, सवाई माधोपुर १४.५४. अध्यक्ष महोदय,इस तरह से ये कुछ जिले हैं । राज्य सरकार द्वारा जो पंच वर्षीय योजनाओं में खर्च किया गया है, जहां राजस्थान में एवरेज सैकन्ड प्लान में ४७.७४ था । जहां पर हाइएस्ट जिला जहां पर खर्च हुआ १६४ पोइन्ट एण्ड समथिंग है । उसके मुकाबले में इन जिलों में २९ से लेकर १७ रुपये तक सैकन्ड प्लान में खर्च हुआ है ।

तीसरी पंच वर्षीय योजना में एवरेज राजस्थान में ५१.७३ प्रति व्यक्ति है और कुछ जिलों में ९० रुपया प्रति व्यक्ति खर्च हुआ है । इन जिलों में इन तीन वर्षों में १३. ११ से १६. ११ प्रति व्यक्ति खर्च हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय , ऐसी बात नहीं जो सरकार यहां सोशलिज्म की बात करती यदि ऐसा होता कि कुछ जिले पहले से ही काफी तरक्की किये हुए होते या लोगों की आमदनी बढ़ी हुई होती इसलिये इनकी उपेक्षा करके दूसरे ऐसे जिलों पर खर्च करने की बात होती जो अविकसित है, जहां पर-केपिटा इनकम कम है, तो भी यह बात समझ में आनी वाली थी ।

अध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट नेशनल कौन्सिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने पर-केपिटा इनकम के बारे में अलग अलग जिलों की जो तस्वीर बतायी है,उसके अनुसार ५५-५६ में जो बाड़मेर जिला जिसमें सबसे कम खर्च हुआ है । समाजवाद को मानने वाली सरकार संविधान के अनुसार लोगों के अन्दर गरीबी और अमीरी के फर्क कम करने का दम भरने वाली सरकार यह देखे कि बाड़मेर जिले में पर-केपिटा आमदनी १५८ रुपया प्रति व्यक्ति है जो राजस्थान के सब जिलों से कम है । हमारी राज्य सरकार ने जिसकी पर-केपिटा इन्कम सबसे कम है, उस जिले के ऊपर सब से कम पर-केपिटा खर्चा सेकन्ड और थर्ड प्लान में किया है ।

अध्यक्ष महोदय, यह तस्वीर है उन जिलों की; जालौर, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर । इन जिलों में एक्सपेन्डीचर सेकन्ड व थर्ड प्लान में किया है ये सबसे नीचे लैडर में है । उनकी आमदनियां १५८ से लेकर लगभग २२५ के बीच में है । जिसमें जालौर की २२५), नागौर की २०८), सीकर की १९१) अलवर की २२३), भरतपुर की २०५), झुंझुनू की १८७) पर-केपिटा इन्कम है । जब कि राजस्थान में इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक इनकम किसी जिले की ३०४) है । इस तरीके से अध्यक्ष महोदय, इस एनेलिसिस से हमें पता लगता है कि राज्य सरकार का खर्चा करने का तरीका, घोषणाएं तो सोशलिज्म की, घोष-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गए डिस्पेरिटीजी को कम करने की, पर जो एक्चुअल एक्सपेन्डीचर की नीति है वह प्रान्त की अविकसित जनता के लिये, पिछड़ी जनता के लिये, इकोनोमिकली बैकवर्ड इलाके लिये कम खर्च करने की है और जो उसके मुकाबले में थोड़े वैल अप है, उनके ऊपर ज्यादा खर्च करने की नीति रही है ।

अध्यक्ष महोदय, यदि यह बात भी होती कि नेचुरल रिसोर्सेज की दृष्टि से या प्राकृत्तिक दृष्टि से जो जिला इस तरह से स्थित होता कि जिसकी तरक्की सम्भव न हो, राज्य सरकार जिन चीजों पर पैसा खर्च कर रही है, वह पैसा वहां पर खर्च हो नहीं सकता हो तो भी बात रीजनेबल समझ में आने वाली मालूम पड़ती, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय,

(२. ३० म. प.)

(राव श्रीनारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यदि अलवर भरतपुर की बात लेकर देखें । राजस्थान सरकार ने बड़े से बड़ा खर्चा किया है वह पॉवर पर किया है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर किया है । यदि राज्य सरकार की यह नीति होती कि ज्योग्राफिकली स्थिति के कारण खर्च करने की, तो उपाध्यक्ष महोदय, पॉवर का एक्सपेन्डीचर सबसे पहले अलवर और भरतपुर जिले में होता, भाखरा प्रोजेक्ट के नियरमोस्ट होने के नाते । दिल्ली के नियरमोस्ट होने के नाते इन जिलों में हाइडल पॉवर सबसे पहले आनी चाहिये थी ।

और उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की केन्द्रीय वाटर और पावर बोर्ड की तरफ से सिफारिश भी की गई, परन्तु हमारी राजस्थान सरकार ने उसको किसी न किसी वजह से टालमटोल कर दिया ।

इसी तरह से इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिये जावें तो ऐसी बात नहीं कि इन जिलों में इरिगेशन के लिये पानी की पोटेन्शियलिटी नहीं थी । खुद अलवर जिले में सारी प्रोजेक्ट को राजस्थान सरकार ने दूसरी योजना में रखा, पहली में रक्खा, तीसरी में रखा और उन सबके अन्दर उसको पोस्टपोन करते चले गये और अब चौथी योजना में उसको रखने की बात कही जाती है ।

इस दृष्टिकोण से उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की नीति न तो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधन, भौगोलिक सिचुएशन को देख कर रखी गई है न ही जो वास्तविक बुनियाद होनी चाहिये थी, उन जिलों की आर्थिक स्थिति को उनकी इस बात को देख कर रखी गई है, बल्कि एक जंगल लॉ है इनका, प्रेशर लॉ है, खींचतान का लॉ है, जिसके मुताबिक ये एक्सपेन्डीचर किया करते हैं ।

मुझे इस बात में कोई गिला नहीं; सारे राजस्थान की जनता आगे बढ़े और सबको समान अवसर मिले, आगे बढ़ने का और जहां नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा भी हों तो राजस्थान प्रांत के सारे एरिया की सारी जनता के उपयोग में लाने के लिये उसका विकास किया जावे, परन्तु जो नीति राजस्थान सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, उससे एकता के बदले डिस्सेन्शन बढ़ता है, एकता के बजाय आपस में सन्देह का, खींचतान का वातावरण फैलता है, जो प्रान्त की जनता के हित में ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जिसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह है कि जहां इस तमाम एक्सपेन्डीचर को १ अरब और ६१ करोड़ के खर्चे को स्वीकार कराना चाहते हैं,हमें यह देखना होगा कि सरकार जिन नीतियों को लागू कर रही है उनसे आम लोगों पर क्या असर पड़ता है । एक ही मिसाल दूंगा । टाउन प्लानिंग हमारी सरकार करती है। उसके जरिये सरकार किसको लाभ देना चाहती है ? इसके लिए सरकार बजट में पैसा प्रोवाइड करती है, पर क्या सरकार ने सोचा कि इस पैसे के जरिये ऐसी नीति पर एम्बार्क कर रही है कि जो एड्ज-स्टिंग लोग हैं, आम गरीब लोग हैं इनकी वजह से और आपकी उन विकास योजनाओं की वजह से उनकी बरबादी हो रही है, वे उजड़ रहे हैं । आप जिन नीतियों को अपना रहे हैं उससे जो लोग, उपाध्यक्ष महोदय, इन शहरों में जिनको अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड या ट्रस्ट के जरिये, म्यूनिसिपल बोर्ड के जरिये विकास के लिए राशियां दी जा रही हैं, स्कीमें बनाई जा रही हैं क्या बुनियाद है उसके पीछे ? उनकी मान्यता यह है अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, कि जो लोग गरीब उन इलाकों में बसे बैठे है, कच्ची बस्तियों में बैठे हैं, उनके पास कहीं पर भी न पहले रिवाज था, न बयनामे हैं न पट्टे हैं । चाहे जयपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे अलवर हो और ये समस्याएं उपाध्यक्ष महोदय, सब जगह समान रही हैं । चाहे जयपुर का हसनपुरा हो, लालकोठी हो, लालकोठी के पास का इलाका हो, चाहे नारी का नाका हो, चाहे अलवर हो, चाहे कोटा हो, जोधपुर हो, सब जगह पर उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल पैदा हुआ । सरकार यह मान कर चल रही है कि ये तमाम लोग अन-ऑथोराइज्ड तरीके से वहां बैठे हैं उनको बेदखल कर दिया जावे उन जमीनों से और उन्हें बेच दिया जावे कीमतन अलॉट कर दिया जावे और इस तरीके से कुछ लोग सरकार के लिए मत वसूल करने वाले, मत वसूल करने की ख्वाहिश में किन्हीं लोगों को कन्सेशनल रेट पर दे दी जावे । जो गरीब लोग बगैर पट्टे, बगैर किसी किस्म के टाइटल डीड से बरसों से बैठे आये हैं, उनको सरकार मिटाने की सोचती है, कन्सेशनल रेट पर भी उनको देने से इन्कार करती है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि जो लोग वहां पर बैठे हैं उन लोगों को सरकार को उस जमीन का मालिक घोषित करना चाहिये । सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिये कि जो लोग भी इस जमीन पर बैठे हैं वे लोग उसके मालिक हैं और सरकार अगर किसी स्कीम के अन्दर भी उस जमीन को लेना चाहती है तो बाकायदा लैंड एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स पूरी करके, बाकायदा मुआवजा उसका उनको देकर फिर उसे ले ।

मैं पूछना चाहता हूँ, आप गरीब लोगों के तो पट्टे देखना चाहते हो, गरीब लोगों के बयनामे देखना चाहते हो; ये महाराज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जयपुर किस तरीके से कब आये इस जयपुर राज्य पर ? कौनसा पट्टा देखा आपने इनका? इन जागीरदारों ने कैसे कब्जा किया अपने इन मकानों पर, इन जमीनों पर, उन राजाओं और नवाबों ने किस तरीके से अपनी सल्तनतें कायम की थीं ? कौनसा बयनामा है, उनके पास, किसका पट्टा है ? क्या जनता ने उनको जमीनें बेची थीं, ये तख्त और ताज, ये महल और मालिये पट्टे पर दिये थे ? लेकिन ताकत की बिना पर उन लोगों ने कब्जा किया। अपने हाथ में राज्य आने पर अपने कानून के मुताबिक उनको रेगुलेट किया। कानून की शक्ल दी।

आज जब कि प्रजातन्त्र है, आज जब कि गरीबों ने लड़ाई लड़ी है आजादी की, वह अपने हक मांगती रही कि जो जिस जमीन पर बसता आ रहा है, इस आजाद हिन्दुस्तान में आप किन्हीं स्कीमों के नाम पर, टाउन इम्प्रूवमेंट के नाम पर उनको आज उखाड़ना चाहते हैं और उनको ट्रेस पासर कह कर, अन-आँथोराइज्ड ओक्यूपेन्ट्स कह कर आप उनके मकान और भोंपड़ों को नीलाम करना चाहते हो; यह कभी भी मुमकिन नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: (आसीन्द) ताकत की बिना पर लेंगे तो उन गरीबों को कौन बसने देगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस को इस बात का श्रेय है और मैं वह श्रेय उनको देना चाहता हूँ जिन्होंने कि किसानों के आन्दोलन को उन्होंने शुरू किया, किसान आन्दोलन में साथ दिया और किसान की जमीन के कब्जे की बुनियाद पर उनको हक मिलना चाहिये मालिकाना, इस बात के लिए किसान ने कुरबानी की, कांग्रेस ने भी कुरबानी की, दूसरी पार्टियों के साथ साथ। पर उसी इन्साफ को उस बस्ती में रहने वाले कस्बों में, शहरों में बसने वाले गरीब लोगों पर लागू क्यों नहीं किया जाता ?

अगर आप टीनेन्सी एक्ट में प्रावधान कर सकते है कि जिनके पास मकान नहीं है, गांव में जमीन जोतता है, तो मुफ्त जमीन उसे गांव में मिलेगी। तो इसी बुनियाद पर यह कानून क्यों नहीं बनाया जावे कि जो शहरों में बसते हैं जिनके पास मकान न भी हों, उसे भी रहने को जमीन मिलनी चाहिये, पर जिसके पास जमीन है, कितने ही अर्से से काबिज है, सिर्फ इसलिये कि कच्चा भोंपड़ा है इसलिए उनको निकालना चाहते है !

अगर उसकी उपयोगिता होती तो आप किसी न किसी तरीके से उसको कानूनी शक्ल देने की कोशिश करते। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के केसेज कितनी ही जगह चल रहे हैं। अलवर में एक मोहल्ला नारी है उसमें सौ-सौ वर्ष के लोग काबिज हैं, उन्होंने पक्के मकान बना लिए और आपने उनको दफा ९१ के नोटिस दिये हुए हैं। यहां नारी का नाका है उसमें ५० वर्ष से लोग बसे हुए हैं। उनको दफा ९१ के नोटिस यहां पर जारी किये हुए हैं। यहां लाल कोठी के पास पहले जागीर थी उसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बहुत से कच्चे मकान बने हुए हैं ५०-६० वर्ष के, उनको आप ट्रेसपासर्स मान कर उठाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए और इन लोगों को इन जमीनों पर ऑनरशिप के राइट्स देने चाहिए, वर्ना इसका भयंकर परिणाम होने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शासन का सवाल है हम रोज भ्रष्टाचार की बात बात सुनते हैं, रोज डीमोरेलाइज़ेशन की बात सुनते हैं। मन्त्री महोदय कहते हैं कि अनुचित तरीके से ऑफिसर्स की आलोचना नहीं होनी चाहिए, उससे उनका डीमोरेलाइज़ेशन होता है। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम ऑफिसर्स का डीमोरेलाइज़ेशन नहीं करना चाहते हैं और न हम चाहते हैं कि मिनिस्टर्स का डीमोरेलाइज़ेशन हो। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि खुद सरकार के मन्त्री लोग अपने लोगों को सामान्य कानून से डील न करके उनको प्रश्रय देने की कोशिश करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते है, उनकी गैर कानूनी हरकतों को दबाना चाहते हैं, जिससे सर्विसेज में भी डीमोरेलाइज़ेशन होता है और आम लोगों के अन्दर भी डीमोरेलाइज़ेशन होता है। मिसाल के तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा एक उदयपुर का मामला। उदयपुर के अन्दर एक महिला महाविद्यालय है। वह एक ट्रस्ट है और उसके सेक्रेटरी श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत हैं जो कि इण्टक के लीडर हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। इन महाशय ने एक सरकारी बिल्डिंग, सरकारी आज्ञा के खिलाफ, उस बिल्डिंग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। उस बिल्डिंग को रेलवे को सबलेट किया हुआ है। जितना वह सरकार को किराया देता है उससे कहीं ज्यादा कीमत पर रेलवे को किराये उस बिल्डिंग को दिया हुआ है और इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इन महाशय ने सेण्ट्रल यूनीवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन से छात्राओं का एक छात्रालय बनाने के लिए १ लाख ५४ हजार रुपये की ग्रान्ट ली। उनको अलग बिल्डिंग बनानी थी, लेकिन अलग कोई बिल्डिंग नहीं बनाई और इसी बिल्डिंग में जो कि सरकार की है, गैर कानूनी तरीके से जिस पर कब्जा किया हुआ है उसी बिल्डिंग में थोड़ा बहुत हेरफेर करके झूठा सर्टीफिकेट दिला कर उन्होंने यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से ग्रान्ट ले ली। मेरा आपसे उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस ऑडिट रिपोर्ट का थोड़ा सा उद्धरण मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"The institution has, therefore, furnished false utilisation certificates to the Government of India and the University Grants Commission. The total amount admissible was such and such and they have given such & such

तो यह उनका वर्डिक्ट है। यह १९६३-६४ की ऑडिट रिपोर्ट है। इस ऑडिट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिपोर्ट में सारी इस बात का जिक्र किया हुआ है।....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से क्या ताल्लुक है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन के लिए एक गर्ल्स होस्टल बनाने के लिए उन्होंने एड ली थी। और वह नहीं बनाया। उसी बिल्डिंग में हेर-फेर करके खर्चा दिखा दिया गया और इस तरीके से कर लिया। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इन महाशय ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की एक फाइल में से एक लेटर गायब कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने पुलिस को रिपोर्ट की हुई है और उसको ६ महीने हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। एक लेक्चरार को जबरदस्ती हटा दिया। कोर्ट से इन्जंक्शन इश्यू किये हुए हैं कि उसे नहीं हटाया जा सकता, लेकिन आज तक उस लेक्चरार को उस विद्यालय में नहीं आने दिया जाता है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है कि इस प्रकार से व्यक्तिगत बातों को यहां रखा जाये। इनको राइवलरी हो सकती है, इन्टक और आइटक का झगड़ा हो सकता है। पुलिस इन्क्वायरी कर रही होगी। आप सारे फैक्ट्स दे दें और उन पर एक्शन होगा। लेकिन वह आदमी यहां आकर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी हालत में ऐसी चर्चा सदन में करना कहां तक उचित है, यह आप व्यवस्था दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यही है कि किसी न किसी बहाने अपने लोगों के कारनामे ढकने की कोशिश करते हैं। मैंने रेफरेन्स दिया है ऑडिट रिपोर्ट का, माननीय मन्त्री महोदय उस पर गौर करें और इतनी सब रिपोर्ट्स होने के बाद डा० बी० एन० शर्मा जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वे पीछे पड़ रहे हैं कि यह कार्यवाही क्यों नहीं होती? लेकिन इतने बड़े आदमी का भी कुछ नहीं, क्योंकि वे एक कांग्रेस के बड़े लीडर हैं इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। इसलिये डीमोरेलाइजेशन होता है हमारी सर्विसेज का।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से अभी गंगानगर जिले में सूरतगढ़ कस्बे में पिछली ११ तारीख को एक इन्फ्लुएंशल आदमी की जीप से एक गरीब मेहतर कुचल कर मर गया। यह ११-२-६५ की घटना है और वहां पर रामदेवजी का मेला था। दो हरिजन थे; एक श्री नोहरलाल और दूसरे बलदेवराज के उस जीप ने टक्कर मारी और जो सज्जन जीप के मालिक थे वे खुद बैठे हुए थे मिस्टर बृजमोहन सरावगी। आप आश्चर्य करेंगे कि मनोहरलाल स्पॉट पर ही मर गया और बलदेवराज जख्मी हो गया। मनोहरलाल के कपड़ों पर जीप के पहिये के निशान थे और पुलिस ने और डाक्टरों ने मिल कर इस केस को ऐसा बना दिया कि वह एक पत्थर से टकरा कर मर गया। रिपोर्ट दर्ज नहीं और इस मामले को पूरी तरह से रफा-दफा करने की कोशिश की, उनके रिश्तेदारों को थानेदार साहब ने थाने पर बुला कर यह कहा कि ५००० रुपये लेकर इस मामले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को खत्म कर दो । इस तरह की घटना वहां पर हुई है । क्योंकि वह मिस्टर सरावगी एक असरदार आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, आपका सारा का सारा अमला उसको बचाने की कोशिश में लगा हुआ है ।

इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछली गर्मियों में वर्षा हुई, हमारे यहां हरसोरा बांध टूट गया । उसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी इस सदन में जिक्र किया है । उपाध्यक्ष महोदय, वह बांध दो बार टूटा और लाखों रुपये सरकार का खर्च होता है, लेकिन उस बांध के टूटने के बारे में हमारे सरकारी अधिकारियों का क्या रुख कि टूटे बांध सरकारी अफसरों की नेग्लीजेन्स से, उनकी गलतियों से, वक्त के ऊपर काम नहीं करने से, लेकिन उनको बचाने के लिये झूठी फेब्रीकेटेड रेकॉर्ड तैयार करने की कोशिश की गई । फिर बाबूलाल जो कि उस हरसोरा बांध पर गेज रीडर था जिस रोज घटना हुई है उसके हलफिया बयान मेरे पास मौजूद है...

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक एक मिसाल दे रहे हैं और जो नीति के मुद्दे हैं वही यहां होने चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I should be allowed to procced. This is no point of order.

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा अर्ज करना यह है कि वे कहेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकूंगा । मेरा निवेदन यह है कि यहां पर वही प्रश्न करें जिनका उत्तर उनको अच्छी तरह मिल सके ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन भर एक ही स्पीकर बोलेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा समय का ध्यान रखा जाये । मेरे पास लिस्ट बड़ी है । आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी पार्टी का मैं एक ही बोल रहा हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई टाइम लिमिट होना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस बाबूलाल ने यह कहा कि वह बांध अपने आप टूटा है । गवर्नमेंट की तरफ से एक एन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर हुई है जिसमें श्री दुर्गाप्रसादजी, जो कि सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर हैं इस रीजन के पी० डब्लू० डी० के वह हैं, दूसरे इरिगेशन के सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर और एक अलवर के कलेक्टर है । उनकी मौजूदगी में श्री दुर्गाप्रसाद जी ने इस गॉज रीडर को मारा है थप्पड़ों से और ठोकरें दी हैं और उससे कहा है कि यह बयान दो कि यह गांव वालों ने काटा है बांध को । यह बयान मत दो कि हमने तो गवर्नमेंट के अधिकारियों को इन्फोर्म कर दिया था और इनकी गल्ती की वजह से यह टूटा है । यह हलफिया बयान उसने दिये है जो कि मैं सदन की मेज पर रखता हूं । इस तरीके से लाखों रुपयों का नुकसान हो जाय...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और फिर भी इसकी चिन्ता न हो ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अन्त में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चहाता हूं कि जगह जगह कितने ही मामले हैं जो सरकार के नोटिस में लाते हैं लोगों के भ्रष्टाचार के, लोगों के ब्लेक मार्केट के। सामने सुबूत प्राप्त होते हुये, सरकारी मशीनरी, कलेक्टर वगैरह उसको बाइपास करने की कोशिश करें, कोई एक्शन नहीं लें तो कैसे मोरल लोगों का ऊंचा हो सकता है ? जोधपुर में, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के एक ग्रेन डीलर ने खुले तौर पर बाकायदा वाउचर देकर, कैशमीमो देकर वहां पर ६४ रुपये का आपका कन्ट्रोल है, लेकिन वह ३१ रुपये १२ पैसे चार्ज करता है वकील लोगों से, पढ़े-लिखे लोगों से और कैश मीमो देता है। वह कैश मीमो उस दूकानदार का मेरे पास मौजूद है, और यह कलेक्टर के नोटिस में ला दिया गया है। कलेक्टर ने कोई उस पर कार्यवाही नहीं की, बल्कि जो आपका एन्फोर्समेंट ब्रान्च है, सप्लाई ब्रान्च है वह कहता है कि किसी तरह से कम्प्रोमाइज कर लो। इस तरीके से ये जो असामाजिक तत्व हैं वे इस तरीके से प्रेशर लाने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके सामने रख रहा हूँ। •जिसका यह बिल है वह जगदीश स्टोर्स का है। ४० किलो व्हीट ३१ रुपये २० पैसे और १५२३ नम्बर का है।। इस वाउचर के जरिये उन्होंने बेचा है श्री दीनदयाल जी शर्मा ने २७-२ को।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उस पर कोई कार्यवाही कलेक्टर ने नहीं की। उन्होंने, वकीलों ने लिखा है, उसके बावजूद भी इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई तो मजबूर होकर उन्होंने इस बात को छोड़ा। इस तरह के ग्लेयरिंग एग्जाम्पल सामने आ जायें और कोई कार्यवाही नहीं की जाय, क्योंकि कोई कांग्रेस का लीडर है, कोई बड़ा पूंजीपति है, कोई किसी तरह का रहनुमा है। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं, तो इस वजह से यह सारे का सारा डिमोरेलाइजेशन होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय बहुत कम है। उस दृष्टि से थोड़ा संक्षेप में भाषण रखें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह बात आपकी तरफ से मेरी ही तरफ लागू होती है या सब पर लागू होती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू में बोलें तो शायद लागू न हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह जब से बहस चल रही है, जब से बराबर विरोधियों की तरफ से कुछ न कुछ टीका-टिप्पणी जो चल रही है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि यह तरीका है। एक हमारा सम्बन्ध है अपोजिशन का और सरकारी बैन्चेज का, कांग्रेस पार्टी के बारे में विरोधी दल अपना क्रिटिसिज्म कहे। और इस सिलसिले में मैं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यही कहना चाहता हूं कि कल जो जनसंघ के नेता ने यहां पर, हरिजनों के बारे में तथ्य कहे, मैं उस विषय पर उनका स्वागत करते हुए इतना कहता हूँ कि यह जो एन्क्वायरी रिपोर्ट या जो सर्वे उन्होंने डूंगपुर का पेश किया है, वह भी इस कांग्रेस सरकार का करवाया हुआ सर्वे था। उसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में सरकार अपने जरिये जिन तथ्यों की जांच करती है और जो कमियां होती हैं उसकी पूर्ति करने की कोशिश करती है। मैं इस बात का भी स्वागत करता हूँ कि आज जनसंघ भी इस तरफ ध्यान देने लगा है, इस तरफ उसकी दृष्टि गई है हरिजनों के विषय में क्योंकि इलेक्शन पास आ रहे हैं; इसलिए हरिजनों के बारे में कुछ मगर-मच्छ के आंसू बहायें। जो कुछ भी उन्होंने कहा उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर जिस तरह की बातें कही हैं, मैं उसके विषय में बड़े अनुनय के साथ में उतना ही कहूंगा कि हरिजन सम्बन्धी मामले के अन्दर कांग्रेस ने अपने समय में ही नहीं, यानी जब अंग्रेज चले गये तभी नहीं, बल्कि जब अंग्रेज रहे तो भी कांग्रेस ने हरिजनों को उठाने का कार्य अच्छी तरह से किया है। उसको अपने प्रोग्रामों में शामिल किया है तो केवल कांग्रेस ने किया है।

इस सिलसिले में आपके सामने आज जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है। हम जहां तक कांग्रेस के प्रोग्राम, पॉलिसी और कार्य करने का तरीका है, उसके अन्दर विश्वास रखते हैं। इस स्थिति में जब भी हम क्रिटिसिज्म करते हैं वह क्रिटिसिज्म इस बात का है कि वे प्रोग्राम, पॉलिसीज़ हैं उनके मनवाने के अन्दर हमारी कांग्रेस सरकार का जो ध्येय है कि हम समाजवादी व्यवस्था कायम करेंगे, उसके लिए जो हमने विकास के लिये योजना का रूप शुरू किया है, उसकी कामयाबी के लिये कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जिनके ऊपर हम जांच कर सकें, इस बात का कि आया हम उस तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। इस तरफ जब जांच करते हैं, इस तरफ जब सोचने की कोशिश करते हैं, तब हमारे सामने कुछ मूल रूप से बातें होती हैं। मैं सरकार को कहूँगा कि सोशियलिज्म लाने की जो बात है, उसका व्यवहारिक रूप तो यह होता है कि हम अपने देश के सब लोगों को कपड़ा, रहने की जगह और खाने के लिए साधन मुहैया कर सकें। हम साल दर साल जो उस तरफ कोशिश करते हैं, हमारा प्रोग्राम और पॉलिसी सोशियलिज्म कायम करने का है और वह भी डेमोक्रेटिक, प्रजातन्त्र के जरिये हम इसको कायम करना चाहते हैं; वह नायाब यहां पर एक एक्सपेरीमेन्ट चल रहा है। किसी मुल्क में सोशियेलिज्म डेमोक्रेटिक तरीके से कायम नहीं किया गया है। मैं तो यहां तक कहूँगा कि जब पहली पंचवर्षीय योजना कायम हुई तो स्वर्गीय जवाहरलालजी नेहरू ने यह कहा था कि इस कॉन्स्टीट्शन के जरिये अगर हम गरीबी को खतम नहीं कर सकते देश से तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से देश के अन्दर से गरीबी को दूर कर सकें। यहां तक इसका जो महत्व है वह दिया है।

अब मैं इसके साथ कहूँगा कि इन सब

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चीजों का बराबर प्रयत्न हमारी सरकार करती है। हमारा प्रोग्राम और पॉलिसी ठीक है, लेकिन उसका नतीजा उतना क्यों नहीं आता है ? यह समस्या बड़ी है। सरकार को इसको सोचना है। समस्या यह है कि घड़े में पानी भरता चला जाता है, लेकिन छेद करने वाले उसके साथ साथ लगे हैं। वह छेद क्या है ? उन छेदों को सरकार बन्द नहीं कर सकेगी, तब तक मटके के अन्दर पानी नहीं भर सकता है। मैं यहां तक कहूँगा इस सिलसिले में कि उस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न हों। हमको यह देखना होगा कि उसके अन्दर छेद चल रहा है कि हम बाहर से पूंजी इकट्ठी करें और देश से गरीबी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी हिस्से के अन्दर छेद करके उस चीज़ को जो मुहैया करते हैं, वह उसके अन्दर से निकल जाता है। वह निकलना क्या है ? वह आज सब के बारे में व्याप्त भ्रष्टाचार है।

(३ म. प.)

वह भ्रष्टाचार जो है हमको एक प्रकार से नहीं, बल्कि सब तरह से देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसमें आप यह कह सकते हैं कि यह तो एक नैतिक मामला है। मैं मानता हूं कि यह नैतिक मामला है, लेकिन वह नैतिकता कहां से शुरू होनी चाहिये? हम सारे समाज को कहें कि वह नैतिक हो जाय, लेकिन मैं कहता हूं कि इस नैतिकता का सबसे बड़ा भार कांग्रेसमैन के लिए होना चाहिये। इस सिलसिले में भ्रष्टाचार किस तरह से गड़बड़ियां पैदा करता है। इस बारे में यदि मैं कहूं तो भ्रष्टाचार ब्लैक मनी क्रियेट करता है, आपके और हमारे सामने नोन प्रोडक्टिव चीजों को बढ़ाता है, ऐसी क्लास और सम्प्रदाय पैदा करता है जो सारे समाज को जकड़ने की अमर बेल पैदा करता है और उससे सबके हाथ-पांव जकड़ देता है और हमारी सारी कोशिश को नाकामयाब करने के लिये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उनको सरकार रोके। यह खतरा कैसे पैदा होता है यह सोचना चाहिये। जो मेड़ बनाता है वही उसको खाना चाहता है। मैं इसके नाम पर भारत सेवक समाज का नाम लेना चाहता हूं और सरकार से अर्ज करता हूं कि भारत-सेवक समाज अजमेर में रीजनल कॉलेज बनवा रहा है जिसके लिए अमेरिका और विदेशों से मदद मिलती है, उससे जो कंस्ट्रक्शन का काम भारत सेवक समाज करवा रहा है उसकी स्थिति क्या है, यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि भारत सेवक समाज के रीजनल इंजीनियर क्या फरमाते हैं वह नोट करने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं अदब से यह भी अर्ज करूंगा कि कम से कम विनियोग विधेयक पर बहस हो रही हो तब या तो डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर दोनों में से हर एक विभाग के, सभी विभागों के मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर में से एक को यहां हाजिर रहना चाहिये नहीं तो हमारी बहस बनावटी हो जाती है। हम जो कहते हैं उसको कोई समझ नहीं सकता और उसको समझने वाले गायब हो जाते हैं, इसलिये ऐसा कन्वेन्शन डालना चाहिये, सदन की प्रतिष्ठा के लिये मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर में हर विभाग का यहां उपस्थित रहना चाहिये।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अब मैंबताना चाहता हूँ कि भारत सेवक समाज के रेजिडेन्ट इंजीनियर यह फरमाते हैं :

"Used......30% of rubbish, prepared lime morter."

जो रीजनल कॉलेज बन रही है उसमें ५-७ लाख का ठेका भारत सेवक समाज को दिया है, जो रुपये इन्टरनेशन तरीके से बाहर से आते हैं वे इसमें लग रहे हैं...

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : कौन सी तारीख की यह रिपोर्ट है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :७-८-६३ को रिपोर्ट दी है। भारत सेवक समाज के रेजिडेन्ट इंजीनियर जो वहां पर चैक करने गये वे फरमाते हैं :

"30% of rubbish prepared lime mortar. Ratio 1: 2: 7: against the ratio of 1: 2: 3: which I proved during my last visit by filling boxes of lime and sand in the presence of Accountant and Jai Narain singh. He has used lime concrete and did not consolidate will resulting ....

(अश्रव्य)

He has not used a single hyder.."

यह सुनने की बात है। इसकी नींव में जो हेदर लगता है वह भी नहीं लगाया फाउन्डेशन में while it should be laid by 5 feet above. ५ फीट के ऊपर बड़ा पत्थर लगना चाहिये वह भी नहीं लगाया। यह मैं भारत सेवक समाज के रेजिडेन्ट इंजीनियर की बात पेश कर रहा हूं। ये बिल्डिंग्ज क्या हों, यह रीजनल कॉलेज बनेगी और भारत सेवक समाज सेवा करने आवे और उसका काम इस प्रकार हो तो इसे क्या कहना चाहिये ? अब मैं आपके सामने लेटेस्ट रिपोर्ट रखता हू यह है फिफ्थ जून, १९६४ की :

"The cement being procured from different sources Is not being mixed in right proportion through the P. W. D. officers and supervisory staff or at site or the whole day"

हालां कि सारे दिन वे लोग वहां पर है, लेकिन कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है। आगे कहते हैं :

"The Cement is saved in good quantity. I have noted at site that the ratio of cement and sand in rendering and plastering is 1: 2: 5 against 1: 2: 3. In RCC cement concret work and flooring it is 1: 2: 3 against 1: 0: 2. The ratio of lime sand and mortar is about 1; 2; 6 in place of 1: 2: 3.

यह कन्स्ट्रक्शन चल रहा है और आपकी यह रिपोर्ट है। आपका डिपार्टमेंट देख-भाल करता है, उसके बाद आप क्या कहते हैं मक्खन लगाने के लिये वहां के इंजीनियर को मेम्बर बना दिया। तो वही ठेका देगा, वही लेगा और वही देखेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस एक्स. ई.एन. को मेम्बर बनाने की किसने इजाजत दी ? इस प्रकार देश में जो कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं और जो

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पैसे लग रहे हैं उस पर आप गौर नहीं करेंगे तो ये बिल्डिंग इसी स्पेसिमेन के बनेंगे; तो एक दिन देश को ये लोग लेकर डूबेंगे और बरसात होगी तो यह बिल्डिंग गिर जायगी और लोगों को लेकर गिरेगी।

मैं म्युनिसिपल कमेटी के लिये कहता हूं। वहां पर ५ लाख का काम निकाला। जो गुप्ता एड्मिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने उसको बाइफर्केट किया। १५-२० हजार के काम के कागज बनाये, उन पर फाइनेन्स ने एतराज किया। पर एक तिवारी साहब वहां के प्रेसिडेन्ट हैं उनका असर है, उन्होंने फाइल गायब करवा दी और बरकत साहब ने इजाजत दे दी। यहीं पर बृजमोहनलाल गोयल एक कांट्रेक्टर था, जिसको ब्लेक लिस्ट किया गया था, पर उसको सब-कांट्रेक्टर अपाइन्ट किया। उसने १० पर्सेन्ट पर ठेका लिया और उसको अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उसको एडवान्सेज दिये जाते थे। देश में अच्छा काम करने के लिये भले ही पैसा दो, मुझे एतराज इस बात का है कि चाहे भारत सेवक समाज हो, चाहे खादी बोर्ड हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही रूप में इनकी देखभाल करें और अच्छा काम करावें। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्रीजी इसकी जांच करावें और रिपोर्ट दें।

अब मैं आता हूं डी. पी. आर. पर। मुझे ६ वर्ष हो गये भट्टजी, डाइरेक्टर, के बारे में सुनते हुए। इससे पहले एक बात और बता देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक तजुर्बा हुआ है कि हमारे बड़े बड़े लोग भारत सेवक समाज वालों को पैसा देते हैं। मुझे पता लगा है कि इस कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय प्रेसिडेन्ट हैं। ये सजाते हैं, ठाकुरजी को सजाते; हैं वैसे ही सजाते हैं, मुंह पर बैठा देते हैं ताकि कोई बोले नहीं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश का सवाल है बड़े बड़े लोगों के नाक के नीचे अन्धेर हो तो उनको नहीं सजना चाहिये और यदि सजें तो जिम्मेदारी के साथ बठना चाहिये, यही मेरी मांग है। मैंने बताया कि कांट्रेक्ट देते हैं, बृजमोहन ब्लेक लिस्टेड है, फिर भी उसको काम देते हैं और पैसा सरकार से आता है उससे काम करता है। मैंने सिर्फ अजमेर की मिसाल दी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे राजस्थान में इसी तरह से चल रहा होगा। कोई एक-आध आदमी होंगे भले, जो अच्छा काम करते होंगे।

हम सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करते है, लोगों को मकान बनाने के लिये लोन देते हैं, लोन की रकम लैप्स भी होती है और लेने वाले मक्खियों की तरह भिनभिनाते हैं। आपने गरीबों को देने के लिए लोन रखा, लेकिन इसका उपयोग इस तरह से हो रहा है जिसके पास लाख रुपये हैं और जो मकान बिना लोन लिए अच्छी तरह से बना सकते हैं ऐसे लोग भी लोन लेते हैं। जयपुर शहर में ऐसे ऑफिसरों और दूसरे लोगों ने मकान बनाये हैं। क्योंकि वे सर्विस में हैं इसलिए लोन लेकर मकान बनाते हैं। एक अजीब तमाशा है! यदि आप २० हजार का लोन देते हैं तो पहले नक्शा पेश करवाते हैं। उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि उस नक्शे के

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मुताबिक मकान २०,०००) में नहींबनेगा ।

इसमें ६० हजार रुपया लगा, यह आप पूरी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन आज हमारी जो स्कीम्स हैं, जो हमारी पॉलिसी है, कांग्रेस की सोश्यलिज्म को लाने की नीति है, उस पर आपकी आंख के नीचे प्रहार होता है, वह टूट रही है, आपका जो आदमी २० हजार रुपये ले, यदि वह मिडिल इन्कम ग्रुप वाला हो और यदि वह बड़ी इन्कम वाला हो तो चालीस हजार ले, लेकिन वह सब्मिट करता है प्लान १ लाख रुपये का। जिसके पास एक लाख रुपया पड़ा है वह बीस हजार के लिए नहीं बैठा रहेगा । आप यह रुपया उसको दें जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास अपना सिर छिपाने के लिए छत नहीं है । यह पैसा आप उनको नहीं दें, जो आदमी खुशहाल है, जो ब्लैक की कमाई करते है । उन्होंने जो बंगले बनाये हैं उनके अन्दर सीमेन्ट के फर्श की चिकनाई ऐसी है कि सब चीजें चमकने लगती हैं और भले ही आप उसमें अपना मुंह देख लें । उनके घर पर जाकर कमरों के गलीचों पर चलो तो मालूम होता है जैसे रपटे चले जा रहे हों । तरह तरह के कीमती सामानों को इकट्ठा करने के लिए और ब्लैक मार्केट के पैसे को लगाने के लिए ये लोग बगले बनाते है । मैं कहूंगा कि जो लोग बेईमान हैं और ब्लैक से पैसा कमाते हैं, उनका वह बेईमानी और ब्लैक का पैसा लगाने के लिए आप लोन देकर मौका देते हैं । पैसा लेने के बाद वह आपके कर्जदार हो गये । उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कर्ज की तो वह आपके कर्जदार हो गये । मैं कहूंगा कि क्या वे लोग गरीब हैं, क्या उनके पास सिर छिपाने के लिए छत नहीं है, इसलिए आप उनको कर्ज देते हैं । मैं आपसे मांग करता हूं कि जो आपके ऑफिसर्स हैं, जब गजटेड ऑफिसर्स बने उस वक्त उन्होंने अपने बैंक बैलेन्स और प्रोपर्टी की क्या रिटर्न्स दी थीं, उनकी क्या अवस्था थी और आज क्या है स्थिति ! जिसने बीस हजार रुपये का मकान बनाया है, जिसने चालीस हजार का मकान बनाया है उनसे आप सेक्शन पांच के अन्डर में पूछें । मैं मांग करता हूं कि उनसे आप सेक्शन ५ के अन्डर में यह पूछें कि वे यह पैसा कहां से लाये हैं, मैं तो आपकी सेवा करता हूं, आपकी सेवा के लिए ही यह कह रहा हूं । क्योंकि करप्शन.......

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि गलतफहमी माननीय सदस्य के दिमाग में चल रही है कि राज्य के बड़े ऑफिसर्स हैं वे बीस हजार रुपये एम. आई. जी. एच. के अन्तर्गत लोन लेने के मुस्तहक हैं; यह बात नहीं है । २० हजार रुपये तो एम. आई. जी. एच. के अन्तर्गत और तीस हजार एज ए. गवर्नमेंट सर्वेन्ट लोन उनको मिलता है — इस तरह पचास हजार के लोन के वह एन्टाइटल्ड हैं । आपको जो ये बंगले बने दीखते हैं वे बीस हजार के लोन को लेकर नहीं बनाये गये, हैं, उन घरों की वेल्यू पचास हजार तक है, क्योंकि पचास हजार तक उनको मिलता है लोन !

तो इनकी हैसियत पचास हजार की हैसियत है या नहीं - इसको देखने की जरूरत नहीं है । लेकिन जो गरीब जनता

(श्री परसराम मदेरणा)

है, जिसके पास पैसा नहीं है उनको मकान बनाने की सुविधा दी जाय, यह बात मैं आपकी मानता हूं । यह अलग बात है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सरकार केपिटलिस्टिक सरकार के माफिक है, जनतंत्र सरकार के माफिक नहीं है । मैं मांग करता हूँ कि यह जो हाउसिंग स्कीम है, वह इसलिए प्रोवाइड की गई है कि गरीबों को सिर छिपाने के लिए, मकान बनाने के लिए मदद दे सकते हैं, वह मदद दें । ये योजनायें उनके लिए हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बड़ा अन्याय हो रहा है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कहना चाहता हूँ, किसी को पचास हजार रुपया दे दिया, किसी को बीस हजार रुपया दे दिया । किसी को किस आधार पर दे दिया जिसको जरूरत थी उसको दे दिया ? जो रूल्स हैं उनके अनुसार खर्चा नहीं हो तो मनमाने रूप में दे दें । तू मुझे चाट, मै तुझे चाटूं, यह पॉलिसी आपकी नहीं चल सकती है । मैं अर्ज कर दूं इस सिलसिले में कि यह हाउसिंग पॉलिसी है यह केपिटलिस्ट्स और बड़े लोगों को फायदा करने वाली है, ब्लैक मार्केट के पैसे को वहाइट में बदलने वाली है । इस देश में जो करप्शन की स्थिति पैदा हो रही है उसका मैंने आपको नमूना बताया है, हम जो करप्शन के मामले रखते हैं उनको रख कर हम कहते हैं कि आपके घर से मामला शुरू हुआ है तो यहीं से इसको मिटाना शुरू करना चाहिए...

श्री परसराम मदेरणा : कौनसे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार को जानकारी दे रहा हूं कि सरकार के ऑफिसर हैं वे हजारों रुपये खाते हैं । वे हमारे पैसे से पलते हैं । इसलिए आप अपने घर से इस करप्शन को मिटाने की कार्यवाही शुरू करें जिससे यह जनता तक फैल जाय ।

इसके साथ ही मैं इस हाउसिंग स्कीम का एक और नक्शा खींचना चाहता हूं । यह मिडल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम बनी है । यह भी डिपार्टमेंट आपके पास है । इसका हाल भी सुन लीजिये । आपके पास आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की लिस्ट नहीं है कि किनको लोन मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा । आज तीस तारीख हो गई है, लेकिन आपके पास ऐसी लिस्ट नहीं है और न ही वहां लगाई है । वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है । लेकिन इधर से उधर शटल कॉक की तरह डेढ़ सौ आदमी परेशान घूम रहे हैं । और जो आपने रूल्स बनाये हैं उनका हनन हो रहा है....

श्री परसराम मदेरणा : कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कह रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जयपुर शहर की बात बतला रहा हूं । और डिस्ट्रिक्ट का पता लगायेंगे तो वहां की भी ज्यादा शक्ल बदली हुई नहीं नजर आयेगी । शक्ल वैसी की वैसी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मै यह कह रहा था कि आज ऐसी स्थिति हो रही है । एक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आदमी चार सौ रुपया लगा कर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। आपके पास गिरवी रखता है तो ६८ रुपये उसकी फीस देता है और तीन सौ रुपये के टिकट लगाता है, जिसको आपने लोन सेंक्शन किया है। और उसके बाद वह वहां जाता है तो उसे कहा जाता है कि तुम पन्द्रह सौ रुपये ले लो। एक अजीब बात है। जो जयपुर के लोग हैं उनकी यह हालत है कि चार सौ रुपये कर्ज लेकर लगा दें उसके बाद कहें कि पन्द्रह सौ रुपये ले लो। जब कि आपके रूल्स हैं कि २० हजार रुपये देते हैं उसमें तीन स्टेज कर रखी हैं, जब प्लिन्थ तक दीवार पहुंच जाती है तो आप पच्चीस परसेन्ट देते हैं, उसके बाद छत तक ले जाने के लिए देते हैं; हाफ परसेन्ट और फिर बाकी का देते हैं। अब इन रूल्स का वह क्या करते हैं, करप्शन के लिए इनका उपयोग करते हैं। मेरी मांग है कि वहां पर कोई श्रीमानजी बैठे हैं जो ए. डी. एम. कहलाये जाते हैं। उनका काम भी बहुत बढ़िया है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या नाम है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कहां के हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जयपुर के हैं और नाम...

श्री भैरोंसिंह : तुलसीराम अग्रवाल !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह उनकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का मामला है। तो तुलसीरामजी वहां बैठे हुए हैं वह क्राइटेरिया बदल देते हैं। वे कहते हैं, क्योंकि पैसा कम है, इसलिए किसी को पन्द्रह सौ दे देंगे, किसी को चार सौ दे देंगे। यह जिनके हित के लिए बनी है स्कीम उन गरीब और पिछड़े हुए लोगों को नहीं दे रहे हैं। उस सिद्धान्त को मेन्टेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मकान वाले हैं, जो देश को डुबाने वाले हैं इनको पैसा दे रहे हैं। वहां पर सदाव्रत बांटने वालों जैसी स्थिति हो रही है। इसको आप ठीक कीजिये। वहां पर कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट का व्यक्ति नहीं जाता है। उनकी इससे बेइज्जती होती है। एक पुलिस के महकमे के व्यक्ति हैं उनको पच्चीस हजार की मंजूरी दे दी। तुलसीराम को इसकी इजाजत दे दी, और कहा कि पच्चीस हजार कानून के अनुसार दे दीजिये। वे कहते हैं कि पच्चीस हजार नहीं दे सकते हैं। वे कौन हैं जो आपका हुक्म नहीं मानेंगे। मे नहीं मानेंगे भले ही, लोगों के अधूरे मकान पड़े रहें। इस प्रकार जो लोन लेने वाले हैं वह क्लर्कों की और दूसरे लोगों की पूजा करते रहें, यह कहां तक....

श्री परसराम मदेरणा : पच्चीस हजार नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पच्चीस परसेन्ट।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पच्चीस परसेन्ट होगा। मैंने आपसे कहा कि मुझे आप बोलने दीजिये। मैं सीताराम की जगह तोताराम बोल दूं तो भी उसमें फर्क नहीं पड़ता है।

श्री परसराम मदेरणा : सीताराम और तोताराम अलग अलग हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इस तरह के जो ए. डी. एम. हैं ऐसे ऑफिसर को आप यहां से हटा दें, भले ही कहीं लगा दें। उनके पास लिस्ट नहीं है कि किस को रुपया देना है, किसको नहीं। उनको इसका पता नहीं है। सब लोग उनकी खुशामद करें, जिस पर वे निहाल हों जायं उसको रुपया दे दें और जिस पर निहाल नहीं हों उसको रुपया नहीं दें। इस तरह इस हाउसिंग स्कीम को चलाया जाता है तो इस देश से करप्शन नहीं जाने वाला है। एक पोइन्ट और रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इनके समय में दो-तीन दफा घंटी बजी, मेरे समय में तो दो दफा ही घंटी बजी है...

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह होड़ा-होड़ी नहीं होनी चाहिए। आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं सरकार के इन्ट्रेस्ट की बात कह रहा हूं, वे व्यक्तिगत बात कह रहे थे। मैं सरकार की दृष्टि में ऐसी बातें लाना चाहता हूं जिनके ऊपर सही तौर पर काम करके एक-आध डिपार्टमेंट को भी सम्भाल दें और कानून को लगा कर भी खत्म कर दें, तो एक देश में मोरेलिटी और नैतिकता की बात शुरू हो जायगी। इसलिए मैं इस पर जोर देना चाहता हूं।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं। यह भट्ट साहब जो हैं, भट्ट का प्रश्न वर्षों से चल रहा है। अब इसके अन्दर ऐसी हालत हो गई है कि इस सरकार का कोई ऑफिसर नहीं बचा है जिसने जांच नहीं की हो, जिसने इसकी शिकायत नहीं की हो। जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके भी इन्क्वायरी के लिए लगा कर आप इस विभाग को ठीक नहीं करवा सके। कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जिसने किसी न किसी पॉइन्ट पर अपना जजमेंट न दिया हो। जब भी कमिश्नर अपोइन्ट किया जाता है इन्क्वायरी के लिए, तो मंत्री महोदय कहते हैं कि डे-टू-डे इन्क्वायरी करा कर इन्क्वायरी को जल्दी खत्म करवा देंगे। यह सदन में कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। मुझे अफसोस के साथ सदन में कहना पड़ता है कि जो प्रोसीक्यूट करने की कार्यवाही चल रही थी उसमें सरस वियोगी, जो इस प्रोसीक्यूशन में गवर्नमेंट के हेल्पर थे, की न जाने किन सरकम्स्टान्सेज़ में डेथ हो गई। लेकिन उनकी डेथ के बाद पुलिस उनके कागजों पर कब्जा नहीं करती है, दूसरा कोई डिपार्टमेंट कब्जा नहीं करता है, फाइनेन्स वाले नहीं करते हैं, लेकिन डी. पी. आर. वाले उन पर कब्जा कर रहे हैं। यह कैसे समझा जाय कि उन कागजों को डेस्ट्रॉय नहीं कर दिया जायगा। उसने दो ऑफिसर को भेजा है जो उन कागजों को अपने कब्जे में ले लें। इन सरस वियोगी को गवर्नमेंट ने इस इन्क्वायरी में मदद करने के लिए रखा था। मैं पूछना चाहता हूं कि डी. पी. आर. उन कागजों को कब्जे में लेने वाला कौन है, जिस पर चार्ज लगे हुए हैं। फाइनेन्स डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट वाले उनको कब्जे में लेने के लिए आदमी भेजते नहीं तो यह डी. पी. आर. वाले

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कौन है जो कागजों को कब्जे में लेने के लिए जायं ।

इसके साथ ही एक और बात मैं बता रहा हूं, अभी अभी एक एग्ज़ीबीशन हुई। उसमें फाइनेन्स का आदेश था कि तीन गजटेड ऑफिसर्स की एक कमेटी बना दी जाय। लेकिन यह नहीं, यहां से रुपया ले गये और वहां बम्बई में एक प्राइवेट आदमी था, बट्टर, कोई फर्म नहीं थी उसको तीस हजार रुपया एडवान्स कर दिया और ८५ हजार रुपये का बिल आ गया। उसमें एक कमेटी बनी थी प्राइवेटली अपने डिपार्टमेंट की उसमें जो तीन आदमी थे, उन्होंने शिकायत कर दी गवर्नमेंट को कि यह पैसा हमारी जानकारी में खर्च नहीं हुआ है। उसके बाद यहां जब आ गये तो यह शिकायत हुई तो यहां से पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर और पुलिस के लोग गये जांच करने के लिए अकाउन्ट्स वगैरह और वहां से उसका स्ट्रक्चर उठा लाये। उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद बताया गया कि यह पन्द्रह-बीस हजार से ज्यादा नहीं है। इस तरह की चीजें होती जायं, लेकिन नौ वर्ष से इन्क्वायरी हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाय। यह मैं आपको बताना चाहता था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस तीन केसेज़ हैं और कुछ नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : एक एक केस में आप पांच पांच मिनट लेंगे तो तीन में १५ मिनट हो जावेंगे

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, प्रहालचन्द जोशी, उनके खिलाफ Forged Vouchers were traced. आपके विजिलेन्स कमीशन और जोइन्ट एन्टी-करप्शन ने यह कहा कि फोर्ज्ड वाउचर्स बनाये हैं।

एक माननीय सदस्य : ये किस विभाग के हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वही डिपार्टमेन्ट है, नामी डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में काफी अर्से से चर्चा चल रही है। जब आपको मालूम हो गया कि उन्होंने फोर्ज्ड वाउचर्स बनाये हैं तो आपको चाहिये था कि उनके खिलाफ ४२० आई. पी. सी. में मुकदमा चलाना चाहिये और उनका चालान कर दिया जाना चाहिये। यह सारी कार्यवाही होने के बाद भी सरकार उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं करती है। जब पुलिस ने लिख दिया, जब मिस युटीलाइज़ेशन के केसेज़ को लेकर इन्क्वायरी हो जाती है, जब आप इन्क्वायरी करा लेते हैं और रिकमन्डेशन कर दी जाती है तो फिर आप कौन होते हैं केसेज़ नहीं चलाने वाले ? यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसके बाद दूसरा केस है भगवानसहाय त्रिवेदी का। ये कॉलेज में पढ़ते रहे और यहां पर भी अपने दस्तखत करते रहे और इस तरह से उन्होंने ४२० और ४०६ के सी.आर.पी.सी. का केस चलाया। मैं कहूंगा कि यह सरकार अपने आप आफत को बुलाती है। अगर आपको कुछ कार्यवाही नहीं करानी थी, तो आपको कोई इन्क्वायरी नहीं करनी चाहिये थी। आपको सबको ऐसी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ही छूट दे देनी है तो कोई बात ही नहीं। वर्ना कोई भले आदमी हैं वे इससे डरते हैं कि कहीं ४२० का केस हो जावेगा अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी करेंगे। मगर आपके यहां पर आदमियों के लिये तरीका यह नहीं है। आप खुद अपने रिश्तेदारों आदि के ४२० और ४०६ के केसेज़ को लेकर बैठे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं अगर आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिये कि यह अधिकार जो आपने अपने हाथों में ले रखा है, उस अधिकार को आप छोड़ दीजिये और इस अधिकार को जनता को दे दीजिये। जनता उनको ठीक राह पर ले आवेगी। मगर हमारी सरकार इसके लिये इजाजत नहीं देगी। हमारी सरकार यह कहती है कि हमारी इजाज़त होगी तब आप मुकदमा चला सकते हैं। आप अपने यहां पर कानून पर सांप की तरह फन किये हुए बैठे हैं और लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप इस तरह से सांप बन कर बैठे हैं, उससे निकल जावें। अगर किसी मामले में पुलिस आपकी जांच करे और इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके मामले को कोर्ट में भेजना चाहिये और आप उसको कोर्ट में नहीं भेजते हैं। मैं कहूंगा कि इसके अलावा और भी कई डिपार्टमेंट्स है, पी. डब्ल्यू. डी. है, आपका शराब का डिपार्टमेंट है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं। अभी एक बात यहां चली। उस बात को लेकर सारे सदन के ऑपोज़िशन के माननीय सदस्य लेकर ऊपर उठ गये। मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपने एक फाइल का जिक्र किया और मैंने कहा कि फाइल यहां पर रख दी जावे। उस वक्त आप खड़े नहीं हुए। उस फाइल में क्या था मगर आपने आज इस बात को पकड़ कर कहा कि स्पीकर को दिखाई जावे इस बात को पकड़ लिया और कहते हैं कि जय हनुमान, जय हनुमान; यह तो ठीक बात नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप १० मिनट में समाप्त कर दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दस मिनट बहुत कम है। १५ मिनट में समाप्त कर दूंगा।

हम एक अरब ६१ करोड़ रुपयों को खर्च करने का विचार कर रहे हैं और इस विधेयक को पास करने जा रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है कि इससे भी ज्यादा रकम हमारे राज्य के खजाने से इस प्रान्त की विभूति के लिए खर्च किया जावे। मुझे जो कुछ एतराज़ है और जिसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि यह सरकार जो इतने रुपये खर्च करती है, मैं वित्त मंत्री से अर्ज करना चाहता हूं कि गये साल भी मैंने एक एक आइटम पर कुछ बातें अर्ज की थीं और उस वक्त भी हमारे वित्त मंत्री ने कहा और एक बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैंने इन्डियन एयर लाइन्स कॉरपोरेशन के चार लाख रुपयों की सरकार राहत देने जा रही है

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इसके लिए कहा था। उस वक्त वित्त मंत्री ने इस सदन में कहा था कि यह चार लाख का बजट प्रोविजन इसलिए रखा है कि इसके साथ हमारा शर्तनामा हुआ और जो शेयर लाईन को चलाने के नुकसान में जा रहे हैं। यह आखिरी किश्त उनको देनी है इसलिए हमने इस बजट में चार लाख का जिक्र किया है और यह भी कहा है कि हम वायदा करते हैं कि हम चार लाख से ज्यादा नहीं देंगे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब वित्त मंत्री ने गये साल वायदा किया कि हम चार लाख से ज्यादा रुपया नहीं देंगे, मगर आपने बजट प्रोविजन में बताया है पांच लाख २५ हजार इन्डियन एअर लाइन्स कॉरपोरेशन को दिये गये।। मैं यह आप से पूछना चाहता हूं कि आपने जब ४ लाख के लिए कहा था, फिर आपने किस तरह से यह दिया। जब आपने यह कहा कि हमने सेटलमेंट किया और उस सेटलमेंट के आधार पर ४ लाख रुपया देंगे ज्यादा नहीं देंगे। समझ में नहीं आता कि आपने १.२५ हजार रुपया ज्यादा क्यों दिया। यही नहीं मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आयुर्वेद विभाग है इस पर हम लाखों रुपया खर्च करते है और हिन्दुस्तान में राजस्थान सरकार ने ही आयुर्वेद का डिपार्टमेंट अलग खोल रखा है।उसके लिए तो मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। आपने अलग ही मंत्री बनाया है और इसके लिए अलग डाइरेक्टर कायम किया है, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस विभाग के इतने जिम्मेदार मंत्री और डाइरेक्टर हैं, उसकी आज हालत यह है कि १।। साल हो गया किसी भी आयुर्वेद डिस्पेन्सरी में टिंचर, की शी शी जो (टिंचर) मामूली सी चोट लगने पर लगाया जाता है, नहीं मिलती। आज १।। वर्ष हो गया एक भी आयुर्वेद औषधालय में सरकार टिन्चर उपलब्ध नहीं करा सकी। इसके अलावा आयुर्वेद में सबसे जरूरी चूर्ण होते हैं। हिंगाष्टिक और दूसरे चूर्ण, ये मामूली चूर्ण भी सरकार इन औषधालयों में नहीं पहुंचा सकती। चाहे औषधालयों में दवाइयों की कमी हो, लोगों को दवाइयें नहीं मिलती हों फिर भी दवाइयें नहीं मिलने के बावजूद भी हमारे डाइरेक्टर और मंत्री हैं जो अपने आपको महान समझते हैं, उन्होंने ४ लाख रुपया वापिस सुपुर्द कर दिया कि हम इसका उपयोग नहीं कर सके। हम इस रकम को युटिलाइज नहीं कर सके। फाइनेन्स मिनिस्टर ने चार लाख रुपये वापिस ले लिए और खुशी मना ली। मैं यह निवेदन करता चाहता हूं कि पब्लिक के लिए यह खर्चा करना चाहिये था वह नहीं किया गया उधर औषधालयों में दवाइयें नहीं हैं उसकी आपको चिन्ता नहीं, एक औषधालय में साल भर में ५५०) की दवाइयें दी जाती हैं, वे भी नहीं पहुंच पाई और चार लाख रुपया आपने वापिस सरकार में दे दिया, यह बड़े शर्म की बात है।

इसलिए मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि टिन्चर क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं चूर्ण दिया गया और वह बना क्यों नहीं। इसका एक मात्र कारण यह है कि स्प्रिट सप्लाई करने

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

के लिए जिस व्यक्ति से आपने एग्रीमेंट किया, उस वक्त स्प्रिट का भाव ३।।) रु० था और बाद में स्प्रिट की बोतल का भाव क्या हुआ, वह ६।।) रु० हो गया। इसलिए जिस व्यक्ति को आपने एग्रीमेंट किया था उसने आपको स्प्रिट सप्लाई नहीं की और इस कारण से टिन्चर नहीं सप्लाई हुआ। इसी तरह से चूर्ण में काली मिर्च का कॉन्ट्रेक्ट दिया था, मगर उसने कालीमिर्च आपको सप्लाई नहीं की और इस कारण से मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चूर्ण और दूसरी औषधियां नहीं बनीं।

तो, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह डाइरेक्टर ही,यह विभाग ही इतनी बड़ी गलतियां करते हैं कि कॉन्ट्रेक्टर प्रेस्क्राइब्ड रेट पर चीजें सप्लाई नहीं करता, तो उसके खिलाफ किसी प्रकार का समुचित एक्शन लेने का तैयार नहीं हैं। कैसे इस विभाग का कार्य सुचारु रूप से चल सकता है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन कॉन्ट्रेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं या नहीं? इस विभाग के डाइरेक्टर का ओहदा डाइरेक्टर का है पर उनके अधिकार आयुर्वेद मिनिस्टर से भी ज्यादा है, इस प्रकार की घोषणाएं वे करते हैं। अभी दस-पन्द्रह रोज पहले डाइरेक्टर की तरफ से सर्कूलर भेजा गया कि कोई भी वैद्य एक महीने में ५० रुपये से ज्यादा किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट को या जिनको यह सुविधा दी गई है दवाइयों के लिए सरकार की तरफ से, उनके ५० रुपये से ज्यादा बिल सर्टिफाई नहीं कर सकता। इस हाउस के माननीय सदस्यों को भी इसी बात का अधिकार मिला हुआ है कि अपने इलाज के लिये पैसा सरकार से लें। मैं कहना चाहता हूँ कि एक आदमी गवर्नमेंट का सर्वेन्ट है, या सदन का सदस्य है अथवा और कोई है जिसको यह प्रिविलेज मिला हुआ है, वह ५० रु० से ज्यादा अपनी दवाइयों के लिए खर्च करता है तो क्या आयुर्वेद औषधालय के वैद्य सर्टिफिकेट नहीं दे सकते? ५० रु० का सर्टिफिकेट भी तब देगा जब कि वह इन्स्पेक्टर से सर्टिफाई करायेगा। इस तरह के सर्कूलर भेज कर क्या डाइरेक्टर साहब रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं? जो जुल्मी लोग इस प्रकार के सर्टिफिकेट लेने के आदी हैं, वे एक को नहीं दो को रिश्वत देंगे, दो को नहीं तीन को, चार को रिश्वत देंगे। अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक सर्क्यूलर राजस्थान के सभी वैद्यों के पास भेजा है, उसमें वैद्यों को यह लिखा है कि छुट्टी लेकर २८ तारीख को अजमेर आ जाइये। इस सर्क्यूलर का मकसद क्या है? जो वैद्य राजस्थान के कोने-कोने में रहते है, वे अजमेर जायेंगे तो उनको टी. ए. डी. ए. देने का जिम्मेदार कौन होगा? २८, २९ और ३० तारीख को औषधालय इसलिए बन्द रहें कि वैद्य लोग अजमेर में हैं। आप कहेंगे कि वैद्यों का सम्मेलन हो रहा है, इसलिए उनको बुलाया गया। मुझे इसमें एतराज नहीं कि वैद्यों का सम्मेलन हो। वैद्यों का सम्मेलन अवश्य हो, पर हर साल वैद्यों का सम्मेलन होता है, प्राइवेट वैद्यों की तरफ से, इससे पहले आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर साहब ने कभी सरकारी वैद्यों के पास सर्क्यूलर नहीं भेजा कि सम्मेलन में उपस्थित होओ। इसी साल यह सर्क्यूलर वैद्यों के नाम क्यों भेजा गया कि छुट्टी लेकर अजमेर सम्मेलन में आओ? इसमें कारण

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

था। मुख्य मन्त्री के १० साल पूरे हो रहे हैं, इसलिये उनको अमृत कलश दिया जायेगा इसलिए आओ। डाइरेक्टर साहब जिनकी मयाद खत्म होने वाली है सर्विस की, ये चाहते हैं कि ५५ साल की बजाय ५८ साल हो जाय और उनके ३ साल और बढ़ा दिये जायं, इसलिये मुख्य मंत्री को प्रसन्न करें, चांदी का अमृत कलश बना कर भेंट करें। यह प्रथा ठीक नहीं, रिटायर्ड आदमियों को सरकारी सर्विस में नहीं लगाया जाय, यह बात इस सदन में कई बार उठाई गई है, पर ये लोग इस प्रकार का भ्रष्टाचार अपनी मयाद बढ़ाने के लिए करते हैं, हजारों लाखों रुपया टी. ए., डी. ए. का आने जाने के लिए दे देंगे, पर जनता के लिए दवाइयों का इन्तजाम आयुर्वेद विभाग नहीं करेगा।

एक डिपार्टमेंट राजस्थान में है, जिसके बारे में मैं बहुत इत्मिनान के साथ कह सकता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को पता नहीं है कि इसकी कितनी आमदनी है, कितना वैल्यूएशन है, कितनी चल सम्पत्ति है, कितनी अचल सम्पत्ति है, यह उनको मालूम नहीं है। यह देवस्थान विभाग है इसका तो खुदा ही मालिक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देवस्थान के अन्दर जो घोटाले किये वे राजस्थान के अन्दर ही हो सकते हैं। राजस्थान में जितनी प्रोपर्टी आज हमारे मन्दिरों की है, ये लोग जो आज कांग्रेस की तरफ बैठे हैं, मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं कि राजा लोग खराब थे, हमें राजा लोगों से राजस्थान मिला तो ऐसा मिला कि खजाने खाली थे, राजाओं ने कोई पैसा, कोई प्रोपर्टी नहीं दी। मैं राजाओं की तारीफ नहीं करना चाहता, मैं राजाओं का हिमायती नहीं, न उनके जमाने में जो प्रथा थी उसका हिमायती हूँ, पर जो अच्छे काम किए उनको कहना चाहिए। राजस्थान में जयपुर स्टेट थी, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर आदि स्टेट्स थीं, जिन्होंने करोड़ों की सम्पत्ति राजस्थान को इस कांग्रेस हुकूमत को दी है; पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार ने, वो जो करोड़ों रुपयों की सल्तनत थी उसकी हिफाजत की है ? मैं कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान में मन्दिर हैं, उनमें से कुल ११,३३८ मंदिर देवस्थान विभाग में हैं। उनकी चल सम्पत्ति ५०,८३,२७३ है और अचल सम्पत्ति ३,०९,८५,३०९ रुपयों की है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह इतनी सम्पत्ति मंदिरों की है उससे नॉन टैक्स रेवेन्यू करने की क्या कोई स्कीम आज तक आपने बनाई है ? जो मंदिरों की फालतू जमीनें पड़ी हैं वहां कौन से कार्य किए जा सकते हैं जिनसे कि लाखों की आमदनी की जा सकती है ? कोई ऐसी स्कीम नहीं, यह डिपार्टमेंट भगवान् के भरोसे चल रहा है।

हमारा एक मन्दिर है, वह मन्दिर है वृन्दावन के आगे, वहां भगवान् की मूर्ति है.................

श्री गिरधारीलाल व्यास (बासीन्द) : वृन्दावन से आगे किस जगह ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : राधाजी का जन्म स्थान है—बरसाणा, वहां है।

वहां से सोने के जेवर यहां देवस्थान में लाए गए। मैं वहां गया मैंने वहां पूछताछ

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

भी की, हमें मालूम हुआ कि १२५ तोले से ज्यादा तो मुकुट था, कंठे थे वे भी १३५ तोले के थे, घुंघरू पैरों में पहने जाते हैं, चालीस-चालीस तोले का एक एक घुंघरू था, पर रजिस्टर में १६३ तोला सोना दर्ज किया गया है। कहां गया ? कहां वे लोग सारा का सारा पैसा ले गये ? आज वहां जो काम हो रहे हैं, जिस तरह का इन्तजाम हमारे मन्दिरों में है, मैं कहता हूं कोई भी राजस्थानी राजस्थान से बाहर जाकर हालत देखे और वास्तव में वह यह समझता है कि राजस्थान के एक एक पैसे पर मेरा अधिकार है, वह रोये बिना नहीं रहेगा। वह कहेगा कि हमारी प्रोपर्टी की यह दुदशा आज यह राजस्थान सरकार करने जा रही है।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि यह एक लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने देवस्थान विभाग द्वारा जो पैसा कर्जा दिया था किस प्रकार उधार पैसा देकर लुटाया गया है। आज लोगों में देवस्थान विभाग के द्वारा जो उधार दिया गया है रुपया वह ३,६६,६२८.५८ पैसे है जो कि लौटाया नहीं गया है। वह भी ऐसे लोगों में आज बाकी है जो शायद इस दुनिया में नहीं रहे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): वह पैसा राजस्थान बनने से पूर्व रियासतें थीं उनकी ओर से दिया गया या बाद में राजस्थान बनने के दिया गया ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: ज्यादा वह है जो राजस्थान बनने के बाद दिया गया। मैं नाम बतलाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय:—

१. चुन्नीलाल मिस्त्री १०,४१२)

कौनसे राजाओं ने दिया ? आपने दिया है।

२. गोकुलजी अहीर, १३,६०६) रु० राजस्थान सरकार बनने के बाद दिया। पहले वालों ने नहीं दिया।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आपको क्या मालूम है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मुझे मालूम है, तब ही तो मैं बता रहा हूं:—

३. श्री गोपाल मोहता ६०,१३७) रु० किसने दिया ? क्या राजस्थान सरकार ने दिया ?

४. सेक्रेटरी, फील्ड क्लब ३६,६५६); किसने दिया ? ये जो बड़ी बड़ी रकमें हैं। ये जो बड़ी बड़ी रकमें हैं, डिपार्टमेंट का पैसा है, क्या आप यह जवाब दे सकते हैं कि उनकी वसूली कैसे होगी ? कब होगी ? और क्यों नहीं हो रही है ?

एक तरफ हमारा लाखों रुपया मंदिरों का दूसरे लोगों में बाकी है और जिस पैसे से लोग मौज उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ मंदिरों की हालत यह है कि इलाहाबाद जैसे शहर में राजस्थान का मंदिर हो

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

और उसके खर्च के लिए चाहे तो उसका भोग लगा दे, चाहे उसकी धूप लगा दे, या चाहे तो उसको पुजारी की तनख्वाह पूजा के लिए समझ लें, तीन रुपया महीना यह राजस्थान सरकार देती है। मैं पूछना चाहता हूं...

(विराम)

राजस्थान सरकार से चाहे धन की बेइज्जती करें, चाहे जिस तरीके से काम में लें, इसकी जो प्रोपर्टी है, इसका जो पैसा है उसको सेफगार्ड करने का काम तो आपका है और उसको करना चाहिये और नहीं करेंगे तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह करोड़ों रुपयों की जो सम्पत्ति है आज हमारी वह सब खत्म हो जावेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि २८-१२-१९४६ के अन्दर मेवाड़ प्रजामंडल के समय में एक कमेटी बनाई गई थी इस बात के लिए कि एक प्लानिंग तैयार किया जाय इस बात का कि जब हिन्दुस्तान में और राजस्थान में कांग्रेस का राज्य होगा, तब हम किस तरह काम करेंगे और क्या हालत होगी और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कमेटी में जो आज ट्रेज़री बेन्चेज़ में बैठे हैं सज्जन, उन सज्जनों में से दो सज्जन मेम्बर थे उस समय। उस समय उन्होंने यह कहा कि यदि हमारा राज्य हो जायगा देश में और राजस्थान में, तो हम किस प्रकार का शासन करेंगे? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, उस सम्बन्ध में कुछ उद्धरण देकर कि एक मनुष्य को प्रतिदिन भोजन कितना मिलेगा:—

अनाज	२० औंस
दालें	२ ,,
घी	१ ,,
सब्जी	८ ,,
फल	२ ,,
दूध	८ ,,
शक्कर	२ ,,
गुड़	२ ,,

मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो उन्होंने लिखी हैं आप उसका हिसाब लगायें तो एक दिन का खर्चा आज के जमाने में ३॥) होता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां हमारे राजस्थान के एक आदमी की आज आमदनी २३ पैसा प्रतिदिन है वह कब और कैसे ३॥) प्रतिदिन की खुराक प्राप्त कर सकेगा? श्रीमान्‌जी, आपने यह बात सन् १९४६ में कही थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट और दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप बैठ जाइये। बहुत समय हो गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप कौन होते हैं यह कहने वाले?

श्री उपाध्यक्ष : तीन मिनट।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : और देखिये। उस समय यह कहा था, उपाध्यक्ष

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

महोदय, कि एक आदमी को ४५ गज कपड़ा मिलेगा। इसके अलावा भी बातें लिखी हैं। एक परिवार को रहने के लिये १ हजार वर्ग फटी जमीन मिलेगी उसमें वह मकान बनायेगा। यह प्लानिंग सन् १९४६ में आज के मुख्य मन्त्रीजी ने उस समय बनाया था।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : डवोक में ले ली है जमीन।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह सन् १९४६ में कहा है। आज आपके राज्य में वह प्लानिंग पूरा क्यों नहीं हो रहा है? मैं समझता हूं कि आज जो कुछ भी हमारे प्रान्त और देश में हो रहा है, उसका एक मात्र कारण यह है कि जो भ्रष्टाचार आज इस राज्य सरकार के हर विभाग में फैला हुआ है, चाहे वह प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी विभाग हो, चाहे वह पब्लिसिटी हो, चाहे वह देवस्थान हो, चाहे वह पुलिस हो या और कोई भी विभाग हो, कई इस प्रकार के अफसर बैठे है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, आपने लोगों से उनकी इन्क्वायरियां कराई हैं और उनका रिज़ल्ट यह हुआ है कि वास्तव में वह भ्रष्टाचार आप नहीं हटा सकते, आप तो उनके लिए उल्टी नयी नयी जगह क्रियेट करते हैं। एक स्टेशनरी और प्रिन्टिंग का जोधपुर का अफसर उसको जयपुर के प्रेस में डिप्टी डाइरेक्टर बना कर बुलाया है। जबकि उनके खिलाफ एक नहीं हजारों शिकायतें हैं मेनन साहब की रिपोर्ट में उल्लिखित हैं। चूंकि और कोई जगह नहीं है, और उनको रखना है उनके लिए एक जगह नियत कर दी और वह है डिप्टी डाइरेक्टर की।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है और मैंने जो आपको उदाहरण के रूप में बताया है उसके लिए फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जवाब दें कि १, २५ हजार का एडीशनल पेमेन्ट क्यों कर दिया गया?

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री राधाकृष्ण गोयल : हमारी ओर से एक ही माननीय सदस्य बोले हैं। हमको समय दिया जाय।

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

समय जितना दिया गया था अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक दिन भी इस सेशन में नहीं बोल पाया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं उसको सुन लीजिये पहले।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सीधे सादे जो बैठे रहते हैं उनको समय ही नहीं मिलता। पांच मिनट ही दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह आक्षेप है; स्वतन्त्र पार्टी की ओर से पूरा समय लिया गया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आज एक ही बोले हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारी ओर से तो एक ही बोले हैं, ज्वाला-प्रसादजी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पांच मिनट ही दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं होगा। आप बैठिये।

(व्यवधान-शोरगुल)

order please ! yes.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर कुछ मुद्दे, जो खास तौर से जयपुर से आने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने कल और आज जहां तक उन विभागों के बारे में जो कि मेरे से सम्बन्धित हैं उन पर उठाये हैं उनके बारे में जिक्र करूंगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल गंगानगर शुगर फैक्ट्री के बारे में और उसके इन्तजाम के बारे में सदन में चर्चा की और कुछ मुद्दे सदन के सामने रखे। जिस वक्त वे सदन में चर्चा कर रहे थे, श्रीमान् वे उन आंकड़ों पर चर्चा कर रहे थे। १९६३-६४ की रिपोर्ट पर उन्होंने सदन में चर्चा की थी। मुझे इस बात का खेद है, सदन के सामने ६२-६३ की रिपोर्ट मैंने प्रस्तुत कर दी थी और यह प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया था कि यह रिपोर्ट सदन के समक्ष विचारार्थ ली जाय, उसके बाद ६३-६४ की ऑडिटेड रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मार्फत उस पर चर्चा होकर गंगानगर शुगर फैक्ट्री की बैलेन्स शीट राज्य सरकार के सामने अभी पेश नहीं हुई है। इसके कारण मैं बड़ी परेशानी में रहा कि ६३-६४ की ऑडिट रिपोर्ट चूंकि गंगानगर शुगर फेक्टरी का साल जून में खत्म होता है, ६३-६४ की रिपोर्ट ऑडिट होने के बाद में बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के पास जाती है, उसके बाद सरकार के पास आती है। अभी तो मैं ६२-६३ की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए तैयार था, इस संबंध में प्रस्ताव भी मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, मगर उस पर चर्चा होने से पहले ही जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिनके हाथ बहुत लम्बे हैं ६३-६४ की ऑडिट रिपोर्ट सरकार के पास में नहीं आयी, उसके पहले ही उसके आंकड़े रख कर सदन के सामने भाषण कर डाला। मेरा निवेदन है कि इस बारे में ऑडिट के जो एतराज है उसका जवाब बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स और जो मैनेजमेंट में है वे देंगे उसके बाद में काफी ऐसे मामले हैं जो आपस में रफा-दफा हो जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़े माननीय सदस्य ने कहां से प्राप्त किये, उनको कैसे पता लगा यह तो बतायें ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बातें रखी, उनमें काफी बातें ऐसी हैं जो

(श्री मथुरादास माथुर).

ऑडिट ओब्जेक्शन है वे आपस में बात-चीत करने पर मोट हो जायेंगे। इसके बाद रिपोर्ट बन कर सरकार के सामने आती है फिर यदि कोई बात कहें तो उसकी सफाई पेश करना जरूरी समझता हूं।

सबसे पहले उन्होंने कहा एक कम्पनी डाइरेक्टर है वह कोयला उसी कम्पनी से खरीदता है जिसका वह डाइरेक्टर है तो यह कम्पनी लॉ के खिलाफ पड़ता है। कम्पनी का डाइरेक्टर कम्पनी के साथ बिजनेस में नहीं पड़ सकता। कुछ यह बात मेरे भी जंची लेकिन जब पता किया तो यह मालूम हुआ कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज बोर्ड है उसके भी डाइरेक्टर वे ही हैं,जो गंगानगर शुगर फैक्टरी के डाइरेक्टर हैं और स्माल स्केल इन्डस्ट्री में गंगानगर शुगर फैक्टरी को कोल सप्लाई किया है। इसलिए ऑडिट का एतराज हुआ कि एक डाइरेक्टर जो गंगानगर शुगर फेक्टरी का डाइरेक्टर है वह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज बोर्ड के डाइरेक्टर मेम्बर हैं उससे नहीं खरीद सकता, लेकिन चूंकि वह दोनों का डाइरेक्टर है इसलिए खरीद लिया। यह टैक्निकल मामला है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट है वह डाइरेक्टर्स की रिपोर्ट है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह सरकार के समक्ष नहीं आयी है, इसलिए जिन तथ्यों की मैंने चर्चा की है उसका उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन जिस एक पार्ट को लेकर आप उत्तर दे रहे हैं यह भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक पूरी ऑडिट रिपोर्ट उनके पास डाइरेटर्स से न आ जाय, तब तक इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा, अगर आपको जवाब देना ही है तो जिन सारे तथ्यों को मैंने उठाया है वे चाहे ऑडिट रिपोर्ट में हो चाहे बाहर के हों, उनका सब का जवाब दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने कल ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ऐसी बातें कहीं जो अखबारों में हैड लाइन में आयी हैं, ६० लाख रुपयों का घोटाला इस शुगर फेक्टरी में है इसलिए इसकी सफाई करना आवश्यक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : फिर भी आपको हैड लाइन नहीं मिलेगी।

श्री मथुरादास माथुर : हैड लाइन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो गलतफहमी फैली है उसको दूर करना जरूरी है। मैं ऑडिट रिपोर्ट में कही हुई बातों की डिटेल्स में न जाकर बड़े बड़े तथ्य जो उन्होंने उठाये हैं, उन्हीं पर अपने विचार रखूंगा। एक बात माननीय सदस्य ने उठायी आम तौर पर एक कम्पनी का डाइरेक्टर दूसरी कम्पनी के डाइरेक्टर से बिजनेस नहीं कर सकता। मेरे ऊपर इसका असर हुआ यह बुरा है, फिर मैंने इस पोइन्ट की जांच करवाई तो पता चला कि जो गंगानगर शुगर फेक्टरी के डाइरेक्टर हैं, वे एक्स ऑफिशियो डाइरेक्टर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के भी हैं और बोर्ड द्वारा ही कोयला सप्लाई हुआ है, जो कोई गैर कानूनी नहीं है। यह ऑडिट ओब्जेक्शन है वह टैक्निकल है जो एतराज उठाया है उनको सन्तुष्ट कर दिया जायगा। इसमें

(श्री मथुरादास माथुर)
कोई भी कम्पनी के डाइरेक्टर डील नहीं करते हैं।

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ बोतलें गंगानगर शुगर फैक्टरी से चली गई, जिनकी संख्या १७०० के करीब बतलाई गई, यह तो वहां के जनरल मैनेजर ने ही मामला पकड़ा था जिसने यह काम किया था, उसमें एक्साइज़ डिपार्टमेंट का मुलाजिम भी शामिल होता है, उसमें एक क्लर्क भी शामिल था, दोनों ने मिल कर यह काम किया। हमने अपने क्लर्क पर एक्शन लिया है और एक्साइज़ डिपार्टमेंट के आदमी के लिए एक्साइज़ डिपार्टमेंट को लिख दिया है कि वे कार्यवाही करें। एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया, यह पता नहीं है, हमने अपने क्लर्क को चार्जशीट देकर ऐक्शन ले लिया।....

श्री भैरोंसिंह : दोनों को क्यों मोअत्तिल नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : दोनों को मोअत्तिली का सवाल नहीं था। हमारे क्लर्क को को हमने सस्पेन्ड किया, चार्ज शीट दी, तीन इन्क्रीमेंट रोक कर के उसका तबादला कर दिया, दूसरी जगह लगा दिया। एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया, उसकी सूचना नहीं है।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि ६० लाख रुपये का गुड़ खरीदा गया जो खराब हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं ६० लाख का नहीं, केवल बीस लाख का भी नहीं, उससे भी कम केवल १२ लाख का खरीदा था। लश्करी गुड़ खरीदा जो शराब बनाने के लिए काम आता है। पहले तो यह था कि जो शराब बनता था, वह रेक्टीफाइड स्पिरिट के आधार पर बनता था जो हम यू० पी० और मध्यप्रदेश से लेते थे उस समय उन्होंने बन्द कर दिया था देना...

श्री भैरोंसिंह : १२ लाख का तो एक साल में खरीदा है और दो साल में बीस लाख का खरीदा गया है।

श्री मथुरादास माथुर : कुल खरीदा गया वह १२ लाख का है। इतना गुड़ नहीं खरीदते तो शराब नहीं बन सकती थी। रेक्टीफाइड स्पिरिट और मोलेसज़ से निकालते थे और उदयपुर डिवीज़न के लोग महुआ को ज्यादा पसन्द करते हैं इसलिए महुआ की भी बनती है।

जब यू० पी० ने रेक्टीफाइड स्पिरिट देना बन्द कर दिया। यू० पी० में रबर फैक्टरी कायम की थी, इसलिए उसमें कन्ज़म्प्शन के लिए यह आवश्यक था, इसलिए उन्होंने बन्द कर दिया। इसलिए हमारे यहां इसकी सप्लाई को शोर्टेज पड़ गई, मोलासेज़ उपलब्ध नहीं थे और उसके अलावा महुआ लिमिटेड है...

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : भोपालसागर में बहुत मोलासेज़ पड़ा है।

श्री मथुरादास माथुर : यह ६३-६४ की बात है, उस वक्त महुआ नहीं था, न मोलेसेज़ था। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का गुड़ पर कन्ट्रोल था, इसलिए मैंने खुद ने श्री रामसुमागसिंहजी को पत्र

(श्री मथुरादास माथुर)

लिखा कि रसकट गुड़ जो खाने के काम में नहीं आता है, उसका स्पेशल परमिट काट-कर हमें दिया जाय, क्योंकि रेक्टीफाइड स्पिरिट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इसके लिए स्पेशल परमिट दें। उनकी गारन्टी पर गुड़ खरीदा था। यह वही गुड़ है।

अब चूंकि यू० पी० सरकार ने रबर फेक्टरी ने लगाने का फैसला किया है, अब वे रेक्टीफाइड स्पिरिट भेज रहे हैं। उस गुड़ में से काफी का डिस्टीलिशन हो गया है कुछ स्टोर में पड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के एक्साइज़ डिपार्टमेंट से इजाज़त मांगी है, रोज का शराब बनाने की इजाजत दी जाय, क्योंकि रोज की शराब को फॉरिन वाले बहुत पसन्द करते हैं। उन्होंने इजाजत दे दी है कि हम रोज का शराब बना कर बाहर भेज सकते हैं।

(४.०० म. प.)

तो उस गुड़ का कन्जम्प्शन हो जावेगा। ऑर्डिनरिली यह महंगा होता है, इसलिए इसका कन्जम्प्शन कम है; फिर भी उस गुड़ को भी खराब नहीं होने दिया जावेगा और रोज का गुड़ के बेस पर बनाया जावेगा।

कहा गया कि यह पड़ा पड़ा खराब हो जावेगा। रसकट गुड़ खराब नहीं होता क्योंकि हम तो उसे और सड़ाते हैं, डिस्टिल करते हैं। पड़ा पड़ा हमारे लिये तो और मुफीद बनता जावेगा। हां, अगर आपको यह खतरा है कि वह बह जावेगा और बहकर बाहर नदी में मिर्जा इस्माइल रोड होकर माननीय सदस्य के घर पहुंच जावेगा तो ऐसा नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : बीच में हम बैठे हैं। आपके बंगले तक नहीं पहुंचने देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : तो वह जगह जगह पड़ा है। कोई एक जगह भी हो, ऐसी बात नहीं है। जहां जहां हमारी डिस्टिलरियां हैं, वहां पड़ा है; जहां गुड़ से डिस्टिलेशन होता है, और तरह से डिस्टिलेशन होता है वहां पड़ा है।

श्री भैरोंसिंह : जिस भाव से उस समय खरीदा था वह भाव तो आज गिर गया और उससे सरकार को नुकसान हुआ। इतना क्यों खरीदा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये मैंने निवेदन किया कि हमने किस स्थिति में खरीदा और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को लिखकर खरीदा। उस समय रेक्टीफाइड स्पिरिट की मुमानियत हो गई थी। फिर इस अन्तर को जो भाव में पड़ा पूरा करने के लिये हम कीमती शराब गुलाब की गुड़ के बेस पर बनाना चाहते हैं। उसके भाव ऊंचे होंगे और इससे वह लोस कम्पेन्सेट हो जावेगा कोशिश यह करेंगे कि अच्छे लोग अच्छी शराब पीयें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको कौनसी पसन्द है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह रहा गुड़ के मामले में। वह काफी तो कन्ज्यूम हो चुका। मैं यह भी कह दूं।

इसके बाद यह भी कहा गया कि हमने फैक्टरी को नवम्बर में स्टार्ट किया इस वजह से एक्साइज़ में मिलने वाला रिवेट हमें नहीं मिल सका और नुकसान हुआ। हमने ६ दिसम्बर को स्टार्ट की। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का सर्कूलर जो जारी किया था रिवेट देने का, वह नवम्बर २० को निकला और कहा गया था कि एक महीने के लिए नवम्बर २१ से फैक्टरी चालू हो जावे तो मिलेगा और वह भी ६१-६२ में प्रोडक्शन से ज्यादा कर लेंगे, सीजन में नहीं। इस एक महीने में तो रिवेट देंगे : वह लिमिटेड हो तो। तो इसके बाद २१ नवम्बर को हमारी फैक्टरी स्टार्ट हो जावे, यह मुमकिन नहीं था। १५ दिन हमें लगे थे। यह फैक्ट है। एक बात।

दूसरी, हमारी गन्ने की मेचोरिटी, गन्ने के क्षेत्र से आने वाले साथी ताईद करेंगे कि वह अर्ली नहीं होती। आन्ध्र प्रदेश और उधर गन्ने की मेच्योरिटी पहले हो आती है। हमारे यहां दिसम्बर जनवरी में होती है। इसलिए अर्ली चालू करने का प्रश्न पैदा कभी नहीं होता और ६२-६३ में भी तभी चालू की और हमेशा अक्सर इसी महीने में चालू करते हैं। प्रो इन्एफीशियेन्सी से हम वह रिवेट नहीं ले सके यह चार्ज ठीक नहीं। अब अगर पहले भी चालू कर देते तो कितना सा रिवेट मिलता। वह एक्साइज़ ड्यूटी पर रिवेट था तो इसलिये इससे कोई घाटा हुआ हो, ऐसी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में यह कहा गया कि इस फैक्ट्री को हम लोगों ने बिहार में २२।२५ लाख स्क्रेप के मूल्य पर खरीदा था। इसका बहुत पुराना इतिहास है। इस वक्त मैं उसमें जाना नहीं चाहता। यह पहले प्राइवेट लोगों ने खरीदी थी। इसके बाद में बन्द कर दी तो गंगानगर में हड़ताल हुई। लेबर ने मांग की कि हमें एम्प्लोयमेंट मिलना चाहिए। पहले सरकार ने लोन देकर चालू किया। फिर शेयर खरीद कर चालू किया। यह हल्के हल्के पोज़ीशन बनी है। २२-२५ लाख में जावा बोर्निया की पार्टी लाई थी वह मशीन इसमें है। हमने आने के बाद इस को कोशिश करके ठीक किया ताकि नुकसान न हो। एक दो साल तो फायदा हुआ था जब कि गन्ने का प्रोडक्शन अच्छा हुआ था। पर आज इसमें फायदा नहीं है। यह छिपी बात नहीं है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। मैं यह मन्जूर करता हूं। किस तरह की अच्छी नई मशीन लाई जावे, जिससे फायदा हो यह सोच रही है सरकार।

यह भी कहा गया कि हम पर यह अवार्ड ५ लाख २७ हजार का केन बेज बोर्ड ने प्रोपर अकाउन्ट नहीं देने के कारण दिया। जुर्माना किया। यह बिल्कुल गलत है। हमने प्रोपर अकाउन्ट दिया है। प्रोफॉर्मा जो वे मांग रहे थे उसमें जरूर नहीं दिया। हमने इसके खिलाफ अपील कर दी है उनका ऑर्डर स्टे हो गया है। अपील चल रही है और उम्मीद है हम कामयाब हो जावेंगे। यह टैक्निकल मामला है।

(श्री मथुरादास माथुर)

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसको लेकर यह भी कहा गया कि इसमें वेस्टेज बहुत होता है। यह मैं कुछ हद तक मानता हूं, क्योंकि हमारी पोज़ीशन यह है. एक गंगानगर इलाके में है, एक जयपुर, जोधपुर में है। शराब का डिस्ट्रिब्यूशन करते हैं तो ७३ वेअर हाउसेज़ के मार्फत करते हैं वहां कोई ट्रेन नहीं जाती सड़कें भी बहुत सी जगह नहीं है पुराने स्टेटों के जमाने के बने हैं। इसमें ब्रेकेज होते हैं। १ पर्सेन्ट तो रीज़नेबल होते हैं, ज्यादा होते हैं तो कार्यवाही भी करते हैं।

इसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। यह भी कर रहे हैं कि रेशनलाइज़ेशन इन वेअर हाउसेज़ का कर दिया जावे। उम्मीद है कि इनमें कमी कर देंगे अगर एक्साइज़ विभाग का सहयोग हमें इसमें मिला तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तक सहयोग नहीं कर रहे हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : हम प्रोड्यूसर हैं, वे मालिक हैं, एक्साइज़ डिपार्टमेंट के हम तो ताबेदार हैं। हम तो धन्धे वाले हैं, इसलिये हमारे पर उनका कन्ट्रोल है ठीक नहीं चलें तो कल लाइसेन्स हमारा वे कैंसिल कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे नहीं सुनें तो हमारी ट्रेड युनियन में दर्ख्वास्त दे देना।

श्री मथुरादास माथुर : आगे कहा गया कि रजिस्टर नहीं रक्खे जाते, लिस्टें नहीं रक्खी जातीं, पहले ठीक था। इसमें कठिनाई थी। प्लान्ट मशीनरी वगैरह का रजिस्टर अब हम रख रहे हैं। इसके लिए हम २६ जनवरी, ६४ को एक सर्कूलर जारी किया था। वह मैं पढ़ देता हूं :

"Plant Machinery Register should be maintained as required under the Indian Companies Act.

Register will be supplied very shortly for the maintenance of the record..."

तो इसके बाद में असेट्स का और मशीन वगैरह का रेकॉर्ड मेन्टेन करना शुरू हो गया है और रजिस्टर वगैरह हैं।

श्री भैरोंसिंह : शुरू किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : I have notified it myself. It has been done. I have verified.

ऑडिटरों को भी सैटिस्फाई कर दिया है।

तो मुख्तलिफ पोइन्ट्स जो पांच छः उठाये थे उनके बारे में मैंने निवेदन किया जो कुछ इस थोड़े अरसे में मैं सूचनाएं इकट्ठी कर सका उनके आधार पर।

मैं यह भी कहना चाहता हूं उपाध्यक्षजी कि बराबर इतनी बात जरूर मानता हूं कि आखिर विभागीय मिनिस्टर को, और पहले भी कहा था और माननीय सदस्य ने जोरों से कहा था कानून में डाइरेक्टली कन्ट्रोल मिनिस्टर कर सकता है, पर एक

(श्री मथुरादास माथुर)

कम्पनी एक्ट से जो गवर्न होता है एक को-पॅरिशन के एक कम्पनी है उसमें एक कम्पनी है उसमें हमारा इन्टरफियरेन्स कम पोसिबल है कम्पनी एक्ट के नीचे। उसमें बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स होते हैं। हमारे पास तो रिपोर्ट आती है तब हमें पता लगता है कि इसमें घाटा होता है या नफा। हम तब डाइरेक्शन दे सकते हैं पॉलिसी मैटर्स पर वह भी। नहीं तो डे टू डे के काम में इन्टरफीयर नहीं कर सकते। कम्पनी लॉ के प्रोवीज़न को मेन्टेन करते हुये भी हम कोशिश करते हैं कि काम ठीक चले। स्टेट एन्टरप्राइज़ेज हैं। हमारे शेयर भी करीब ७२ पर्सेन्ट हैं। प्राइवेट के डाइरेक्टर भी मौजूद हैं उनमें। ऐसी सूरत में डाइरेक्ट गवर्नमेंट का इन्टरफियरेन्स नहीं हो सकता। उनके अपने कानून से ही वे गवर्न होंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस बात की भी कोशिश की है कि काम ठीक चले और इसके बाद में किसी को हटाना भी पड़ा है तो हमने हिचकिचाहट नहीं की है। और इस कम्पनी के सेक्रेटरी को छुट्टी दे दी गई है। क्योंकि उसका काम ठीक नहीं था। तो इस सूरत में जितनी कोशिश कर सकते हैं लॉ में एडजस्ट होते हुए कोशिश करके सुचारु रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। यह शुगर फैक्ट्री के बारे में जो पोइन्ट रक्खे थे मैंने उनका जवाब दिया है। बाकी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद में सदन की मेज पर रख दी जावेगी। उसके ऊपर आपको फिर चर्चा करने का मौका मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी एक बात और कही गई थी....

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात की जानकारी चाहता हूं कि आपने पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट पेश की है डिस्कशन के लिए और अभी इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा कि पहले डाइरेक्टर्स इस पर विचार करेंगे और उसके बाद में आप विस्तार से चर्चा कर सकेंगे तो क्या आप डाइरेक्टर्स के कमेन्ट्स जो भी इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर होंगे उनको सदन की मेज पर रखेंगे ताकि हमें यह जानकारी मिल सके कि डाइरेक्टर्स ने अपने क्या क्या कमेन्ट्स दिये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर कम्पनी लॉ में व्यवस्था होगी इस प्रकार की तो मैं रख दूंगा।

(४.१० म. प.)

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री भैरोंसिंह : आप बताइये कि कम्पनी लॉ में है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह कानून के मामले की बात है और मैं ऑफ हैंड नहीं कहता, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर कम्पनी लॉ में प्रोवीज़न है तो मैं रख दूंगा अगर नहीं होगा तो आपके और मेरे कमेन्ट्स तो होंगे ही।

माननीय अध्यक्षजी, दूसरी बात कही गई थी जो प्रेस के सिलसिले में मिनिस्टर मेनन की रिपोर्ट है उसके बारे में। वह ८०० पेज की रिपोर्ट है कागज, गम, इंक

(श्री मथुरादास माथुर)

और मशीनरी वगैरह सबके मामले हैं और जब से मैंने चार्ज लिया है मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं और माननीय सदस्य ने एक प्रश्न भी पूछा है उसका भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उस रिपोर्ट के अन्दर किसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जाये, वह मैं रिपोर्ट का अध्ययन करके ही निर्णय लूंगा। ८०० पेज की रिपोर्ट का अध्ययन करके उसमें कुछ लोगों को चार्ज शीट भी दी गई है, उस चार्ज शीट का जवाब भी मांगा है, कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही की जायेगी और मैं तसल्ली देता हूं कि जो कुसूरवार होगा उसको बचाने की कोशिश नहीं की जायेगी और जो बेकुसूर है उसको किसी तरह की सजा नहीं दी जायेगी।....

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह आपने एक रूलिंग दी है कि जिन इन्क्वायरीज़ के बारे में किसी प्रकार की घोषणा की जाये, वह इन्क्वायरी रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाये। जिस समय मैंने यह प्रश्न पूछा था उस समय आपके हस्तक्षेप से, आपकी सलाह से सरकार ने स्वीकार किया था कि इसकी जांच करवायेंगे। उसी समय जो प्रेस के मिनिस्टर थे उन्होंने घोषणा की थी कि हम इन्क्वायरी करायेंगे और उस इन्क्वायरी के लिए मिस्टर मेनन को नियुक्त किया गया और यह भी कहा था कि जो वह रिपोर्ट देंगे उसको सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह ८००. पेज की बल्की रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन उसकी एक प्रतिलिपि आप सदन की मेज पर क्यों नहीं रखते ताकि हमें यह तसल्ली हो जाये कि हमने जो चार्जेज़ लगाये थे वे किस हद तक सही हैं और गवर्नमेंट जो एक्शन आगे के लिए प्रपोज़ कर रही है वह कहां तक सही है।

श्री मथुरादास माथुर : जब तक राज्य सरकार खुद उस मेनन रिपोर्ट का अध्ययन करके फैसला नहीं कर ले उसके पहले सदन में रखने से कोई फायदा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : २ वर्ष हो गए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे अभी दो-तीन महीने ही हुए हैं। मेरे पास यह महकमा अभी ही आया है।

श्री भैरोंसिंह : महकमे तो यों ही बदलते रहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जज बदल जाते हैं तो आने वाले को सब कुछ पढ़ना पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट तो कन्टीन्यू कर रही है।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट तो कन्टीन्यू कर रही है, इससे मैं इन्कार नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि रिपोर्ट को उठाकर ऊपर फेंक दो। आखिर मुझे ८०० पेजेज़ पढ़ने हैं तो उसमें भी समय लगेगा और जब मैं उसका अध्ययन कर लूंगा, सरकार उस पर कोई निर्णय ले लेगी तभी तो सदन की मेज पर रखी जा सकती है....

श्री अध्यक्ष : पढ़ कर निश्चय कर लें ।

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल मैं पढ़कर उस पर निर्णय ले लूं तब यहां आये तो ज्यादा अच्छा रहे, वर्ना टेबल को तोड़ने की कोशिश क्यों की जाये ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जिन ऑफिसर्स के खिलाफ लिखा गया है इस रिपोर्ट के अन्दर कम से कम उनको प्रमोट तो नहीं किया जाये; यह तो व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री मथुरादास माथुर : किसी के प्रमोशन या डिमोशन का सवाल नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसके अन्दर लिखा है इन इन की गल्तियां हैं और इसके लिए ये ये व्यक्ति जिम्मेदार हैं तो आप उनको प्रोमोट तो न करें । अगर आप उनका प्रमोशन कर देते हैं तो फिर क्या फायदा है ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी यह रिपोर्ट आई है । हम चाहते हैं कि जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले लेते तब तक प्रमोशन वगैरह को नहीं रोक सकते । फिर प्रमोशन हो जायेगा तो डिमोशन भी हो जायेगा, क्या देर लगती है ? कई आदमी सीनियोरिटी से आगे ले लिये जाते हैं और तीन-तीन इन्क्रीमेंट ले लेते हैं और उनके खिलाफ कोई बात होती है तो तीन इन्क्रीमेन्ट्स पीछे कर देते है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम उसके बारे में कार्यवाही करेंगे । मेरा निवेदन यह है कि आप जो कार्यवाही करेंगे उससे पहले आप सारे केसेज़ को प्रेज्यूडिस क्यों कर रहे हैं ? आपने प्रेस के अन्दर डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट को क्रियेट कराया है जब कि डाइरेक्टर ने उस पोस्ट को मांगा ही नहीं । आपने इस बार के बजट में डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट को क्रियेट कर दिया और इफ्तिकार अली को उस पर बैठा रहे हैं, इससे सारे केसेज़ प्रेज्यूडिस होते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य शायद कुछ भ्रम में हैं । एक तो डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट को क्रियेट करना और बात है और आप कहते हैं कि डाइरेक्टर ने इस पोस्ट को मांगा ही नहीं, मैं, कहता हूं कि मांगा है इसके लिए बाकायदा प्रपोज़ल चला है, मांगा और पोस्ट को भरना है । अब किस आदमी को इसके ऊपर लें, किसको नहीं, यह दूसरी बात है । अब इस पोस्ट को किसी कमेटी के द्वारा भरें या पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भरें या और किसी तरह यह अलग से बात है ।...

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आपका कोई कन्टेन्शन इनको यह डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट देने का नहीं है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इस नियत से यह पोस्ट क्रियेट नहीं की, कि डिप्टी डाइरेक्टरशिप श्री इफ्तिकारअली को दे दी जायें ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं नहीं कह सकता । पोस्ट क्रियेट होकर आई है । रूल्स

(श्री मथुरादास माथुर)

के हिसाब से जो प्रमोशन के और रिक्रूटमेंट के नियम बने हुए हैं उनके आधार पर जो हकदार होगा वह लिया जायेगा। अगर उसके खिलाफ कोई चार्ज शीट है तो नहीं लिया जायेगा और यदि किसी को ले भी लिया जाता है और बाद में उसके खिलाफ कुछ प्रूफ होगा तो वापिस उतार दिया जायेगा; यह सीधी सी बात है।....

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह पोस्ट वित्त मन्त्रीजी के ऊपर दबाव डाल कर क्रियेट करा ली।

श्री मथुरादास माथुर : वित्त मंत्रीजी दबाव में आ जायें, ऐसा नहीं है। आपके दबाव में आ जायें तो मुझे कह देना।

एक अखबार को लेकर कुछ बातें कही गई थी, जिसका नाम 'नवजीवन' है। यह असेम्बली और धारा सभा बनने से पहले जितने एडवर्टाइज़मेंट उसको मिले, वह तो माननीय सदस्य ने पढ़ दिये, लेकिन यह धारा सभा जो सन् ६२ में बनी उसके बनने के बाद में जो एडवर्टाइज़मेन्ट्स दिये गये उनको नहीं पढ़ा। क्योंकि उस अखबार के बारे में आपने अपनी राय प्रदर्शित की। मुझे किसी अखबार के बारे में राय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह देता हूं कि माननीय सदस्य ने १९६१-६२ के फिगर्स बताये कि १६ हजार तक के एडवर्टाइज़मेन्ट्स उसको मिले। इस अखबार के बारे में आपकी राय खराब है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं और न कोई राय ज़ाहिर करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि १९६२-६३ के अन्दर जहां पहले आपके विज्ञापन १६ हजार के थे, वहां वह १७१९ के रह गये और १९६३-६४ के अन्दर २३०० रुपये के हैं। १९६४-६५ के फिगर्स हैं वह कलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मार्च का महीना खत्म हो रहा है।...

श्री भैरोंसिंह : डिस्प्ले के फिगर्स क्या हैं?

श्री मथुरादास माथुर : यह डिस्प्ले और एडवर्टाइज़मेंट दोनों के ही आंकड़े मैंने पढ़े हैं। तो इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन साल के आंकड़े बताये और यह आंकड़े नेग्लीजेबल हैं ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से जो आपकी धारणा थी वह खत्म हो गयी होगी।....

श्री भैरोंसिंह : चलो यह कह कर आपने इसको साफ कर दिया कि जिस समय से आप मंत्री बने हैं उसके एडवर्टाइज़मेन्ट्स घटा दिये और आपके पहले जो मंत्री थे उन्होंने १६ हजार के एडवर्टाइज़मेन्ट्स दिये, १९६१-६२ में और दूसरे वर्ष में २३०० रुपये के मिले और फिर उसके बाद और कम रह गये, तो फिर यह कन्टेन्शन साबित हो गया कि १९६१-६२ में जो दिये गये वे गलत थे।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने ये आंकड़े इसलिए बताये कि आपने पूरे आंकड़े नहीं दिये थे। आपने आगे दो-तीन साल के आंकड़े नहीं पढ़े थे इसलिए मैंने तो यह आपकी सूचनार्थ पढ़े।

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय अध्यक्षजी, एक बात और कही गई थी और वह चार्ज जो मेरे ऊपर लगाया था, उसको मैं मानता हूं। वह यह कि मैंने यह कहा था इस सदन में भी कहा था और मैंने हुकम भी दिया था कि जो होम मिनिस्टर या पब्लिक रिलेशन्स के मिनिस्टर हैं, उनके हुकम से या डी० पी० आर० के हुकम से जो एडवर्टाइजमेन्ट्स मिले हैं उनका पेमेन्ट मैं करूंगा। मगर जब मैंने फाइल मांगी और तीन-चार अखबार ऐसे हैं कि जिनके पुराने क्लेम्स थे। अब उनके ऑर्डर्स न तो डी० पी० आर० के थे और न होम मिनिस्टर के थे, फिर उसके बाद में लोगों ने कहा कि हमको तो एक्स-मिनिस्टर ने कहा, हमको तो 'वाई' मिनिस्टर ने कहा, हमको तो 'जैड' मिनिस्टर ने कहा और उनके कहने से छापा। क्योंकि पहले हमारी यह प्रणाली थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट देता था परन्तु अब हमने पूल सिस्टम कर दिया और अब सारे एडवर्टाइज़मेन्ट्स डी० पी० आर० के तहत आ गये। तो पहले हर एक मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट के एडवर्टाइज़मेंट देते थे और अब पूल हो गया। तो, उन मिनिस्टरों, ने कहा तो मैंने उन मिनिस्टरों से लिख कर पूछा और फाइल भेजी कि कृपा करके बतायें कि आपने एडवर्टाइज़मेंट दिया है ?

श्री भैरोंसिंह : वे मिनिस्टर कौन हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : सब विभागों के मिनिस्टर हैं।

श्री भैरोंसिंह : नाम क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : किसी ने ईरिगेशन का दे दिया, किसी ने एजुकेशन का दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : ये मिनिस्टर जिन्होंने एडवर्टाइज़मेंट दिया है वह उदयपुर डिविज़न के हैं क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : उदयपुर डिवीज़न के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं कि हर जगह के हो सकते हैं। उदयपुर डिविज़न के कम होंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ऑर्डर लिखित में दिया है या मुंह जुबानी दे दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : लिखित रूप में फाइल में कहा है कि हमने एडवर्टाइज़मेंट छपा दिया है विभाग का। उन्होंने ऐसा लिखा है तो मानना पड़ेगा। सेक्शन लिखी हुई आ गई तो पेमेन्ट कर दिया। जो पोइन्ट आपने उठाया था वह बहुत बड़ा बतंगड़ बनाने की चीज नहीं है। ये मामले उन्होंने कहे, बाकी कोई क्रिटिसिज़म नहीं हुआ था...

श्री भैरोंसिंह : डी० पी० आर० ?

श्री मथुरादास माथुर : डी० पी० आर० के बारे में कहा कि जांच नहीं हो रही है और आज अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे डी० पी०

(श्री मथुरादास माथुर)

आर० के खिलाफ कई इन्क्वायरियां चल रही हैं। डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कमिश्नर एन्क्वायरी रुक रही हैं। सदन में कई दफा जवाब दे चुका हूं। मैंने अपनी तरफ से एपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट को और कमिश्नर को लिखा है कि जल्दी से जल्दी एन्क्वायरी का फैसला हो। कई दफा इसके बारे में सदन में कह चुका हूं और वह एन्क्वायरी इत्तिफाक से क्या होता है, एन्क्वायरी करने बैठते हैं और दो महीने वह चलती है कि उस ऑफिसर का तबादला हो जाता है और दूसरा आ जाता है और एन्क्वायरी में बाधा पड़ जाती है इसलिए एन्क्वायरी कम्प्लीट नहीं हो पाई है।

इसके अलावा............

श्री भैरोंसिंह : अब तो एन्क्वायरी बिल्कुल ही बन्द हो गई।

श्री मथुरादास माथुर : उसमें यह टंटा पड़ गया है कि जो अभी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कमिश्नर एन्क्वायरी कर रहे थे उनका ट्रान्फसर हो गया और वे रोडवेज़ कार्पोरेशन के चेयरमैन बन गये और यह कहा जा रहा है कि जो मौजूदा एन्क्वायरी कमिश्नर हैं उन्होंने यह कहा कि जब वे होम सेक्रेटरी थे तब उन्होंने ही तो एन्क्वायरी इनीशियेट की थी। उन्होंने यह लिख कर भेज दिया कि वे खुद इस मामले में एक प्रोसीक्यूटर हैं इसलिए जज कैसे बन सकते हैं? यह भी सोचा गया कि रोडवेज कार्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं वे इसका भी काम करें और इस एन्क्वायरी को कम्प्लीट करें। मैंने यह कहा कि रोडवेज कोर्पोरेशन में इतना काम है कि वे एन्क्वायरी नहीं कर सकते हैं। अगर एन्क्वायरी का काम करेंगे तो रोडवेज़ की गाड़ियां नहीं चलेंगी और उनके एन्जिन बन्द हो जाय तो रोडवेज़ कोर्पोरेशन के मिनिस्टर की हैसियत से भी मैंने कहा कि उनका वह काम भी ज्यादा जरूरी है। फाइल चल रही है जब आदमी मुकर्रर होगा तो हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : इतना समय क्यों लिया? अपॉइन्टमेंट में आने के बाद एक वर्ष का समय ले लिया। श्री सी० एस० गुप्ता के अपॉइन्टमेंट के क्वेश्चन को लेकर आपने कहा है तो उन्होंने जिस समय लिखा है वह बहुत समय हो गया जिस समय कि गुप्ता का अपोइन्टमेंट हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत लम्बा समय नहीं हुआ है। रोडवेज़ कार्पोरेशन निकला था, नवम्बर में और दिसम्बर में चार्ज लिया है और दिसम्बर के बाद जनवरी फरवरी, मार्च तीन महीने हुए हैं। ज्यादा लम्बा समय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जांच किस स्टेज पर है। कोई चार्जशीट दी गई है?

श्री मथुरादास माथुर : इस स्टेज पर है कि अपाइन्टमेंट डिपार्टमेंट ने यह लिखा है कि रोडवेज़ कोर्पोरेशन के चेयरमैन ही उसकी इन्क्वायरी करें। मैं मिनिस्टर रोडवेज़ कोर्पोरेशन की हैसियत से कह सकता हूं कि उनको मैं स्पेयर नहीं कर

Page No.117

(श्री मथुरादास माथुर) :

सकता हूं। उनके पास इतना टाइम नहीं है। मैं इस काम को प्रायोरिटी दूंगा। बात चल रही है तो दूसरा आ जायेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मूल बात है कि जब से ये चुन कर आये हैं माथुर साहब, पहले एम० पी० थे, तब से यह मामला चल रहा है और इस सदन में हर साल आता है, लेकिन यह इस बात से बढ़ता जा राह है कि ये सीरियस नहीं है। इसे आपको सीरियसली लेना चाहिए। अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट में वे कागज घूमते रहें और एक अफसर के बारे में नो साल तक निर्णय नहीं हो सकें और वह आदमी वहां बना रहे तो न तो वह उस आदमी के लिए अच्छा है और न सरकार के लिए ही अच्छा है और न इस सदन के लिये।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने ५८-५९ में जब इस विधान सभा के सदस्य थे, तो वे जनलेखा समिति के सदस्य थे और जनलेखा समिति अपनी राय जाहिर करें जिसके वे सदस्य हों कि डी०पी० आर० के खिलाफ इन्क्वायरी की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह ध्यान में आ गया तो जवाब भी नहीं देंगे उस चीज का।

श्री मथुरादास माथुर : जब तक कार्यवाही पूरी नहीं होती है तो इस बात की कोशिश करेंगे....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि डे टू डे इन्क्वायरी चलाई जायेगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने तो यह कहा था कि मैंने अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट को लिखा है कि कमिश्नर, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी डे-टू-डे इन्क्वायरी करके कार्यवाही जल्दी खत्म करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बतायें कि किस तरह की इन्क्वायरी हो रही है? सभी ट्रान्जेक्शन्स पर हो रही हैं या एक-दो मुद्दों को लेकर कर रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : अलग-अलग प्रश्न पर अलग अलग चार्ज शीट है उसकी अलग-अलग इन्क्वायरी हो रही है। अभी बम्बई में एग्जीबिशन हुई है वह और ऐड हो गई है एक दो।

श्री अध्यक्ष : एक-दो पर कन्सेन्ट्रेट करके निर्णय नहीं लिया जा सकता क्या?

श्री मथुरादास माथुर : वे सभी चल रही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस केस में प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी होकर फिर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी शुरू हुई है, वह फैक्ट है ना?

श्री अध्यक्ष : वे चार्जशीटेड हो गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : ऐसे आदमी को सस्पेन्शन में रख दिया जाय जो कि बार-बार घोटाले करता है ।

श्री अध्यक्ष : सस्पेंड करने से समस्या का हल नहीं होता है, लेकिन एक दो चार्जशीट को लेकर उनको पर्स्यु किया जाय, औरों को छोड़ दिया जाय और एक-दो मुद्दों को लें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो आरोप और एड हो गये हैं । जब कि एक आदमी का चरित्र इस प्रकार का हो जिसके बारे में पहले ही सन्देह हो, तो उसके हाथ में इतनी ऐडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर रखा जाना, यह कहां तक उचित है जनहित में ? फिर क्यों नहीं सस्पेंड उसको किया जाये; अगले साल दो और जुड़ जायेंगे । आप हटा नहीं सकते । आपकी चलती नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न यह नहीं, प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इस सदन में...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके इस ऑफिसर के लिए अपोइन्टमेंट में ४२० और ४१६ के अन्दर पुलिस ने, एन्टी-करप्शन ने और विजिलेन्स ने लिखा है कि इसका चालान होना चाहिए । आपके डिपार्टमेंट से यह क्यों नहीं हुआ कि वह पुलिस को कह कर केस क्यों नहीं चलवा देती है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जब आपने इस सदन में यह कहा कि डिपार्टमेंटल कमिश्नर को लिख दिया है कि डे टू डे इन्क्वायरी कर ली जाय, तो सदन यही मानता है कि जब आपने लिख दिया है तो आपका लिखना तो कोई प्रार्थना करना तो है नहीं । आपका लिखना एक आदेश है, और आपकी यह ड्यूटी है कि यदि कोई आदेश देते हैं तो उस आदेश का पालन करवाया जाय, लेकिन आप उस आदेश का पालन करवाने में असमर्थ रहें....

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल नहीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने आश्वासन दिया कि डे-टू-डे इन्क्वायरी हो लेकिन वह इन्क्वायरी बिल्कुल बन्द हो गई है । यदि डे-टू-डे इन्क्वायरी होती तो आज तक वह इन्क्वायरी कम्प्लीट हो जाती, लेकिन सी० एस० गुप्ता के आने के बाद टैक्निकल ऑब्जेक्शन हुआ कि होम सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने आब्जर्वेशन किये हैं और तीन महीने से यह खींचतान हो रही है कि कौन ऑफिसर इसकी जांच करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बड़े ऑफिसर के खिलाफ वास्तव में इन्क्वायरी करने की इच्छा न हो तो उसको ड्रॉप कर दें और आप यह कह दें कि जब तक यह सरकार और सुखाड़िया जी हैं और माथुर साहब नर्मदिल रखते हैं और डरते है कि कहीं बाहर शंट आउट कर दिये जायें, इस तरह का खतरा आपको है और डी० पी० आर० की इन्क्वायरी नहीं करा सकते हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार डी० पी० आर० की इन्क्वायरी को ड्राप कर दें । अन्यथा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आप एक अधिकारी को नियुक्त करें, जो वास्तव में डे-टू-डे इन्क्वायरी करें, जिसका कि आपने आश्वासन दिया था। इस तरह का एक अधिकारी जो कॉम्पीटेन्ट हो, उसको मुकर्रर करें और विदिन वन मन्थ वह इन्क्वायरी खत्म होनी चाहिए और रिअली डे-टू-डे इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे और घोटाले हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने यह...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब ऑफिसर्स परेशान हैं कि इन्क्वायरी करके करें क्या? कोई एक्शन तो होता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी यह कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। मुझे याद है कि पी. एस. सी. के मेम्बर श्री आहुजा ने जांच की और उनके खिलाफ लिखा। फिर श्री सी. एस. गुप्ता होम सेक्रेटरी बने तब उन्होंने इनके खिलाफ लिखा। उनके बाद फिर जोरावरसिंह झाला होम सेक्रेटरी बने, तब उन्होंने इनके खिलाफ लिखा। इन तीन अधिकारियों को जांच करने का आदेश सरकार ने दिया था और उन्होंने जांच की और तथ्य प्रकाश में लाये और बाद में सरकार ने उनको चार्जशीट दी। यह जो कह रहे हैं कि अफसर अपोइन्ट करने में डिले कर रहे हैं यह डिले तो करवाई जा रही है। राजस्थान में एक भी अधिकारी ऐसा नहीं होगा जिसको चार्जशीट दी गई और उसने जवाब नहीं दिया हो। लेकिन डी. पी. आर. को चार्जशीट दी गई और उसने ७ महीने का अर्सा निकाल दिया कि जवाब दूंगा, बाद में भी जवाब नहीं दिया। यह आदमी चीफ मिनिस्टर को भी जैसा मेनुपलेट करना चाहे वैसा कर देता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री सी. एस. गुप्ता ने यह नहीं कहा कि मैं पहले ऑब्जर्वेशन दे चुका हूं इसलिये इन्क्वायरी नहीं करना चाहता, बल्कि उन्होंने यह कहा कि मैं तो इन्क्वायरी कर चुका हूँ और अपनी फाइन्डिंग्ज दे चुका हूं, रोज-रोज क्या इन्क्वायरी करना? आप, माथुरसाहब, रामरतन कोचर को जेल में धर सकते हो, डी. पी. आर. को सस्पेन्ड नहीं कर सकते। बेकार है माथुर साहब, बुशशर्ट पहन कर यहां चले आते हो; कुछ करो तब जानें। एडवर्टाइज़मेन्ट के लिये झगड़ा हुआ तो कह दिया रूल्स बना दिये, एडवाइज़री बोर्ड बना दिया, क्या होता है एडवाइज़री बोर्ड और उसके मेम्बर बना देने से....

श्री अध्यक्ष : पहले वाले का तो जवाब ले लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : इतनी बातें कही गईं कि मैं सब भूल गया। मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय कि जो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी शुरू की थी डे-टू-डे हियरिंग के बारे में मैं कह चुका हूं। उसके बाद क्या करना है मैं हाउस को कॉन्फीडेन्स में लेने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइमाफेसी केस बनने के बाद इन्क्वायरी की और रिपोर्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

एडवर्स आई, तब डिपार्टमेन्टल कमिश्नर के पास भेजा। इन्क्वायरी का तरीका है, उसके लिये कानून बना हुआ है उसके हिसाब से कमिश्नर फोर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज़ इन्क्वायरी कम्प्लीट करेंगे और उस पर यदि हम एक्शन नहीं लें तो आप फरमावें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार्ज शीट के बाद आप उसको सस्पेन्ड कर सकते थे। डी. पी. भार्गव को कैसे किया ? जिसके बारे में पी. एस. सी. कहती है, सारा सदन कहता है, कांग्रेस और अपोजीशन के मेम्बर कहते हैं कि इसको सस्पेन्ड करना चाहिये उसको आप सस्पेन्ड नहीं कर सकते ?

श्री मथुरादास माथुर : यदि सस्पेन्शन वोट से हो सकता तो कर देता....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि इस सदन के अधिकतर सदस्य चाहते हैं कि सस्पेन्शन हो तो कंसेसस ओपीनियन ऑफ दी हाउस को देखते हुए सस्पेन्ड कर देना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं एक माननीय सदस्य के कथन का आदर करता हूं, लेकिन जो इन्क्वायरी और सस्पेन्शन कानून के अन्तर्गत होना है वह कानून के अनुसार ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह रिट में हट जायगा और सदन बैठा रहेगा।...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या लॉ मिनिस्टर की हैसियत से आप कह सकते हैं कि जिसको चार्जशीट दिया गया है और जिसके खिलाफ इन्क्वायरी पेंडिंग है उसको आप सस्पेन्ड नहीं कर सकते ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि जो चार्जेज़ उनके खिलाफ आये हैं वे सस्पेन्शन के चार्जेज़ नहीं आये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप स्वयं कह रहे हैं कि अभी बोम्बे की बात और एड हो गई। इस प्रकार का घपला बराबर चल रहा है तो भी वह सस्पेन्ड नहीं होना चाहिये क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : कहीं पर मोरल टर्पीट्यूड हो, पैसे में गड़बड़ी कर सकते हों या इस तरह के और मामले हों तो राज्य सरकार बड़े से बड़ा कदम लेगी, लेकिन ऑडिट ओब्जेक्शन वगैरह के कुल मिला कर १२-१३ चार्जेज़ हैं उनको देखते हुए, मैं भी अनुभव करता हूं कि डिपार्टमेंटल हैड के खिलाफ इन्क्वायरी चले तो वह गुड्स डिलीवर नहीं कर सकता, यह मैं भी मानता हूं, लेकिन किसी आदमी को खाली कहने से सस्पेन्ड किया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : पी. ए. सी. की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि उन्होंने फंड्स को खुद के स्वार्थ के लिए मिसयूज किया, पी. ए. सी. के सामने झूठ बोले, फोर्ज्ड अकाउन्ट्स बनाये, जालसाजी की। यह सब पी. ए. सी. की रिपोर्ट में लिखा है। आप इस प्रकार का वर्डिक्ट देकर पी. ए.सी. की रिपोर्ट सेंक्टिटी को समाप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूं, ऐसा आदमी जिसने फंड्स का मिसयूज़ किया है और कई प्रकार

(श्री भैरोंसिह)

की गड़बड़ियां की हैं उसको आप अनड्यू प्रोटेक्शन दे रहे हैं। या तो आप यह कहिये कि उसको सस्पेन्ड करने की आपकी इच्छा नहीं है या आपमें ताकत नहीं है, उसको सस्पेन्ड करने की, क्योंकि वह आपके ऊपर बैठा हुआ है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : एक प्रश्न और है ! मंत्रीजी ने बताया कि काफी लंबे अर्से से इनके खिलाफ शिकायत चल रही हैं और कई आरोप लगाये गये हैं। मंत्रीजी ने यह भी बताया कि कई ऑफिसर्स ने इन्क्वायरी भी की है और उनकी रिपोर्ट्स भी आई हैं। कई तथ्य माननीय सदस्यों ने भी रखे हैं उसके बावजूद भी आप एक बात बता दीजिये, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की फोर्मेलिटीज हैं उनको कंपलीट करिये, लेकिन, कम से कम टाइम फिक्स करके बता दीजिये कि इतने टाइम में इन्क्वायरी कम्प्लीट कर देंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने सुना है कि इंग्लेंड और अमेरिका जाने की उनको इजाजत दे रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा खयाल है, माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं और मैं उस वक्त कह रह था कि जो इन्क्वायरी करने वाले अफसरान इन्क्वायरी करते हैं उनको नोटिस देना पड़ता है, उसका जवाब होता है, फिर एविडेन्स होती है, एविडेन्स चल रही हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : Lame excuses.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : छोटे-छोटे मामलों में चार्ज शीट के बिना ही सस्पेन्ड कर देते हैं ...

श्री भैरोंसिंह : बीकानेर के डी आई. जी. पी., भार्गव को बिना चार्जशीट के आपने सस्पेन्ड कर दिया, उनको पता भी नहीं था, जिस समय आप होम मिनिस्टर थे, टेलीफोन पर उनको सस्पेन्ड कर दिया। बाद ने कन्फर्म किया। हालांकि बाद में उनको रीइन्सटेट करना पड़ा, सुपरटाइम स्केल भी दी। एक आई. पी. एस. ऑफिसर को बिना चार्ज शीट के सस्पेन्ड कर देते हैं और इनके खिलाफ इतने चार्जेज़ होते हुए भी सस्पेन्ड नहीं कर सकते और कहते हैं कि सस्पेन्ड कर दिया तो हाई कोर्ट में चले जायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हाई कोर्ट में चले जायं और वहां से एडवर्स रिमार्क्स हो जायं, तो भी यह हाउस टोलरेट कर लेगी। लेकिन इनके खिलाफ कौनसे अधिकारी ने नहीं लिखा ? राज्य के चीफ सेकेट्री ने खिलाफ लिखा. होम सेकेट्री ने खिलाफ लिखा, सो मेनी सेकेट्रीज़ ने खिलाफ लिखा, सी. ए. सी. ने खिलाफ लिखा; फिर भी आप सस्पेन्ड करने को तैयार नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहस नहीं करें। उत्तर देना है तो दें।

श्री मथुरादास माथुर : ये मेरे आखिरी शब्द थे। सदन में जो विचार

(श्री मथुरादास माथुर)

प्रकट किये गये उनका मुझ पर असर पड़ा है ।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां कोई अफसर नहीं मिले तो अमेरिका में किसी को अपोइन्ट कर दीजिये और इनके साथ ही कागजात भेज दीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी जानकारी की कद्र करता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस मामले में जो जांच हो रही है, उसको कम्प्लीट करा कर कुछ ऐसे कदम उठाये जायं जिनकी वजह से आप लोगों को संतोष हो सके ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मंत्रीजी का सम्बन्ध जेल से भी है । जयपुर जेल में काफी गड़बड़ हुई थी । आपने भी आंसू बहाये थे । एक सरदार साहब की डाढ़ी उखड़ गई थी । वहां का एड्मिनिस्टेशन खराब हो रहा है । मैं चाहता था कि काफी तैयारी करता, लेकिन समय नहीं मिलने से नहीं कह सका....

श्री अध्यक्ष : आपने तो बोल ही दिया ।

श्री मथुरादास माथुर : इस बारे में मैं स्टेटमेंट दे चुका हूं ।

श्री अब्दुलजब्बार : स्टेटमेंट ऐसा दिया....

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि इस सदन में अधिकतर माननीय सदस्यों ने जहां तक सोशियल वेलफेयर विभाग का ताल्लुक है, उसके सिलसिले में कहते हुए अपने विचार उन्होंने व्यक्त किये, जिन्हें सुन कर मुझे खुशी भी हुई और कुछ हैरानी भी । यह पहला मौका है, इस सदन में इन तीन सालों में, जो मैंने माननीय सदस्यों को इन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के ऊपर आंसू बहाते देखा ।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं आपकी मेमोरी रही है, आप मीखाभाई से इलाज करावें ।

श्री मथुरादास माथुर : आपने यह कहा है, "आंसू बहाते इस बार देखे हैं।" पहले मुंह-मुंह में रोते थे, इस बार आंसू भी बहाये हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : बात यह है कि जादू वह, जो सिर पर चढ़ कर बोले ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह बात कही है !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो बोल गये ।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, अभी ज्यों ज्यों दिन और आयेंगे माननीय सदस्य जो उधर सामने बैठे हैं, इन बातों पर ज्यादा उनका तजकिरा हुआ करेगा और होना चाहिए भी, क्योंकि अभी इलेक्शन में कुछ...

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : रिजर्वेशन हटा दें।

श्री बालकृष्ण कौल : तजुर्बा हुआ कि वे किस तरीके से, कौनसे तरीकों से वहां जायं गावों में और किन-किन जातियों के ऊपर वे हाथ फेरें....

श्री भैरोंसिंह : इधर उधर की बात रहने दें। आप तो मुद्दे पर आ जायं। मुद्दे को भूल जायेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : सुन लीजिये !

श्री भैरोंसिंह : सुन लिया है काफी। बाकी आप मुद्दे की बात करें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं बैठ जाऊं। मैंने घंटे, सवा घंटे आपकी बात शांति से सुनी !

श्री भैरोंसिंह : मैंने तथ्यों की बात कही थी। आप बिना तथ्यों की बात कह रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं वही कह रहा हूं जिसे आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं सुन रहा हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर रहा था कि गांधीजी का नाम भी इनके मुंह से निकला। तो गांधीजी का नाम आया और गांधीजी के अनुयायी आप हुए। और सब कुछ गांधी को बीच में लाकर इन जातियों के ऊपर बातचीत की। और इस किस्म से अपना केस बना कर रखा कि जो कुछ जुल्म किया है वह इस हुकूमत ने किया है, जितनी तक्लीफें हुई हैं वे सब इस हुकूमत के कारण हुई हैं। इस डिमाण्ड पर जितना मिला हुआ था और उसमें जितनी कमी हुई वह हुकूमत के कारण हुई। लेकिन माननीय सदस्य यह भूल गये कि जो रुपये की कमी हुई वह इस डिपार्टमेंट की ही नहीं हुई है। वह जिस वक्त कोर ऑफ प्लान हुआ वह सारे डिपार्टमेंट का हुआ। लेकिन जिस रोशनी में माननीय सदस्यों ने इस केस को रखना चाहा वह इस तरह रखा चाहा कि लोग यह समझें, अगर इस जाति के साथ जुल्म हुआ है, इसकी तरक्की में रुकावट हुई है–तो वह जिस हुकूमत के कारण हुई है, वह कांग्रेस हुकूमत है....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है, बजट में जितना पसा था वह खर्च नहीं किया। नौकरियों में पर्सेन्टेज नहीं दिया और जो नौकरी में हैं उनको तंग किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब देने दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : सुनें ! सुनें। आप बहुत बोल चुके हैं।

मैं माननीय सदस्यों ने निवेदन करूंगा कि इसी हुकूमत के जमाने में पर्सेन्टेज बंधा है और पर्सेन्टेज हुआ है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका पर्सेन्ट तो नहीं बंधा ?

श्री बालकृष्ण कौल : अगर कहीं कमी हो गई हो, तो उसका कारण हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मानते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि जो तकलीफें हैं वे नहीं मिटती हों। कुछ मामलों में यह हो सकता है। मैं अलग-अलग केस के लिए नहीं कह सकता हूं। मैं जनरल बात कह रहा हूं, इस हुकूमत के जमाने की। यह हुकूमत वेडेड है, प्लेज्ड है इस बात के लिए, इन जातियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये जातियां जो सदियों से पिछड़ी हुई थीं, इनको बराबर का रुतबा दिया वह किसने दिया....

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस ने।

श्री बालकृष्ण कौल : बराबर का हक किसने दिया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): कांग्रेस ने !

श्री जयनारायण सालोदिया : समय ने !

श्री बालकृष्ण कौल : यह समय किसने पैदा किया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस ने !

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं...

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम शायद आपने सुना होगा !

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री बालकृष्ण कौल : यह अम्बेडकर को नाम दिया तो किसने दिया ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस ने !

श्री बालकृष्ण कौल : अम्बेडकर को नाम दिया तो कांग्रेस ने दिया और किसी ने नहीं दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस को किसने बनाया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : (श्री जयनारायण सालोदिया से) आपको किसने बनाया ? वह भी कांग्रेस ने।

श्री जयनारायण सालोदिया : कांग्रेस को हमने बनाया है, हमने !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कांग्रेस के सदस्यों ने मान लिया है कि इन राजाओं को कायम रखा है तो वह कांग्रेस ने रखा है।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य को बनाया तो किसने बनाया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस ने !

श्री बालकृष्ण कौल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब अजमेर की हुकूमत थी...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस को बनाया हुकूमत ने !

श्री बालकृष्ण कौल : राजाओं की हुकूमत थी तो भीम के इलाके में रोजाना किस्से होते थे। वे किस बात के ? गले में चांदी की हंसली पहिन ली, पैरों में कड़े पहिन लिये तो वह बर्दाश्त नहीं हो सकता था, इस तमाम को देखना। लेकिन यह अजमेर में नहीं होता था, क्योंकि वह आगे बढ़ा हुआ था। इन रियासतों में होता था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर में सब बातों की छूट थी। अजमेर का क्या सवाल है !

श्री बालकृष्ण कौल : इनको किसने खत्म किया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस ने !

श्री बालकृष्ण कौल : वे ढोल नहीं पीट सकते थे, घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे। तो माननीय सदस्य हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक वक्त आयेगा जब आप यह महसूस करेंगे कि आपको इन्सान बनाया, आपको इन्सान समझा तो कांग्रेस ने !

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं नहीं। आप कतई गलत बात कह रहे हैं हाउस में। आज भी हरिजनों के कांग्रेस राज्य में (घण्टी) नाक कान काट जाते हैं और पुलिस में हरिजनों की पिटाई होती है। (घण्टी) आज भी हरिजनों के नाक-कान काटे जाते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह....

श्री राधाकृष्ण गोयल : संविधान है, वह संविधान सबके लिए मान्य है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह नहीं कह सकते कि आज ऐसा नहीं होता है। आज जो गरीब हैं उनके ऐसे कितने ही उदाहरण दे सकता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे यह मालूम है कि आज जो कुछ होता है और जिनके हाथों से नाक-कान काटे जाते हैं वे कांग्रेस वाले नहीं होते....

श्री जयनारायण सालोदिया : कांग्रेस वाले हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : खैर ! अगर आप इतने ना-शुक्र हैं तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय...

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा राम गढ़) : आपसे व्यवस्था नहीं होती है और यह सब होता है। आपके सामने बार बार ऐसे उदाहरण रखते हैं, लेकिन आप इतने निकम्मे हैं कि...

श्री हरिराम चारू (सिवाना) : हाय! हाय !

श्री बालकृष्ण कौल : खैर ! तालाब में हर किस्म की मछली होती हैं। अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह चीज इस किस्म से रखी गई, इस

(श्री बालकृष्ण कौल)

रोशनी में रखी गई जिससे यह मालूम हो कि इस जाति के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मैं मानता हूं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक किस्सा रखा, हो सकता है, वह ठीक हो। बावजूद इसके कि कानून बना बना है, उनको तकलीफें हों – यह हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो चीजें सदन के सामने रखी हैं, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे उन पर विचार करें....

श्री भैरोंसिंह : मैं विचार करूं या आप करेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं तो विचार कर ही रहा हूं। मैं आपको यह निवेदन करूं कि यह कहना कि जितना सोशल वेल्फेअर बोर्ड्स के लिए रुपया रखा गया था वह खर्च नहीं हुआ, गलत है; मैं समझता हूं कि मैं माननीय सदस्य को उसके आंकड़े दे दूं, यदि वे जानकारी करना चाहें....

श्री जयनारायण सालोदिया : सारा का सारा तनख्वाह पर खर्च हुआ है।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर आप मान लेते हैं तो....

श्री भैरोंसिंह : आप बताइये !

श्री बालकृष्ण कौल : साहब ! ६२६.७८ टोटल इतने लाख रुपये रखे गये थे, १९६१–६२ से लेकर १९६५–६६ तक...

श्री भैरोंसिंह : सैकिंड फाइव ईयर प्लान में ?

श्री बालकृष्ण कौल : थर्ड में !

श्री भैरोंसिंह : थर्ड में ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां, और इसके अन्दर से खर्च होगा वह है ५५६.५५ लाख रुपये। यह जो खर्चा है यह कोर ऑफ प्लान से ज्यादा पड़ता है। इसी तरीके से माननीय सदस्य से कहूंगा कि...

श्री भैरोंसिंह : आपके फिगर्स चैक करा लें कि सही हैं या नहीं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं जब आपको..

श्री भैरोंसिंह : आपके प्लान में ३२५ लाख रखा है और आपने ६०० लाख बता दिया।

श्री बालकृष्ण कौल ; सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड का भी इसमें है।

श्री भैरोंसिंह : जो प्लान में रखा है उसके फीगर्स दे दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : टोटल धनराशि जो इसमें खर्च होगी....

श्री भैरोंसिंह : आप फिगर्स बतायें, जो थर्ड फाइव ईयर प्लान में और सैकिंड फाइव ईयर प्लान में रखा था, उसमें से कितना खर्च हुआ है ?

श्री बालकृष्ण कौल : सुनिये। अगर आप उस तरह देखें तो टोटल ९७ परसेन्ट खर्च होता है १९६१–६५ के अन्दर !

श्री भैरोंसिंह : आप फिगर्स बताइये !

श्री बालकृष्ण कौल : टोटल एलॉटमेंट बताया !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे (श्री भीखाभाई) आपको कागज पकड़ायें और आप भाषण दें। यह हमारे यहां आदिवासियों का शोषण होता है। वे सोशल वेल्फेयर के मिनिस्टर हैं, उनको बगल में ले रखा है। वे कागज पकड़ा रहे हैं और आप भाषण दे रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह : बेगार ले रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बेगार ले रहे हैं। यह सागड़ी प्रथा इस हाउस में भी शुरू हो गई है।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य को ईर्ष्या होने लग गई। वे मेरी बगल में किसी को देख नहीं सकते !

श्री मथुरादास माथुर : बहुत अच्छा रहा जवाब !

श्री बालकृष्ण कौल : मिनिस्टर हैं तब तक बुरा जरूर लगेगा !

श्री भैरोंसिंह : आपने किसी हरिजन को अपनी बगल में नहीं लिया।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री को नहीं, बगल में किसी और को लें।

श्री मथुरादास माथुर : रखेंगे। रखेंगे !

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर रहा था !

एक माननीय सदस्य : मुझे खुशी है आपने बगल से हरिजन को लिया !

श्री बालकृष्ण कौल : आप जाति से तो नहीं निकाल देंगे ?

तो मैं यह अर्ज कर रहा था, एग्रीकल्चर में २३ से १९.१० रह गया, इसी तरह कोऑपरेटिव को देखिये। २३९ का हमारा प्लान था, जिसमें २०८ करोड़ ९७ लाख रहा। कोर ऑफ प्लान आप देखें तो टोटल हमने कितना खर्च किया, यह मैं आपको बता देता हूं।

मैंने आपसे यह अर्ज किया ओरीजिनल तो सोशियल वेलफेअर में ४० लाख रखा बौर बैंक वर्ड क्लासेज़ के ३२५। इसका रिवाइज़्ड २५४.४० रहा। और अब सोशियल वेलफेयर १९.२५ और वेलफेयर बोर्ड १७३.'३८; इसके अलावा सेन्टर का....

श्री भैरोंसिंह : आप सेन्टर को छोड़ दीजिये।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आपने कुल खर्चा किया वह बता दें ?

श्री मथुरादास माथुर : किस विषय पर पूछते हैं आप इनसे।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने आपको नॉन प्लान का १७९. ६५ लाख...

श्री भैरोंसिंह : खर्चा हुआ।

श्री बालकृष्ण कौल : हां।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल गलत आंकड़े दे रहे हैं। टोटल एक्सपेन्डीचर है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : ६५–६६ का है।

श्री भैरोंसिंह : टोटल एक्सपेन्डीचर १७५.३८ लाख एक्सपेक्टेड है।

श्री बालकृष्ण कौल : प्लान में है ३६९.९० लाख। मैं आपको सोशियल वेलफेग्रर के सारे खर्चे बता रहा हूं। ३६९.९०....

श्री भैरोंसिंह : नहीं हैं। गलत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वे तो सारे फिगर्स दे रहे हैं, दफ्तर से इक्ट्ठे करके दे रहे हैं। आपके पास कौनसा नौकर है जो सही फीगर्स रखता हो। यह गलत है जो आप कह रहे हैं। सरकार के पास नौकर हैं और सरकार सही फिगर्स दे रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल गलत फिगर्स दे रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): समाज कल्याण में क्या हो रहा है ? दो दो मंत्री जवाब दे रहे हैं, फिर, भी गलत फिगर्स बता रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : आप ही सही कह दीजिये। मेरे हिसाब से तो ९७ पर्सेन्ट खर्चा हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगावें कि इसमें कितनी सत्यता है। ३२५ लाख का प्लान रखा और कुछ कोर में चले गये और १७५.३८ लाख खर्च हुआ। आप ९७ पर्सेन्ठ बता रहे हैं। यह ९७ पर्सेन्ट कैसे हुआ।

इस साल का सही एक्सपेन्डीचर १७५ और २५४ लाख का कोर में था। अब ज्वालाप्रसादजी आप बता दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बताता हूं कि ९७ पर्सेन्ट है।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य बाद में बता दें कि...

श्री अध्यक्ष : इस बात को यहीं छोड़ दूसरी बात को शुरू करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रोग्रेस रिपोर्ट में आंकड़े दिये हैं, उसमें साफ दिया हुआ है २९.६३ पर्सेन्ट खर्च किया है। बेकवर्ड क्लासेज के लिए ३२५ करोड़ आपने रखे थे वे २५४.४० रहे। सोशियल वेलफेयर में ४० लाख में से २०.६५ लाख खर्च किये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो कन्फ्यूजन हो रहा है वह इसलिए हो रहा है कि सोशियल वेलफेअर में ६१–६२, ६२-६३, ६३-६४, ६४–६५ और ६५–६६ के जो आंकड़े दे रहे है और आप जो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हैं, मगर यह हमारी स्टेट का खर्चा, इसमें

(श्री मथुरादास माथुर)

जो प्लान, नोन प्लान्ड, प्लान स्टेट और प्लान सेन्टर एन्ड देन टोटल, जिसमें प्लान और नोन प्लान हैं । एलोकेशन, प्लान, नोन प्लान, स्टेट एज़ वेल एज़ सेन्टर है। ६१ – ६२ में १३५.८० एलोकेशन था। एक्सपेन्डीचर १०८.६३.

इसी तरह से ६२– ६३ का १२२.२६ एलोकेशन और एक्सपेन्डीचर ८६.९२

इसी तरह से टोटल प्लान अप टू दी एण्ड ऑफ ६५-६६ :

टोटल नोन प्लान एलोकेशन :

सन् ६१- ६२	२०६.१४
प्लान	२०६.००
प्लान सेन्टर	१९८.३९
टोटल एलोकेशन	६२६.७८
इसके अगेन्स्ट में नोन प्लान	१८०
प्लान	३६०.९०
टोटल	५५६.५५

इसलिये ६२६.८८ टोटल एलोकेशन

सोशियल वेल्फेअर डिपार्टमेंट के लिए प्लान का सेन्टर एज़ वेल एज़ स्टेट का ५५६.५५ खर्च मिल कर करीब करीब ९० परसेन्ट हो जाते हैं। इसलिए ये आंकड़े जो दिये गये हैं वे ठीक हैं। श्री रामानन्दजी पढ़ रहे है, आप स्टेट के आंकड़े पढ़ रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अलग अलग स्टेट के और सेन्टर के बतावें ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री स्टेट स्पोन्सर्ड का कितना और सेन्टर स्पोन्सर्ड स्कीम का कितना परसन्टेज है अलग अलग बता दें।

(विराम)

अब वित्त मंत्री दूसरी बात करें। इसको छोड़ दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रश्न पर वित्त मंत्रीजी बोल रहे हैं, वित्त मंत्रीजी को बोलते बोलते इतना इन्टरप्ट करते हैं जितना दूसरे किसी को इन्टरप्ट नहीं किया जाता है। हमारे प्लानिंग मिनिस्टर फिर बोलेंगे, वे अपनी बात बोलेंगे। आप आगे बढ़ते हैं तो वह खड़ा हो गया और वह खड़ा हो गया। इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रकार जो हो रहा है उसको मैं गलत समझता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल : आपने बताया कि स्टेट एलोकेशन कितना है। स्टेट प्लान में लिखा है, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का रुपया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप रिपोर्ट उनको दे दें।

श्री बालकृष्ण कौल : प्रश्न यह था कि जितना रुपया हमारे पास था सोशियल वेलफेयर में खर्च करने के लिए उसमें हमने कम किया, लैप्स किया, यह हम पर चार्ज था। अब आप कहते हैं कि स्टेट का कितना था, यह गलत बात है।

(५. ०० म० प०)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ये सब फिगर्स गलत हैं....

श्री अध्यक्ष : अभी तो और अहमियत की बातें आने वाली हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We challenge the figures.

श्री अध्यक्ष : इसे यहीं रहने दें, दूसरी बात पर आइये।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो फिगर्स दिये हैं गलत हैं। मैं सदन में प्रमाणित कर सकता हूं कि ये फिगर्स गलत हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आपको शंका हो तो मैं एक एक फिगर को अलग अलग बता सकता हूं....

श्री भैरोंसिंह : तो फिर बताइये न, यही तो हम कह रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं सारे डिपार्टमेंट्स की वहियां लेकर नहीं आया हूं। टोटल फिगर्स हैं, जिसके लिये आपने आरोप लगाया था कि लैप्स किये हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो चार्ज अब भी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ भी कहेंगे तो चार्ज लगायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैंने चार्ज यह लगाया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये ३२५ लाख रुपया रखा था, उसमें से १७५ लाख ही खर्च किया स्टेट प्लान में। यह मेरा चार्ज सही है या नहीं, बस इसका उत्तर आप दीजिये।

(कुछ क्षण मौन)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं मन्त्री महोदय, अब किसी दूसरे विषय पर आयें तो ठीक हो।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य ने जो फिगर्स रखे हैं वे मेरे फिगर्स से डिफर करते हैं। मैं अपने फिगर्स रख रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : बैकवर्ड क्लासेज़ के लिये जो स्टेट प्लान में प्रावधान रखा गया था उसमें से कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : सोशियल वेल्फेअर का ४० लाख है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : सोशियल वेलफेअर का नहीं, बैकवर्ड क्लासेज के लिये जो स्टेट प्लान में रखा गया था वह बताइये।

श्री बालकृष्ण कौल : बैकवर्ड क्लासेज के लिये ३२५ लाख; दोनों का टोटल ३६५ लाख है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : सोशियल वेलफेअर का छोड़ दीजिये....

श्री भैरोंसिंह : ३६५ लाख में से १८६ लाख खर्च हुआ तो बाकी का लैप्स हो गया न।

श्री बालकृष्ण कौल : सेन्ट्रल स्कीम में १०९ ज्यादा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : सेन्ट्रल स्कीम में हंड्रेड पर्सेन्ट ज्यादा हो गया; स्टेट प्लान में कम हुआ, इसलिये कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात स्वीकार कीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : स्टेट का जितना था उसमें ७५-७६ पर्सेन्ट हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह रोग है।

श्री बालकृष्ण कौल : बाकी में ९० पर्सेन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह ८० पर्सेंट आता है, आपका ४० पर्सेन्ट भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय की चर्चा चर्चा छोड़ दें, अब दूसरे विषय पर आयें।

श्री बालकृष्ण कौल : बहस इसलिये हो रही है कि इसके बैंक ग्राउन्ड में और चीज है; वे नहीं चाहते कि जो कुछ उन्होंने कहा है; वह रिवट हो। वे यह दिखाना नहीं चाहते कि इन पिछड़ी जातियों पर कितना लाखों-करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। वे यह जाहिर नहीं होने देना चाहते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : That is quite wrong.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नौकर की तनख्वाह ४० और मालिक की तनख्वाह ४०००; नौकर से पूछा कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह, तो उसने जवाब दिया कि ४०४० रु०। इसी तरह का मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे है कि सेन्टर का और हमारा मिला कर ८० पर्सेन्ट है। वे अलग से स्टेट प्लान का नहीं बताना चाहते, क्योंकि वह कम है!

श्री बालकृष्ण कौल : खैर, समझने वाले समझ गये।

श्री भैरोंसिंह : समझ गये समझने वाले कि राजस्थान में मन्त्री कैसे कैसे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : इसी दौरान में अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा भारी चार्ज यह लगाया गया था कि इन जातियों के ऊपर जो हाउसिंग लोन के लिये रखा गया था उसमें से कुछ खर्च नहीं किया, अलोकेशन ही पूरा नहीं किया, यह चार्ज लगाया। समझ गये आप।

श्री भैरोंसिंह : समझ गये।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसके लिये ३३.९३ लैक्स का अलॉटमेंट था और ३६.७९ लाख का खर्चा हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : काहे का?

श्री बालकृष्ण कौल : हाउसिंग का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाउसिंग का बैकवर्ड क्लासेज़ के लिये।

श्री बालकृष्ण कौल : हाउसिंग फोर शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, नोमेडिक ट्राइब्स।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने साल का खर्चा है यह ?

श्री बालकृष्ण कौल : १९६४–६५ का।

श्री भैरोंसिंह : मैंने चार्ज यह लगाया था कि २८ लाख का प्रावधान रखा गया था इसमें खर्च कम हुआ है, आप कौन से का जवाब दे रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपके चार्ज का जवाब दे रहा हूं, आपने यह बताया था कि खर्च नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : हाउसिंग के बारे में जवाब दे रहे हैं, तो यह जवाब दीजिये कि २८ लाख का प्रावधान ५३४६ हाउसेज के लिये रखा था, कितने हाउसेज का कन्स्ट्रक्शन हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं टोटल बता रहा हूं ६४–६५ का ३३.९३ का अलॉटमेंट था, ३६.७९ का खर्चा है। आपका कोई कुसूर नहीं....

श्री भैरोंसिंह : हमारा कुसूर यह है कि ऐसे ऐसे मंत्रियों को बर्दाश्त कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक एक साल का बता सकता सकता हूं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स का ६१–६२, ६२–६३, ६३–६४, ६४–६५ में ५.८३ का अलॉटमेंट था, ५.३६ खर्च हुआ। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये ६१ से ६५ तक अलॉटमेंट था ६.१४ और ६.१९ खर्च हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल ; लाख है या करोड़।

श्री बालकृष्ण कौल : लाख की बात कर रहा हूं।

नोमेडिक ट्राइब्स के लिये ६१ से ६५ तक २.५५ का अलॉटमेंट था, इसमें थोड़ा कम खर्च हुआ है १.५४।

स्केवेन्जर हाउसिंग टू शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये ६१ से ६५ तक अलॉटमेंट था १२.७४ का और खर्चा हुआ है १६.२८।

डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिये ६.६७ का अलॉटमेंट था और ६.७१ खर्च हुआ है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अफसोस यह है कि चीजें इस किस्म की हुई है; पर बहस इसलिये की जा रही है कि यह प्रोपेगेन्डा करें कि कांग्रेस इन जातियों से दूर हो गई और अगर ये श्रीमान् कोई हैं तो जनसंघ वाले साहब।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): पर्सेन्टेज के हिसाब से देख लीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं; जितना खर्च किया जा रहा है

(श्री बालकृष्ण कौल)

इन लोगों के लिये उससे, पर वाकयात यह है, वाकयात छिप नहीं सकते । यह माननीय सदस्यों ने जिस रोशनी में रखा है, उस रोशनी को तफसील में रखा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अन्धकार में ला दिया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : रोशनी में ला दिया ।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस तसवीर को काला कर दिया ।

श्री बालकृष्ण कौल : काला है या गोरा, यह आप देख लें ।

और छोटे-मोटे प्रश्न हैं, अगर आप सुनना चाहें....

श्री अध्यक्ष : आपकी बहुत इम्पोर्टेन्ट स्पीच है ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में कितने सागड़ी हैं, सागड़ी प्रथा बन्द करने के बाद कितने चालान किये, डूंगरपुर के शिड्यूल्ड ट्राइब्स की इन्डेटेडनेस की पोजिशन क्या है ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमैंट का मैं जिम्मेदार हूं । फाइनेन्स मिनिस्टर इन चीजों की तफसील में जाय, जो प्रश्न आपने किये हैं शायद दुनिया में किसी ने नहीं किये ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): फाइनेन्स मिनिस्टर को दूसरे डिपार्टमेंट्स की जानकारी नहीं हो, यह नजीर भी दुनिया में आप ही ने खड़ी की है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : यह एप्रोप्रियेशन बिल है । यह कोई डिमाण्ड पर बहस नहीं हो रही है । इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सिर्फ नीति की बात है ।

सागड़ी की बात कही । वह वाकई एक हद तक आपकी बात ठीक है । लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है उसने कदम उठाया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उठाया है ?

श्री बालकृष्ण कौल : कानून बनाया । इसलिए वह कानून जिस तरीके से आप चाहते हैं, उस तरीके से सारा नाफिज न हुआ हो ; लेकिन यह आज का सवाल नहीं है । यह याद तो इतनी इन्डेटेड है, आज से नहीं अर्से से । इस हालत का आज उसका नाम लेने वाले तो पैदा हो गये, पहले वे भी नहीं थे । मुझे उम्मीद थी जिनने नाम लिया है वे इसको यही छोड़ देंगे ।

अब मैं....

श्री भैरोंसिंह : यह जवाब नहीं दे सक तो भीखाभाई को खड़ा कर दीजिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : जवाब दे दिया है ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, हम सदन में इसलिए प्रश्न नहीं उठाते है कि हमारे प्रश्न बिना उत्तर दिये ही रहने दिये जायं। कम से कम हमारे प्रश्नों का उत्तर तो देना ही चाहिये। आप यह बता दीजिये कि कितने सागड़ी गुलामी का जीवन भोग रहे हैं। जब कि आपका कानून इस सम्बन्ध में पास हो चुका है ? मनी लेंडर्स बिल पास करने के बाद रूल्स क्यों नहीं बनाये ? आप इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ? नहीं कहना चाहते हैं तो क्यों नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : इतना मैं निवेदन कर दूं कि ये प्रश्न उठ रहे थे उनको उसी वक्त ही रोक देना चाहिये था, क्योंकि ये नीति से ताल्लुक नहीं रखते, प्रोसीजर से ताल्लुक रखते हैं। इससे इतना लाइसेन्स मिल गया है कि उनका जवाब दिया जाय; एप्रोप्रियेशन बिल के समय, इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं कही एप्रोप्रियेशन बिल के समय ?

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा था कि एप्रोप्रियेशन बिल के समय उन मुद्दों को भी उठाया जाय जिनकी चर्चा उस समय नहीं हो सकती थी, जब कि मांगों के सम्बन्ध में बहस हो रही थी। इसलिए मैंने गल्ती नहीं की है कि सोशियल वेलफेयर विभाग के बारे में यहां चर्चा की।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक सागड़ी प्रथा का प्रश्न उठाया है और आंकड़े दिये, उनको सुन कर हर माननीय सदस्य को जो सदन में बैठा था उसको चिन्ता होनी स्वाभाविक थी। मैंने कल ही यह बात जानने की कोशिश की थी कि वे आंकड़े और रिपोर्ट हम को मिल जायं। राज्य सरकार के पास अभी भारत सरकार ने रिपोर्ट भेजी नहीं है और हमारी ओर से इसकी मांग भी की गई है, जो उन्होंने एट रेन्डम सर्वे कराया है और जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसलिए किसी अवसर पर माननीय सदस्य को इसके विषय में जवाब दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको रिपोर्ट दूं कि आपके विभाग में वह रिपोर्ट आ गई होगी।

श्री मथुरादास माथुर : विभाग में आयी नहीं होगी और आ गई होगी तो आप चुरा कर ले गये होंगे। एक ही कॉपी आयी होगी और आप ले आये होंगे। मैं सच्ची कहता हूं कि विभाग में रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : आपकी रिपोर्ट यहां आ जाती है। विजिलेन्स कमीशन क्या करेगा ?

श्री अध्यक्ष : अब विधेयक पर मतदान करें।

आप खत्म कर दीजिये। पांच मिनट में वाइन्ड अप कर दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि बहुत इस बात के सवाल रखे गये थे कि हमारे जो लोन्स हैं उनकी रिकवरी ठीक तरीके से नहीं

(श्री बालकृष्ण कौल)

हुई है। मैं इतना अर्ज कर दूं कि रिकवरी २४ करोड़ की बाकी है इन्स्टालमेन्ट में। ऐसी रिकवरी नहीं हैं कि एक दम आ जाय। मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि २४ करोड़ में से इस साल १९६५–६६ में ८ करोड़ की रिकवरी का प्रावधान किया गया है। १।३ की रिकवरी करते है तो रिकवरी खराब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : २४ करोड़ लोन्स के ड्यू हैं या टोटल लोन्स ?

श्री बालकृष्ण कौल : टोटल लोन्स की रिकवरी का सवाल है। इन्स्टालमेंट आती हैं उनका ड्यू है।

६७ करोड़ ड्यू होता है इन इन्स्टालमेंट स्टेजेज। उसमें ज्यादा ऐसे हैं जो वसूल नहीं कर सकेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इस किस्म के जो हैं उनमें ४२.४३ करोड़ हैं; २५ करोड़ ऐसे हैं जिनकी वसूली करनी है।

श्री भैरोंसिंह : ये फिगर्स आप कैसे बता रहे हैं ? वे पहले दूसरे फिगर्स दिये हैं, या ये दूसरे फिगर्स कह रहे हैं ? अन्दाज से कह रहे है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं बिलकुल अन्दाज से नहीं कह रहा हूं। इन्स्टालमेंट तरीके से आते हैं, उनकी कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि आज के दिन ड्यू २५ करोड़ रुपया है ?

श्री अध्यक्ष : २४ करोड़।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं तो रिकवरी की बात कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आउट स्टेन्डिंग ड्यू कितने हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : रिकवरीज की बात कह रहा हूं।

(विराम)

६७ करोड़ रुपया।

श्री भैरोंसिंह : आज के दिन आउट स्टेण्डिग ६७ करोड़ नहीं है। फिर चैक कर लीजिये अपने कागजात को।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने २४ करोड़ बताया।

श्री भैरोंसिंह : ६७ करोड़।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं एरियर्स ऑफ रिकवरीज की बात कह रहा हूं जिसमें इन्स्टालमेंट वगैरह है; रिकवरी ऑफ एरीयर्स।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कुल ड्यू कितना है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल आप अमेन्ड कर लें।

श्री बालकृष्ण कौल : मुश्किल यह है कि या तो वे आंकड़ों में और चीज समझे हैं ; रिकवरी ऑफ एरियर्स।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके चिट आ गया है। आप अमेन्ड कर लीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : रिकवरी ऑफ एरियर्स ६७ करोड़ रुपया। इसमें हमारे ऐसे एरीयर्स हैं, कि जिनको वसूल अभी नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ५ करोड़ के और मामले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ४० करोड़ बता दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का।

श्री बालकृष्ण कौल : ३८ करोड़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ५ करोड़ के करीब म्युनिसिपैलिटीज इत्यादि के। ये अभी वसूल नहीं हो सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों नहीं हो सकते ?

श्री बालकृष्ण कौल : वस्तु-स्थिति बता रहा हूं। वसूल करने लायक हैं वे करीब २४ करोड़ के हैं। उसके लिए निवेदन किया है और प्रावधान किया है १९६५-६६ के बजट में कि ८ करोड़ वसूल करने हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : २४ करोड़ बताया है, उसमें लैंड रेवेन्यू ड्यूज कितने हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल :मैंने टोटल आपको रिकवरीज कही हैं। मेरे पास इसके फिगर्स नहीं है; जानना चाहें तो प्रश्न कर लें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मैं जानकारी चाहता हूं कि ६७ करोड़ रुपया लेना बकाया है ? ६७ करोड़ जो लेना बकाया हैं उसके ऊपर ब्याज कितना हुआ, यह नहीं गिना ? क्यों नहीं गिना इसको ? आपने जो रकम बतायी है वह बिना ब्याज के है और इसके साथ ब्याज नहीं है। वह अलग है। ब्याज का कितना बाकी है वह बतायें ?

श्री भैरोंसिंह : ७६ करोड़ का राजस्थान का बजट है और ६७ करोड़ की बकाया है। यह एफशियेन्सी का नमूना है !

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य ने बिजनेस नहीं किया है। जो मोटे मुद्दे थे वे मैंने रख दिये हैं। बाकी व्यक्तिगत चीजें रखी हैं, माननीय सदस्यों ने, यह जरूरी नहीं है कि मैं उनका जवाब दूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ६७ करोड़ की बकाया बतायी, लेकिन उसका ब्याज कितना होता है, यह आपने नहीं बयाया है। मैंने पहले भी इनको कहा था कि आप बतायें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह निवेदन कर रहा था उसमें ब्याज कितना है इसके फिगर्स नहीं हैं। इसमें छिपाने की बात नहीं है।

सवाल यह है कि जितने भी मोटे पोइन्ट्स थे, उन सबको मैंने कवर कर लिया है; पर्सनल आरोप कुछ लगाये हैं उनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। जिसका एप्रोप्रियेशन बिल से ताल्लुक था उसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गत साल आपने बजट का जवाब देते हुए कहा था; इन्डियन एयर लाइन्स को अब कोई पैसा नहीं देंगे, लेकिन अब भी आप दे रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ लॉज़ मेरे मुंह में रखने की कोशिश की थी पिछली दफा जब एयर लाइन्स कोर्पोरेशन के बारे में प्रोवीज़न था; मैंने यह कहा था, अब इनको कुछ नहीं दिया जायगा। मैं निवेदन करता हूं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात रखी उसको सुनिये। उस दिन से जिस दिन से मैंने कहा उससे आगे का कर्जा हमारे पर नहीं पड़ा। जितने रिलेशन्स थे ख़त्म हो गये, ऑडिट के हिसाब से पैसा आयेगा, एरियर्स देना होगा वही देंगे। नया कोई देने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विनियोग (संख्या-२) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : विधेयक (संख्या २) को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विनियोग (संख्या २) विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर २५ मिनिट पर कल म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२१ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में जिला अनुसार नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत
१६६१ की जन-गणनानुसार

जिला १.	ग्रामीण २.	नगरीय ३
१. अजमेर	१३.६६	४४.७१
२. अलवर	१३.२०	३८.६४
३. बांसवाड़ा	६.७६	४५.०४
४, बाड़मेर	५.८३	३२.५१
५. भरतपुर	१२.६०	३१.७२
६. भीलवाड़ा	६.३०	३५.३३
७. बीकानेर	११.५८	६६.०२
८. बूंदी	८.००	३२.१५
६. चित्तौड़गढ़	६.७३	३६.५२
१०. चुरू	११.३८	३२.८०
११. डूंगरपुर	८.६८	४२.१४
१२. गंगानगर	१३.२३	३८.१२
१३. जयपुर	१०.८४	३६.६२
१४. जैसलमेर	५.५७	३१.६८
१५. जालोर	७.०८	२६.२६
१६. झालावाड़	११.२५	४१.५६
१७. झुंझुनू	१६.१२	३०.८०
१८. जोधपुर	८.६८	४१.६६
१६. कोटा	१३.७४	४२.८७
२०. नागोर	१०.६०	३१.२२
२१. पाली	११.७६	३१.५५
२२. सवाई माधोपुर	१०.७६	२६.३३
२३. सीकर	१३.२५	२७.३०
२४. सिरोही	६.२२	३७.६४
२५. टोंक	८.६८	२६.६६
२६. उदयपुर	६.५३	४६.६७

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ का उत्तर देखिये)

भवन निर्माण समिति भैसलाना के सदस्यों की सूची

(१)	श्री हनुमानप्रसाद शर्मा, सरपंच	—	अध्यक्ष
(२)	श्री गोविन्दनारायण लड्ढा	--	मंत्री
(३)	श्री महादेव लड्ढा	—	कोषाध्यक्ष
(४)	श्री कन्हैयालाल शर्मा	—	उप-मन्त्री
(५)	श्री रामदास	—	सदस्य
(६)	श्री फूलचन्द जैन	—	सदस्य
(७)	श्री छितरमल गंदोडिया	—	सदस्य
(८)	श्री रामचन्द्र	—	सदस्य
(९)	श्री मोहनलाल कौशिक, प्रधानाध्यापक	—	सदस्य

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-मंगलवार, दिनांक, ३० मार्च, १९६५)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६४९६	शीर्षक	-३० माच, ६५	३० मार्च, ६५-
६४९७	अन्तिम से ६	आंकड़	आंकड़े
६४९९	७	है इस तरह,	है; इस तरह
६५०३	२	(फलेरा)	(फुलेरा)
६५०६	१३	उसको	उनको
,,	अन्तिम से २	(अनुपस्ति-	(अनुपस्थित
६५०७	१०-११	(श्री (हरिश्चन्द्र)	(श्री हरिश्चन्द्र)
६५०८	४	हुए ; हैं-	हुए हैं;
६५०९	२०	नॉन-एकीकल्चर	नॉन-एग्रीकल्चर
६५११	अन्तिम	श्री श्रवणकुमा	श्री श्रवणकुमार
६५१३	४व२१	श्री रामप्रसाद लढ्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६५१४	शीर्षक	३० माच, ६५	३० मार्च, ६५
,,	४	फसला	फैसला
६५३२	अन्तिम	श्री भैरोंसिह्	श्री भैरोंसिंह
६५३३	८	श्रा भीखाभाई	श्री भीखाभाई
६५३४	शीर्षक	२९-मार्च, ६५	-३० मार्च, ६५
६५३७	४	लड्डा)	लड्ढा)
,,	१७	श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा,	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६५३९	१	चूंडावत	चूंडावत ।
६५४०	शीर्ष	(श्री श्री निरंजननाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
६५४६	१५	संविधान सभा	विधान सभा
६५४८	अन्तिम से २	८१६.	६१८
,,	अन्तिम	समज	समाज
६५४९	६	बहुद्दशीय	बहुद्देशीय
,,	२४	हा	ही
६५५४	शीर्षक	-२० ार्च, ६५	-३० मार्च, ६५
,,	अन्तिम	जीहां कुल ६१३ अध्यापको क ।	जी हां । कुल ६१३अध्यापकों की ।
६५५६	शीर्ष	(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेम)	(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

२	२	३	४
६५५७	९,१०	(किशनपोल बाजार)	(किशनपोल, जयपुर)
६५५८	शीर्ष	(श्री उद्योग मंत्री)	(श्री उद्योग मंत्री)
,,	७	१९५०	१९५०–
६५६१	१४	अवंटन	आवंटन
६५६२	शीर्षक	वृंदी	बूंदी
६५६३	अन्तिम से ७	में	मैं
६५६४ से			
६५६८ व			
६५७२,			
६५७६	शीर्षक	अवंटन	आवंटन
६५६४	अन्तिम से ७	मुझ	मुझे
६५६७	अन्तिम से २	मिानस्टर	मिनिस्टर
६५७२	७	अध्यक्षम होदय	अध्यक्ष महोदय
६५७४	शीर्षक	–२० माच, ६५	३० मार्च, ६५
६५८२	,,	३० ार्च, ६५	३० मार्च, ६५–
,,	३	इर्षा	ईर्षा
६५८८	अन्तिम से ७	वर्णय	वक्तव्य
६५९० से			
६६०२	शीर्षक	रतगढ़ पुलिस	रतनगढ़ में पुलिस
६५६४	शीर्ष	(श्री माणिकचन्द सुराणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
६५९५ से			
६५९९	शीर्षक	प्रतिवेतन	प्रतिवेदन
६६१२ से			
६६३४	शीर्षक	रतनगढ़ पुलिस	रतनगढ़ में पुलिस
६६१२	शीर्षक	ज्यादंती	ज्यादती
,,	९	श्री अध्यत्त	श्री अध्यत्त
६६१९	१७	अ गीकार	अंगीकार
६६२०	अन्तिम	केक्ट्स	फेक्ट्स
६६२३	स्कम्भ	६३२३	६६२३
,,	१९	तथ्थ	तथ्य
६६२५	अन्तिम से ३	Aggarwal	Agarwal

१	२	३	४
६६२७	७	कॉन्टेम्पट	कॉन्टेम्प्ट
६६२८	अन्तिम से ६	हुं	हूं
६६३१	४	श्री योनेन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
६६३७	अन्तिम	विल्कुल	बिल्कुल
६६४३	शीर्षक	विवेयक	विधेयक
६६४६	शीर्षक	विनियाग	विनियोग
,,	अन्तिम से २	श्री वालकृण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
६६४७	२२	इन्सपेक्टर	इन्स्पेक्टर
६६४९	१२	इन्सक्पेटर	इन्स्पेक्टर
,,	अन्तिम से ६	जमार्मे	जमाते
६६५०	शीर्षक	राजस्थान	राजस्थान
,,	,,	३० मार्व, ६५	–३० मार्च, ६५–
,,	शीर्ष	(श्री मानसिह महार)	(श्री मानसिह महार)
६६५३	शीर्षक	(संख्या विघोक, १९६५	(संख्या २) विधेयक, १९६५
,,	स्कम्भ	[६५५३	६६५३
,,	अन्तिम से ४	तरीक़े	तरीके
,,	अन्तिम	धोषणाएं तो सोशलिज्म की, घोष—	घोषणाएं तो सोश्यलिज्म की, घोष–
६६५४	शीर्षक	बिनियोग	विनियोग
६६५५	१८	साधन्	साधन
६६५८	अन्तिम से २	मुफ़	मुझे
६६६१	७	विल्डिग	बिल्डिंग
६६६२	५	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
६६६४	अन्तिम से ७	procced	proceed
६६६५	२	उपाध्यश्र	उपाध्यक्ष
,,	१७	डबलू	डब्ल्यू —
६६६६	शीर्ष	(श्री रामानण्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
,,	१६	क्टेक्टर	कलेक्टर
६६७३	६	Is	is
६६७५	४	सजाते; है	सजाते हैं
,,	१०	बठना	बैठना

१	२	३	४
६६८६	४	शी शी	शीशी
६६९०	१७	का	को
६६९३	अन्तिम से ६	(गसीन्द)	(आसीन्द)
६६९८	४	फटी	फीट
६६९९	अन्तिम से ६	सशन	सैशन
६७००	शीर्षक	विनियोंग	विनियोग
६७१७	१०	प्र७यू	प्रेज्यू
६७२४	स्कम्भ	७६२४	६७२४
,,	शीर्षक	विनयोग	विनियोग
६७२८	५	मन्य	मन्थ
६७३२	अन्तिम से ७	श्री मथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
६७३७	५	हुकूमन	हुकूमत
,,	१८	पसा	पैसा
६७४०	१६	श्री बालकृस्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
,,	अन्तिम से ३	औस	और
६७४७	२	अव्यक्ष	अध्यक्ष
,,	३	जत्यता	सत्यता
,,	६	पर्सेन्ठ	पर्सेन्ट
६७४८	१५	६२६.७-	६२६.७८
६७५०	शीर्षक	बिधेयक	विधेयक
६७५८	अन्तिम	उस(फ्र	उसको
६७६०	शीर्षक	३१ मार्च, ६५	३० मार्च, ६५
६७६२	,,	३० मार्व, ६५	३० मार्च, ६५
,,	११	करीड	करोड़
६७६३	२	ब्या।	ब्याज
,,	४	रफम	रकम
,,	१८	बयाया	बताया
६७६४	शीर्षक	विनियाग	विनियोग
६७६५	५	विचारार्थे	विचारार्थ